उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत मैनुअल (1 से 17 तक)

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

वर्ष– 2020–21

Email ID- cao.tehri@gmail.com
Phone No.- 01378-227501

।। प्राक्कथन ।।

1– सरकारी विभागो के सम्बन्ध में अब तक सूचनायें गुप्त रखी जाती थी, ये नियम ब्रिट्रिश शासन काल से बने हुए थे। जनता सूचना से वंचित रहती थी। इस बावत संविधान संशोधन द्वारा जनता को सूचना का अधिकार देकर बहुत पुराने समय से बने सरकारी नियमों को बदला गया तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम से 2005 से जनता को लाभ होने की आशा है।

2– इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य है कि प्रत्येक कार्यालय से सम्बन्धित विभिन्न विषयों की जानकारी को एक निर्देशिका में समेटा जायेगा। जिससे सम्बन्धित सूचनायें जनता को उपलब्ध कराने में बड़ी सहायता मिलेगी।

3– यह निर्देशिका समस्त जनता/जन प्रतिनिधि/कार्यालय/मण्डलीय कार्यालय/निदेशालय/मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी स्तर पर सूचनायें मांगी जाने पर तत्काल सूचना उपलब्ध कराने में सहयोगी और उपयोगी होगी।

4– हस्त पुस्तिका के प्रारूप में जनपद स्तर पर मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सूचीबद्व किया जा रहा है।

5– परिभाषायें/शब्दावली के विषय में जानकारी विभिन्न अवसरों पर सूचना अधिनियम के लागू होने के बाद समय के साथ–साथ प्राप्त होती जायेगी। क्योकि किसी नई चीज के लागू होने पर शुरूआत में कुछ कठिनाइया आती है और समय आगें बड़ने पर परिभाषायें और शब्दावली स्वतः स्पष्ट होती जायेगी।

6– हस्त पुस्तिका में समायोजित विषयों के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क व्यक्ति का नाम– जे0पी0तिवारी , मुख्य कृषि अधिकारी/प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर के स्तर की सूचना के सम्बन्ध में ।

7– हस्त पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क – इस सम्बन्ध में शुल्क निर्धारण **10.00** रूपया प्रति सूचना निर्धारित प्रपत्र पर जमा कर मांगा जा सकता है, तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने विषयक जानकारी निदेशालय स्तर से प्राप्त होने पर सूचना निर्देशिका में समायोजित की जायेगी।

।। मैनुअल–1 ।।

(संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य)

2.1– लोक प्राधिकरण/संगठन के उद्देश्य– कृषि विभाग द्वारा जनपद स्तर पर जनपद के समस्त कृषको को अनुमन्य अनुदान पर यथा– बीज, रसायन कृषि यंत्र आदि उपलब्ध कराना तथा साल भर खरीफ तथा रबी में विभिन्न फसलों की जानकारी देना, कृषको को कृषि समबन्धी समस्याओं का निराकरण कराना तथा नई कृषि तकनीकी की जानकारी उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है।

2.2– लोक प्राधिकारण/संगठन का मिशन/विजन– जनपद स्तर पर कृषि कार्यो में कृषकों को बीज वितरण, उन्नत कृषि तकनीक उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में जनपद को आत्मनिर्भर बनाना संगठन का मिशन है तथा भारत के महामहिम राष्ट्रपति डा0 कलाम, के अनुसार सन् 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का जो विजन है, उसी विजन को हकीकत में तब्दील करने को कृषि विभाग द्वारा सन् 2020 तक कृषि उत्पादन में आत्म निर्भर बनाना तथा उपलब्ध कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता बढ़ाना तथा जनपद को जैविक जनपद बनाने का विजन है।

2.3– लोक प्राधिकरण/संगठन के कर्तव्य– शासन/विभाग द्वारा जारी आदेशो के अनुसार जनपद में कृषि कार्यक्रमों को संचालित कर जनता और कृषकों की सहायता करना, उनको महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खेती की जानकारी देना, सरकारी कार्यक्रमों का जनता/कृषकों में प्रचार–प्रसार करना संगठन का मुख्य कर्तव्य है, साथ ही साथ कृषि विभाग में जनपद स्तर पर कार्य कर कर्मचारियों के हितो की देखभाल करना तथा उनका उत्साह बढ़ाना तथा उनके देयको का भुगतान करना भी संगठन का कर्तव्य है।

2.4– लोक प्राधिकरण/संगठन के मुख्य कृत्य– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सरकार/विभाग द्वारा प्राप्त बजट पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों जैसें, कृषि यंत्रीकरण, बायोकम्पोस्टिंग कार्यक्रम,जल संभरण, कृषक महोत्सव, बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रमाणित तथा आधारीय खरीफ/रबी/जायद के बीजो का वितरण आतमा योजनान्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण,भ्रमण, प्रदर्शन, कृषक पुरस्कार कार्यक्रम, जिला योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में मृदा परीक्षण, मिनिकिट वितरण आदि कर कृषकों के सहयोग से इन कार्यक्रमों को सफल बनाना मुख्य कृत्य हैं।

2.5– लोक प्राधिकरण/संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची तथा उनका सक्षिंप्त विवरण– कृषि विभाग द्वारा जनपद में कृषकों को विभिन्न प्रकार की सेवाये प्रदान की जा रही है।

1– 1–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

योजना वर्ष 2007–08 से वर्ष 2014–15 तक शतप्रतिशत केन्द्रपोषित थी तथा वर्ष 2015–16 से 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है।

योजना के उद्देश्य–

1– कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्वि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।

2– कृषि जलवायुवीय स्थितियों तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनायें तैयार करना तथा उनका निष्पादन सुनिश्चित करना।

3–यह सुनिश्चित करना कि राज्यों की कृषि योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं की फसलों, प्राथमिकताओं को बेहतर रूप से प्रतिबिंबित किया जाय।

4–महत्वपूर्ण फसलों में उपज अन्तर को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करते हुये उत्पादन में वृद्वि करना।

5–कृषि संवर्गीय क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्वि करना।

योजना का कार्य क्षेत्र– योजना के अन्तर्गत अब तक कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कुल 19 विभागों एवं संस्थाओं की कुल 189 परियोजनाओं को वित पोषित किया गया है, जिससे 149 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी है।

2– नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM)

योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के फण्डिंग पैटर्न पर आधारित है। योजनान्तर्गत चावल व गेहूँ के अतिरिक्त मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन उत्पादन कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि वर्ष 2020–21 में भी संचालित है।

1– एन0एफ0एस0एम0 चावल– के अन्तर्गत 5 जनपद उधमसिंहनगर, पौडी, हरिद्वार, अल्मोडा, एवं पिथौरागढ का चयन किया है।

2– एन0एफ0एस0एम0 गेहूँ– के अन्तर्गत 9 जनपद उधमसिंहनगर, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, नैनीताल पौडी, हरिद्वार, अल्मोडा, एवं पिथौरागढ का चयन किया है।

3– एन0एफ0एस0एम0 दलहन– के अन्तर्गत सभी जिलों को आच्छादित किया है।

4– एन0एफ0एस0एम0 तिलहन– के अन्तर्गत सभी जिलों को आच्छादित किया

कार्यक्रमों के संचालन हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रदेश स्तर पर स्टेट फूड सिक्योरिटि मिशन एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया है तथा जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी मिशन एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।

प्रस्तावित लक्ष्य वर्ष 2020–21 में चावल के अंतर्गत 6.60 लाख मै0टन, गेहूँ के अंतर्गत 10.00 लाख मै0टन, मक्का के अंतर्गत 0.55 लाख मै0टन तथा दलहन के अंतर्गत 0.75 लाख मै0टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के घटक–

1– क्लस्टर डिमान्सट्रेशन– क्लस्टर प्रदर्शन के लिये मैदानी क्षेत्रों में 100 है0 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 है0 के क्लस्टर चयनित करने की व्यवस्था है। चयनित क्लस्टर क्षेत्र में किसानों को चावल, गेहूँ, दलहन के क्लस्टर समूह प्रदर्शन हेतु रू0 9000.00 प्रति है0, मोटे अनाज हेतु रू0 6000.00 प्रति है0, तिलहन के समूह प्रदर्शन हेतु रू0 3000.00 प्रति है0 तथा फसल चक्र आधारित समूह प्रदर्शन हेतु रू0 15000.00 प्रति है0 की दर से राज सहायता देय है।

2– बीज वितरण– किसानों को धान, गेहूँ के 10 वर्ष से कम अवधि की उन्नत प्रजाति कि बीजों पर रू0 2000.00 प्रति कु0, तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रजाति के बीजों पर 1000.00 रू0 प्रति कु0, धान तथा मक्का के संकर प्रजाति हेतु रू0 10000.00 प्रति कु0, मोटे अनाज के 10 वर्ष से कम अवधि के उन्नत प्रजाति के बीजों पर रू0 3000.00 प्रति कु0 अनुदान दिया जा रहा है। दलहन के 10 वर्ष से कम अवधि के उन्नत प्रजाति के बीजों पर अनुदान की अनुमन्य सीमा रू0 5000.00 प्रति कु0 निर्धारित की गयी है।

3– पौध एवं मृदा प्रबन्धन– किसानों को इसके अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों, पौध रक्षा रसायनों एवं खरपतवारनाशी के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 500.00 प्रति है0 जो कम हो का अनुदान अनुमन्य है।

4– कृषि यंत्र वितरण– धान, गेहूँ, मोटे अनाज एवं दलहन की फसलोत्पादन प्रक्रिया में उपयोगी उन्नतशील कृषि यंत्रों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जैसा कि पृथक–पृथक यंत्रों के लिये सुनिश्चित है, अनुदान उपलब्ध है।

5– सिंचाई यन्त्र वितरण– इसके अन्तर्गत कृषकों को सिंचाई हेतु जल संवहन पाइप, जल पम्प, स्प्रिंकलर सैट्स एवं मोबाइल रेन गन मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जो कि विभिन्न यंत्रों हेतु अलग–अलग निर्धारित है, किसानों के लिए अनुदान की सुविधा पर उपलब्ध है।

3– राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)

(अ) सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)–

योजना 90 प्रतिशत केन्द्रपोषित है।

योजना के उद्देश्य–

1– कृषकों के फार्मिंग सिस्टम की सभी समस्याओं का निदान कराते हुए समग्र उत्पादन एवं आय में वृद्वि तथा जीवन स्तर ऊँचा उठाना।

2– कृषि एवं कृषकों का सबलीकरण।

3– सभी कृषकों, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्देश्यों हेतु जोडना एवं सुदृढ़ करना।

4– कृषि प्रबंध व्यवस्था में सबलीकरण हेतु कृषक समूहों का गठन करना।

5– योजना का क्रियान्वयन संबंधित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थानों एवं कृषक समूहों आदि के द्वारा कराना।

कार्यक्रम की मदें–

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, गन्ना, मत्स्य विकास संबंधित क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार स्ट्रेटेजिक एक्सटेंशन रिसर्च एण्ड एक्सटैंशन प्लान तैयार की जाती है तथा भारत सरकार से कार्य योजना अनुमोदन के उपरान्त केन्द्रांश प्रदेश सरकार को भेजा जाता है।

योजनान्तर्गत मुख्यतः कृषक प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण, फसल प्रदर्शन, कृषक समूहों को प्रोत्साहन, कृषक पुरूष्कार वितरण, किसान मेले/फल–सब्जी प्रदर्शनी, प्रचार–प्रसार सामग्री का वितरण, सूचना तकनीक के इलेक्ट्रोनिक माध्यम का उपयोग, कृषक वैज्ञानिक संवाद, फील्ड–डे गोष्ठी, फार्म स्कूल संचालन, कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/समूहों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते हैं।

(ब) सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM)

भारत सरकार द्वारा 2014–15 से कृषि यंत्रीकरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है।

मिशन के उद्देश्य–

1– लघु एवं सीमांत कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढाना।

2– कस्टम हायरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना, जिससे सीमान्त एवं लघु जोत वाले कृषकों को भी कम कीमत में आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें।

3– सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का एक समूह तैयार करना।

4– प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में कृषि यंत्रीकरण के प्रति जागरूकता लाना।

5– प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की क्षमता एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।

(स) सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (SMSP)–

यह योजना 90:10 फंडिंग पैटर्न पर संचालित की जा रही है।

1–योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को एक एकड क्षेत्रफल के लिए धान्य फसलों के प्रमाणित बीजों पर 50 प्रतिशत तथा दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रमाणित बीजों पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

2–आधारीय एवं प्रमाणित बीजों की व्यवस्था केन्द्र अथवा राज्यों के बीज निगमों के माध्यम से की जाती है।

3– कृषक प्रशिक्षण– बीजोत्पादन कार्यक्रम से जुडे किसानों को एक–एक दिवसीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण, पहला प्रशिक्षण बुआई के समय, दूसरा फूल आने के समय तथा तीसरा फसल कटाई के समय दिया जाता है, ताकि किसानों को तत्कालीन आवश्यक शस्य क्रियाओं की जानकारी हो सके।

4–राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (NMSA)–

राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में समन्वित फसल पद्वति के प्रोत्साहन के उपायों को अपनाकर टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना है।

योजना के उद्देश्य–

1– स्थान विशेषिक समेकित कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायिक परिवेश के अनुकूल बनाना।

2– समुचित मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

3– मृदा उर्वरता मानचित्रों, मृदा परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म एवं मुख्य पोषक तत्वों का प्रयोग एवं उर्वरकों का न्यायिक प्रयोग द्वारा स्वास्थ्य प्रबन्धन।

4– प्रति बंद अधिक फसल के सिद्वान्त को सुदृड करने के उद्देश्य से समुचित जल प्रबन्धन से जल की उपयोगिता को बढाना।

5– अन्य मिशनों यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन आदि के संयोजन से कृषकों की क्षमता विकास करना।

योजना के घटक–

(अ) रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास) कार्यक्रम–

इसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 हेतु प्रदेश में 10 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें उद्यान आधारित कृषि पद्वति, पशुपालन आधारित कृषि पद्वति, दुग्ध उत्पादन आधारित कृषि पद्वति, वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली एवं कृषि वानिकी आधारित कृषि पद्वति में कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु रू0 59.65 लाख की योजना का अनुमोदन किया गया है।

5– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)–

1– योजना 50 प्रतिशत केन्द्रपोषित है। प्रीमियम पर कृषक अंश को कम करते हुए शेष प्रीमियम धनराशि पर 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

2–योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत 10 बीमा कम्पनी के सहयोग से किया जा रहा है।

योजना की विशेषतायें –

1– योजना में केवल उन्हीं फसलों को शामिल किया जाता है, जिनके संबंध में कम से कम 10 वर्षो के लिये फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उत्पादकता के पूर्व ऑकडे उपलब्ध हैं तथा प्रस्तावित मौसम के दौरान उत्पादकता के अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त संख्या में फसल कटाई प्रयोग किये जाते हैं।

2– बीमा से आच्छादित फसलें, खरीफ मौसम में चावल , मंडुवा तथा रबी मौसम में गेहूँ एवं मसूर।

3– किसानों की पात्रता– संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान।

4– अनिवार्यता के आधार पर–ऋणी किसान जो संसूचित फसल उगा रहे हैं और वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि प्रचालन ऋण ले रहे हैं।

5–स्वैछिक आधार पर– संसूचित फसल उगाने वाले अन्य किसान जो इस योजना में आने की इच्छा रखते हैं।

6– कवर किये गये जोखिम एवं अपवाद– व्यापक जोखिम बीमा अनिरोध जोखिम के कारण होने वाले उत्पादकता में क्षति को कवर करने के लिए मुहैया कराया जायेगा जैसेः–

1. प्राकृतिक रूप से आग लगना और बिजली गिरना।
2. तूफान, ओला, चक्रवात, टाईफून, समुद्री तूफान, हरीकेन, टोरनेडो आदि।
3. बाढ, जल प्लावन एवं भू–स्खलन।
4. सूखा, शुष्क अवधि
5. कृमि/रोग इत्यादि।

6– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) (Per Drop More Crop)

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश स्तर पर सिंचाई हेतु आवश्यक जल एवं जल स्रोतों का आंकलन कर योजना तैयार करना तभा प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढाना और खेती योग्य भूमि के सिंचित क्षेत्र में वृद्वि करने के उद्देश्य से योजना का संचालन किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जल संचयन हेतु बहुउद्देश्यीय टैंक, चेकडेम, कच्चे एवं पक्के जल संचय तालाब, सिंचाई गूल, सिंचाई नाली, हौज, परम्परागत जल स्रोतों का पुनरूद्वार तथा विस्तार आदि कार्य संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सामूहिक सिंचाई आदि को बढावा देना व जल संरक्षण तकनीकों प्रैक्टिस एवं कार्यक्रमों आदि हेतु कार्यशाला आदि द्वारा जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

1– Accelerated Irrigation Benefit Programme (ए0आई0बी0पी0)

2– पी0एम0के0एस0वाई0 (पर ड्राप मोर क्रॉप)

3– पी0एम0के0एस0वाई0 (हर खेत को पानी)

4– पी0एम0के0एस0वाई0 (जलागम विकास)

योजना की रणनीति–

1. तिलहन फसलों के अन्तर्गत विभिन्न उन्नत प्रजातियों के बीजों की प्रतिस्थापन दर को बढाना।
2. तिलहन फसलों के अन्तर्गत सिंचिंत क्षेत्र को बढाना।

3. तिलहन फसलों द्वारा कम उत्पादक खाद्यान्न फसलों के साथ कृषि विविधीकरण को बढावा देना।
4. धान/आलू उत्पादन के बाद खाली रहने वाली भूमि को उपयोग लाना।
5. तिलहन फसलों के अधिक उपजदायी बीजों की उपलब्धता कराना।

7– जिला योजना

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें धनराशि आवंटन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त होता है। योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा उन कार्यो को प्रस्तावित किया जाता है जो कार्य केन्द्र पोषित या अन्य किसी योजना में सम्मलित न हों। योजना में मुख्यतः मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, भूकटाव नियंत्रण एवं पौध सुरक्षा आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

8– राज्य सैक्टर (अनु0 जाति, जनजाति योजना)

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड से पृथक–पृथक एस0सी, एस0टी0 की एक ग्राम पंचायत चयनित कर कृषक समूहों को कृषि निवेश पूर्ण अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

9– परम्परागत कृषि विकास योजना–

राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजेना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी0जी0एस0 सर्टीफिकेट के अन्तर्गत जैविक कृषि के माध्यम परम्परागत फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना है।

योजना के उद्देश्य–

1. प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना।
2. उपज कीटनाशक मुक्त हो जो उपभोक्ता के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान देना।
3. उत्पादन लागत के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए किसानों को प्रेरित करना।

10– नमामि गंगे योजना–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत गंगा बेसिन पर बसे विकासखण्डों में नमामि गंगे योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी0जी0एस0 सर्टीफिकेट के अन्तर्गत जैविक कृषि के माध्यम परम्परागत फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना है।

योजना के उद्देश्य–

1. प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना।
2. उपज कीटनाशक मुक्त हो जो उपभोक्ता के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान देना।
3. उत्पादन लागत के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए किसानों को प्रेरित करना।

2.6– लोक प्राधिकरण/संगठन के गठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रंसग–

संगठन/मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय का गठन विभागीय पुर्नगठन के आधार पर सितम्बर 2003 में शुरू हुआ इसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणनु अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–481/XIII-1/2010-3(08)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 की अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग को सिगंल विण्डो सिस्टम के रुप में में पुर्नगठित किया गया।

2.7– लोक प्रधिकरण संगठन के विभिन्न स्तरो पर संगठन का ढॉचा–

1– जिला स्तर पर:–

1– मुख्य कृषि अधिकारी/विभागीय आहरण वितरण अधिकारी।
2– कृषि रक्षा अधिकारी।

2– इकाई स्तर पर:–

1– कृषि एवं भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर
2– कृषि एवं भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा
3– कृषि एवं भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी
4– कृषि एवं भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तीनगर

2– ब्लॉक स्तर पर:–

1– सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1 (विकासखण्ड प्रभारी)
2– सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2 (बीज भण्डार प्रभारी)

3– न्याय पंचायत स्तर पर–

1– सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3 (न्याय पंचायत प्रभारी)

2.8– लोक प्राधिकरण/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायें– कृषि विभाग जनपद स्तर पर शासन/विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमो के सफल क्रियान्वयन में जन सहयोग की अपेक्षा करता है, क्योकि बिना जन सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल होना असम्भव है, और जन सहयोग के आभाव में कार्यक्रमों की गुणवत्ता संदेहास्पद रहने की संभावना है।

2.9– जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि और व्यवस्था– जनपद स्तर पर जनसहयोग प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्रतिवर्ष रबी, खरीफ प्रारम्भ होने पर जिला स्तरीय गोष्ठियॉ आयोजित की जाती है। जिसमें जनपद के समस्त कृषकों से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

2.10– जन सेवाओ के अनुश्रवण एवं शिकायतो के निस्तारण की व्यवस्था– जनता से शिकायते प्राप्त होने के लिए जनपद स्तर कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई एवं विकासखण्ड स्तर पर भी कृषको की शिकायते प्राप्त की जाती है तथा उनके निराकरण के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। वर्तमान में मोबाईल/मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/जनपद हैल्प लाइन पर विभिन्न इलैक्ट्रानिक माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होने पर उनका ऑनलाइन ही निराकरण किया जाता है।

।। मैनुअल– 2 ।।

(अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य)

पदनाम– मुख्य कृषि अधिकारी

शक्तियॉ–

1– जनपद में अधिकारियों/कर्मचारियो के स्थानान्तरण एवं तैनाती के संबन्ध में।

2– लधु दण्ड निन्दा, टाइम स्केल में वेतन बृद्वि रोकना, असावधानी या आज्ञाओं का उल्लघंन किये जाने के कारण सरकार को पहुँचायी गई आर्थिक क्षति को पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से वेतन से वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

3– जनपद के बाहर स्थानान्तरण हेतु संस्तुति करना।

4– अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों का 42 दिनों तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश प्राधिकृत चिकित्सक को प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत करना।

5– जनपद में अपने अधीनस्थ निम्न सेवाओं के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 एवं वर्ग–2, लेखाकार, प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक आदि की दण्ड एवं प्रशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति कर मण्डलीय कार्यालय को अग्रसारित करना तथा कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के कर्मचारियों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के दण्डन का अधिकार, संबन्धित सेवा के नियमों के अन्तर्गत।

6– जनपद में अपने अधीनस्थ निम्न सेवाओं के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 एवं वर्ग–2, लेखाकार, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक आदि की वार्षिक चरित्र प्रविष्ठी पर संस्तुति कर मण्डलीय कार्यालय को अग्रसारित करना।

7– लिपिक वर्गीय/वैयक्तिक सहायक की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि स्वीकर्ता प्राधिकारी।

कृषि विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप जिला स्तर पर पूर्व की व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए कृषि विभाग के समस्त अनुभागों में जिला स्तर पर अच्छा समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्य कृषि अधिकारी के सीधे नियंत्रण में रखा गया हैं। जिला स्तर पर कृषि विभाग के समस्त कार्यक्रमों योजनाओं के सफलातापूर्वक क्रियान्वयन एवं संचालन की जिम्मेदारी विभिन्न अनुभागों के विभागीय अधिकारियों यथा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, प्रभारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मुख्य कृषि अधिकारी की होगी। उपरोक्त कृत्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु मुख्य कृषि अधिकारी के निम्नलिलिखत दायित्व निश्चित किये गये हैं।

1– मुख्य कृषि अधिकारी जिले में कृषि विभाग का नोडल अधिकारी होगा।
2– मुख्य कृषि अधिकारी जिला स्तर पर कृषि विभाग के अपने अधिष्ठान का आहरण वितरण अधिकारी हैं।
3– मुख्य कृषि अधिकारी जिला स्तर पर गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशो यथा उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायनों, कृषि यंत्रों आदि की उपलब्धता विभिन्न संस्थानों के माध्यम से सुनिश्चित करायेगा।
4– कृषि विभाग भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियमों, विनियमों आदेशों को क्रियान्वित करायेगा।
5– जिले में कृषि उत्पादन में सतत वृद्वि हेतु कार्य योजना बनायेगा एवं उसको क्रियान्वित करेगा।

6– उत्तरांचल भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 2002 की धारा 11 एवं उसके अधीन नियमावली के प्रस्तर 4(3), 10, 12 एवं उप प्रस्तरों के प्राविधानों के अंतर्गत मुख्य कृषि अधिकारी निदेशक, कृषि का नामित अधिकारी होगा एवं निदेशक कृषि के प्रतिनिधि के विहित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

7– जिला स्तर पर संकलित समस्त योजनाओं की प्रगति, सूचनाओं को संकलित करेगा एवं संयुक्त कृषि निदेशक/निदेशक, कृषि को समय–समय पर प्रेषित करेगा।

8– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा तैयार समस्त कच्चे कार्यो का अंतिम तकनीकी अनुमोदन प्रदान करेगा।

9– अपने क्षेत्राधिकार में चलने वाली प्रत्येक भूमि संरक्षण इकाई की प्रतिमाह दो परियोजना का स्थलीय निरीक्षण तथा उसका शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना।

10– अपने अधीनस्थ कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण तथा आकस्मिक निरीक्षण करना तथा लेखा अभिलेखों के रखरखाव पर विषेश ध्यान देते हुए रोकड़ बही का सत्यापन करना।

11– अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लेखों का सम्प्रेक्षण कराना।

12– जिला स्तर पर बजट संबन्धी सम्पूर्ण कार्यदायित्व से संबन्धित सूचना अपर कृषि निदेशक/कृषि निदेशक को प्रस्तुत करना।

13– मुख्य कृषि अधिकारी अपने कार्यालय में समस्त तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो तथा अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के समुचित रख रखाव एवं कर्मचारियों के देयकों का समय से निस्तारण करना।

14– जिले में कृषि कार्यक्रमों से संबन्धित योजनाओं में किये गये प्रदर्शनों का 20 प्रतिशत सत्यापन करना।

15– जिले के अन्तर्गत बीज/उर्वरक अधिनियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्य दायित्व का निर्वहन करना।

16– सचिव, कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शा0 सं0–107/सी0एस0/कृषि/03/रिट–2(2) 02, दिनांक 3 जनवरी, 2004 के परिषिष्ट–1 के अधीन पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यदायित्व का निर्वहन करना।

<u>कृषि रक्षा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व–</u>

1– अपने जिले में समस्त कृषि रक्षा कार्यो को दक्षता एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन व पर्यवेक्षण का कार्य।

2– कीटनाशी दवा एवं कृषि रक्षा यंत्रों की व्यवस्था तथा कार्यस्थलों पर यथासमय पूर्ति करना।

3– जिले में कीटनाशी रसायन गुणों की रक्षा तथा मिलावट व अनियमित ब्रिकी को रोकना।

4– जनपद में कार्यन्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में यथा–जैविक खाद आदि के संचालन में सक्रिय सहयोग।

5– जनपद में कृषि रक्षा गोदमों का लेखा व अन्य रिकार्ड का माह में एक बार अपने लेखा कर्मचारियों द्वारा जॉच कराना तथा लेखा नियमों के अनुसार रिकार्ड को दुरस्त कराना और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेजना।

6– खण्ड के कृषि रक्षा कार्यो का शत प्रतिशत मौके पर निरीक्षण तथा उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना।

7– जनपद के समस्त कृषि रक्षा योजनाओं में किये गये प्रदर्शनों का 50 प्रतिशत सत्यापन करना एवं दी गई अनुदान की राशि का स्वयं सत्यापन करना कृषि रक्षा रसायनों की बैंलेंस शीट व अन्य लेखा रिपोर्ट को यथा समय भेजना।

8– कृषि रक्षा रसायनों संबन्धी आय व्ययक का समुचित रूप से हिसाब रखना तथा उसका समय से सदुपयोग करना एवं देय समय में भुगतान की व्यवस्था करना।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्य एवं दायित्व–

प्रत्येक जिले में भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी का एक या एक से अधिक पद सृजित किया गया हैं। जिसके कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार हैं:–

1– उत्तराखण्ड भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 2002 में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी को कार्य हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया है जिसके कारण इकाई स्तर पर सभी कार्यो के लिए कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी ही उत्तरदायी हैं।

2– इकाई के समस्त परियोजनाओं का प्रारूप अधिनियम के अनुसार तैयार करना, मुख्य कृषि अधिकारी से उनका अनुमोदन प्राप्त करना।

3– इकाई के समस्त परियोजनाओं के कार्यो का निष्पादन, मापन, सत्यापन तथा भुगतान की व्यवस्था कराना एवं समस्त देय धनराशि के अभिलेखों के रख–रखाव का प्रबन्ध कराना।

4– इकाई के प्रत्येक उप इकाई की प्रतिमाह दो–दो परियोजनाओं का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना तथा पक्के कार्यो के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री की व्यवस्था करना।

5– इकाई स्तर पर कराये गये कार्यो से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों को पूर्ण कराना तथा भुगतान सुनिश्चित कराना।

6– इकाई के समस्त तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो को विभागीय निर्देशानुसार पूर्ण कराना तथा सभी कर्मचारियों के स्थापना/सेवा विषयक अभिलेखों का रख–रखाव करना।

7– इकाई स्तर पर कराये गये समस्त कार्यो का प्रगति विवरण तथा अन्य सूचनांए मुख्य कृषि अधिकारी को प्रस्तुत करना।

8– इकाई को आवंटित समस्त धनराशि को वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करना तथा उससे सम्बन्धित सूचना प्रेषित करना।

9– भूमि संरक्षण कार्यो पर व्यय की गई धनराशि का अभिलेख तैयार कराना एवं लाभार्थी से वसूली के लिए जिलाधिकारी को प्रेषित करना।

।। सिंगल विण्डो सिस्टम ।।

सिंगल विण्डो सिस्टम के उद्देश्य–

उत्तराखण्ड राज्य के मूल आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं वानिकी पर आधारित है तथा इसके विकास की प्रचुर सम्भावनायें है। राज्य में मैदानी तथा पर्वतीय दोनो क्षेत्रों का प्रतिनिधत्व होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य में केवल कृषि में पर्याप्त विविधता है, अपितु उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी अन्तर है। कृषि के क्षेत्र में किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने, उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी देने उन्नत एवं नवीनतम कृषि निवेशों को उपलब्ध कराये जाने तथा वैज्ञानिक कृषि को अपनाते हुए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने हेतु शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे किसानो तक पहुँचाने के लिए प्रयास किये जाते रहे है, किन्तु उपलब्ध मानव संसाधनों का सही उपयोग न होने के कारण किसानों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने में कठिनाई महसूस की जा रही थी। कृषि विभाग के अन्तर्गत कार्यो के संचालन हेतु राज्य के गठन से पूर्व चली आ रही व्यवस्था में विकासखण्ड स्तर तक ही कृषि कर्मचारी उपलब्ध थे तथा इनके द्वारा मुख्य रूप से सामान्य कृषि के कार्य, कृषि रक्षा, भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण/जलागम प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन किया जा रहा था। इस व्यवस्था में कार्यो का पृथक–पृथक संचालन कृषि कर्मचारियों द्वारा विकासखण्ड स्तर से किया जा रहा था, जिस कारण कृषि क्षेत्र में अपेक्षित लाभ कमियों के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहें थें। नई व्यवस्था के मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–

1–. वर्तमान परिदृष्य में आवश्यकता को देखते हुए कृषि चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रदेश की कृषि का एक नवीनकृत, प्रशासनिक एवं तकनीकी रूप से स्थायी सक्षम तंत्र विकसित करना।

2– पूर्व ढॉचा किसानों से दूर हो रहा है। ऐसा ढॉचा विकसित करना जो किसानों के मध्य रहकर कार्य कर सकें।

3– क्षेत्र स्तर पर कृषकों के मध्य पूर्व व्यवस्था में कृषि विभाग के विभिन्न कार्यो हेतु विभिन्न अनुभाग (सामान्य कृषि, कृषि रक्षा एवं भूमि संरक्षण) कार्य कर रहें थें, उन्हें एकीकृत कर सिंगल विण्डो सिस्टम का रूप दिया गया है।

4– कृषि विभाग के समस्त घटकों जैसे–बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण, कृषि विपणन एवं अन्य रेखीय विभागों का न्याय पंचायत, स्तर पर परस्पर समान्जस्य बनाते हुए किसानों की समस्याओं का त्वरित निदान एक स्थान पर सुनिश्चित करना।

5– पर्वतीय क्षेत्र में बाजार की सबसे बड़ी समस्या है।, जिस कारण कृषकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः उचित बाजार व्यवस्था हेतु सरकारी/गैर सरकारी उपक्रमों को किसानों एवं किसान संगठनों से जोड़ना।

6– आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कृषक हित में करना।

7– उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश की उपलब्धता न्याय पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करते हुए देय अनुदानों का लाभ कृषकों तक सुनिश्चित करना।

8– कृषकों की भागीदारी से स्थानीय आवश्यकतानुसार योजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

9– कृषकों को जैविक खेती एवं स्थानीय रोजगार परक एवं नकदी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाना।

10– प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानो की क्षति का सही मूल्यांकन कर त्वरित सूचना उपलब्ध कराया जाना।

11– जल संरक्षण/नमी संरक्षण हेतु सहभागिता के आधार पर स्थानीय कृषकों आधुनिक तकनीकी के अनुरूप जागरूक किया जाना।

12– कृषकों को कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीकी जानकारी देने तथा उनकी समस्याओं का निदान हेतु कृषि विश्वविद्यालयों , कृषि शोध केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, तथा विषय विशेषज्ञों के मध्य न्याय पंचायत स्तर पर तैनात कृषि कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों का सीधा सम्बन्ध बनाया जायेगा, ताकि लैव टू फील्ड एवं फील्ड टू लैव के पैर्टन पर तथा ट्रैनिंग एण्ड विजिट के आधार पर कार्य किया जा सकें। इसके लिए न्याय पंचायत स्तरीय कृषि केन्द्र को सुद्वढ़ किया जायेगा। वहां पर जो कर्मचारी तैनात होगा, वह कृषकों की जिन तकनीकी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकेगा और जिन समस्याओं का समाधान स्वयं नही कर पायेगा उनके लिए विकासखण्ड इकाई जनपद अथवा निदेशालय से सम्पर्क समस्याओं का समाधान करेगा। जो समस्यायें प्रयोगशालाओं कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित होंगी उनका समाधान सम्बन्धित विशेषज्ञों से सीधा सम्पर्क कर करेगा। जिसके लिए न्याय पंचायत प्रभारी/सहायक कृषि अधिकारी को संचार माध्यम से सक्षम बनाया जायेगा किसान कॉल सेन्टर/टॉलफ्री नम्बर के माध्यम से भी कृषकों के समस्याओं का समाधान करेगा।

13– न्याय पंचायत प्रभारी की मोबिलिटी बनाने हेतु वह न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में सप्ताह में दो गांवो का नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार भ्रमण करेगा, ताकि उन गांवों से सम्बन्धित कृषि एवं औद्योगिक आदि के क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में दक्षता तकनीकी इनपुट लेकर कार्य को एक्सन ओरियन्टेड बनाकर नालेज ट्रांसफर का कान्सेप्ट वास्तविक रूप सें लागू हो सकें। इसके लिए न्याय पंचायतवार व ग्रामों की संख्या के आधार पर विकासखण्ड स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी रोस्टर तैयार करेगा।

14– न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारी के पास मृदा परीक्षण, बीज परीक्षण, बीज शोधन एवं उर्वरक टेस्टिंग की प्राथमिक सुविधा उपलब्ध रहेगी।

15– सहायक कृषि अधिकारी वर्ग– 2 के कर्मचारियों को जिनकी तैनाती न्याय पंचायत स्तर पर की गयी है, उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण समय–समय पर दिया जायेगा। जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों, विश्वविद्यालय, शोध केन्द्रों कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कृषकों के मध्य सम्पर्क कृषक/प्रचार–प्रसार सहायक की सहायता ली जायेगी।

16– प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को रोस्टर तैयार करते हुए कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान को कृषि विज्ञान केन्द्रो द्वारा अपडेट किया जायेगा जिसके लिए कर्मचारी निश्चित तिथि को कृषि विज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु जायेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख को न्याय पंचायत मुख्यालय पर कृषक दिवस का आयोजन किया जायेगा जहां आवश्यकतानुसार कृषि से सम्बन्धित सभी रेखीय विभागों/अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होंगे तथा कृषकों की तकनीकी एवं अन्य समस्याओं को समाधान करेंगे तथा योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

<u>कृषि विभाग के मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत विभिन्न श्रेणी के अधिकारियो के आकस्मिक अवकाश यात्रा कार्यक्रमों की स्वीकृति एवं यात्रा भत्ता बिलों के प्रतिहस्ताक्षरण संबन्धी अधिकारों का प्रतिनिधायन।</u>

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	आकस्मिक अवकाश स्वीकृति अधिकारी	यात्रा कार्यक्रमों का अनुमोदन एवं यात्रा बिलों का प्रतिहस्ताक्षरण अधिकारी
1	2	3	4
1	मण्डलीय अपर कृषि निदेशक	मण्डलायुक्त	कृषि निदेशक
2	मुख्य कृषि अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी/ जिलाधिकारी	यात्रा भत्ता बिलों का प्रतिहस्ताक्षरण मण्डलीय अपर कृषि निदेशक करेंगे।
3	जनपद मुख्यालय स्तर पर/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग के समस्त श्रेणी–2 के अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी।

नोट– 1– समूह–ग एवं घ के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबन्ध में आकस्मिक अवकाश/यात्रा कार्यक्रम अनुमोदन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किया जायेगा।

2 समूह–क एवं ख के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक अवकाश की सूचना निदेशालय को भी प्रेषित की जायेगी।

कृषि विभाग के मण्डल स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबन्धी अधिकार।

क्र0सं0	पदनाम	स्थानान्तरण के स्तर	अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण
1	2	3	4
1	कृषि विभाग के मण्डलान्तर्गत समूह ग एवं घ के समस्त कर्मचारी।	मण्डलान्तर्गत अपर कृषि निदेशक स्थानान्तरण नीति के आधार पर अनुभाग के अन्दर स्थानान्तरण के सक्षम प्राधिकारी होंगे।	अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण कृषि निदेशक, उत्तरांचल के स्तर से किये जायेंगे।

कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भूमि/भवन निर्माण अग्रिम/भवन मरम्मत/वाहन/कम्प्यूटर क्रय/साईकिल क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार।

क्र0सं0	श्रेणी	स्वीकृता अधिकारी	अभिलेखं के रख रखाव का स्तर
1	2	3	4
1–	कृषि विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी	कृषि निदेशक	वित विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर।

अवकाश स्वीकृति हेतु प्राधिकृत प्रशासनिक अधिकार–

क्र0सं0	वर्ग का नाम	परिसीमायें (अर्जित/चिकित्सा अवकाश)	स्वीकृति हेतु अधिकृत प्राधिकारी
1	2	3	4
1–	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3	सम्पूर्ण, देय अवकाश की सीमा तक	कार्यालयाध्यक्ष
2–	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	6 सप्ताह तक	कार्यालयाध्यक्ष
3–	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2	6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	मण्डलीय अपर कृषि निदेशक
4–	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1	6 सप्ताह तक	मण्डलीय अपर कृषि निदेशक
5–	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1	6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	विभागाध्यक्ष
6–	राजपत्रित अधिकारी	1– 60 दिन तक का अर्जित अवकाश	विभागाध्यक्ष
		2.–90 दिन तक का चिकित्सा अवकाश	
		3–सेवानिवृत्ति/सेवारत मृत्यु होने पर अर्जित अवकाश लेखे में संचित पूर्ण अवकाश की स्वीकृति	
7–	निदेशालय में कार्यरत समूह ग, घ के अधिकारी/कर्मचारी	सम्पूर्ण देय अवकाश	विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्राधिकारी
8–	सहायक लेखाकार/प्रधान लिपिक	6 सप्ताह तक	कार्यालयाध्यक्ष
		6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	मण्डलीय अपर कृषि निदेशक
9–	लेखाकार/प्रशासनिक अधिकारी	6 सप्ताह तक	मण्डलीय अपर कृषि निदेशक
		6 सप्ताह से अधिक देय सीमा तक	निदेशक विभागाध्यक्ष
10–	अधीनस्थ कर्मचारियों में कार्यरत अन्य समस्त समूह ग व घ के कर्मचारी	सम्पूर्ण अवकाश	कार्यालध्यक्ष

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/ मुख्य सहायक का जॉब चार्ट।

1– अधिष्ठान के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के साथ अनुभाग में बैठकर कार्य निष्पादन कराना।

2– पर्यवेक्षीय उत्तरदायित्व के साथ–साथ मुख्य सहायक/प्रशासनिक अधिकारी संसद, विधान मण्डल के प्रश्न कर्मियों के लम्बित पावनों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें, कोर्ट कैसेज एवं अन्य विशेष रूप में सौपें गये प्रकरणों को स्वयं देखेंगें।

3– अनुभाग में डाक प्राप्त होने पर तात्कालिक संदर्भो को समान्य से पृथक कर उनमें पताका लगाकर निस्तारण की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।

4– अनुभाग में कार्यरत अपने सहायकों को कार्यो की नियंत्रित रूप से जॉच करते हुए देखेगें कि संन्दर्भो का समय से निस्तारण हो जाय।

5– वह कार्य में गति लाने के उद्देश्य से सहायकों के पटल पर लम्बित प्रकरणों की सूची बनायेंगे। तथा समय–समय पर अनुसार प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

6– कार्य की महत्ता को देखते हुये यह किसी भी सहायक को चाहे प्रकरण उससे संबन्धित भी न हो तो कार्य के निस्तारण हेतु निर्देश दे सकते हैं।

7– कर्मियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराना तथा पंजिका रख–रखाव।

8– अवकाश वार्षिक वेतन वृद्वि, समयमान वेतनमान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे एवं कर्मचारियों के अन्य सेवा संबन्धी मामलों का संबन्धित पटल सहायक से त्वरित निस्तारण कराना।

9– लिपिकीय कर्मियों के कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न न हो। बाहरी सरकारी या अशासकीय व्यक्ति केवल शासकीय कार्य हेतु अनुभाग में आने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति पर प्रवेश करने देना।

10– अनुभाग में लिपिक संवर्गीय कर्मियों के पुननिर्धारण के संबन्ध में सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव कर्मी की वरिष्ठता एवं कार्य दक्षता के आधार पर प्रस्तुत करना।

11– डाक टिकट पंजिका की जॉच एवं अवशेष टिकटों की सत्यता सत्यापन।

12– सामान्य प्रशासन में सहयोग देना।

13– अनुभाग में कार्यरत प्रत्येक पटल सहायकों की कर्तव्य सूची बनाना तथा अनुभागाध्यक्ष से अनुमोदित कराकर अद्यतन रूप से पटल पर रखना।

14– सम्वर्गवार ज्येष्ठता सूचियों को अपनी देख–रेख में तैयार कराना एवं प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कराना।

15– सम्वर्गवार पदोन्नतियों के प्रकरणों को तैयार कराना एवं उनको निस्तारित कराने का कार्य।

16– स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण प्रस्ताव तैयार कराना तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

17– अनुभाग की उपस्थिति पंजिका का रख–रखाव।

18– अभिलेखों के समुचित रख–रखाव तथा अभिलेखागार में पत्रावलियों को समयावधि तक अभिरक्षित एवं निदान की व्यवस्था बनाये रखना।

लेखाकार/सहायक लेखाकार–

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कर्मचारियों का पदनाम जिसके संरक्षण में अभिलेख हैं	अभिलेख का विवरण
	मुख्य कृषि अधिकारी	लेखाकार	पत्रावलियां एवं पंजिकाये
			1. मासिक व्यय विवरण पत्रावली आयोजनागत 2. मासिक व्यय विवरण पत्रावली आयोजनेत्तर 3. मासिक व्यय विवरण पत्रावली आयोजनागत/आयोजनेत्तर 4. महालेखाकार के आंकडों से मिलान संबंधी पत्रावली 5. राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों से संबंधी पत्राचार पत्रावली 6. वसूली से संबंधित पत्रावली 7. राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों से संबंधी रजिस्टर 8. राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों से संबंधी रजिस्टर 9. जनपदवार राजस्व प्राप्तियों/पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त सूचना संबंधी पत्रावली

प्रवर सहायक/कनिष्ठ सहायक–

मुख्य सहायक/प्रशासनिक अधिकारी अधिष्ठान में कार्यरत प्रवर सहायक/कनिष्ठ सहायक के मध्य कार्य के औचित्य के दृष्टिकोण से पटलों का गठन करते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात जॉब चार्ट बनाकर संबन्धित सहायको को पटल विभाजित करेगें। जैसे पेंशन, सामान्य भविष्य निधि प्रकरण, प्रतिपूर्ति दावें, डाक प्राप्ति प्रेषण, भण्डार, कैश एवं जमानत, वेतन बिल, अधिकारियों से लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थापना संबन्धी कार्य, कार्यालय के अन्य अनुभागों में लिपिक के कर्मचारियों की तैनाती तथा अनुभागों में टाइप/कम्प्यूटर टाइप कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिदिन पूर्ण करने का दायित्व संबन्धित सहायकों को सौंपे गये कार्यदायित्व के अनुकूल रहेगा। अनुभाग में कार्यरत प्रवर एवं कनिष्ठ सहायक अपने कृत्यों के निवर्हन हेतु प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं अनुभागीय अधिकारियों के प्रति उत्तरदाई रहेगें तथा पटल सहायकों की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान कराने का दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों का रहेगा।

आशुलिपिक ग्रेड–1/ग्रेड–2/वैयक्तिक सहायक/वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक–

1– वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का रख–रखाव एवं उनके संबन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करना।

2– अति गोपनीय अनुशासनात्मक एवं जांच प्रकरणों की पत्रावलियों का रख–रखाव।

3– अधिकारियों द्वारा दिये गये श्रुतलेख को संक्षिप्त लिपिबद्व करते हुये यथावत टाइप का कार्य

4– अर्द्वशासकीय पत्रों/शीलबन्द लिफाफों, गोपनीय एवं अतिगोपनीय पत्रों को डाक से पृथक कर अधिकारी के सम्मुख पृष्ठादेश हेतु प्रस्तुत करना।

5– उच्च स्तरीय बैठकों से सम्बन्धित ऐजेण्डे, दूरभाष,फैक्स से वाछित सूचना को अधिकारी के सज्ञांन में लाते हुये त्वरित कार्यवाही करना।

6– अधिकारी के आवश्यक निर्देश पर डाक मार्क करना।

7– अधिकारी के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्तिम अनुमोदित भ्रमण पत्रावली का रख–रखाव।

8– अधिकारी को आवंटित वाहन की लॉग बुक का अद्यतन रूप से वाहन चालक से पूर्ण कराना तथा वाहन द्वारा मासिक तय की गई दूरी एवं पेट्रोल, डीजल के औसत का रख–रखाव कराना।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–

कृषि विभाग में चतुर्थ श्रेणी पदनाम से पदों का सृजन हुआ है अतः कृषि विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनाती पद विशेष के आधार पर यथा चौकीदारी, अर्दली, हलवाह कार्यालय चपरासी, लैब परिचारक, क्षेत्र परिचारक, क्लीनर के कार्यदायित्वों के निर्वहन के साथ–साथ अधिकारियों एवं कार्यालय सहायकों द्वारा मौखिक/लिखित में शासकीय कार्यहित में दी गई आज्ञा का पालन शालीनता के साथ सुनिश्चित करेगें।

।। मैनुअल–3 ।।

(विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम् सम्मिलित है)

विभागाध्यक्ष/निदेशालय से प्राप्त निर्देशो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती हैं।

3.1– 1– वित्तीय मामलों में वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं एवं शासनादेश, वित्तीय आवंटन में दिये गये निर्देशो के आधार पर वित्त एवं लेखा नियंत्रक के परामर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता हैं।

2– नियोजन/स्थापना मामलों में प्रचलित सेवा नियमावलियों/ग्रेडेशन लिस्ट/सेवा के संवर्ग के कर्मियों के मामलो के निस्तारण में शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रकरणों के निस्तारण में कार्यालय स्तरों से प्रस्तुत प्रस्तावों के समुचित परीक्षण हेतु समिति गठित करते हुए समिति के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का होता है।

3– प्रशासनिक मामलों में शासन की समय–समय पर प्रचलित नीति एवं शासनादेशों, में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण किया जाता हैं।

4– गुणवत्ता नीति के अधीन उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, बीज अधिनियम 1966, नियम 1968 एवं बीज अधिनियम 1983 कीट पादप रोग अधिनियम 1968, खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता को परखने के लिए भारत सरकार के अधिनियम 1937 में प्रदत्त व्यवस्था का अनुपालन किया जाता है।

3.2– किसी विशेष विषय जिस विभागाध्यक्ष/कार्यलयाध्यक्षों को निर्णय लेने में कठिनाई हो जाती है तो ऐसे विषयों पर विभागाध्यक्ष शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त कर निर्णय लेते हैं तथा अधिनस्थ कार्यालयों के कार्यलयाध्यक्ष किसी विशेष विषय पर अपने मण्डलीय अधिकारियों/निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए तद्नुसार निर्णय लेते हैं। विधि–विषयों में प्रकरण शासन को संदर्भित कर न्याय विभाग की सहमति पर निस्तारित किये जाते है तथा वित्त सम्बन्धी जटिल प्रकरणों पर शासन के वित्त विभाग से प्रशासनिक विभाग के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

3.3– विभाग के विभिन्न स्तरों पर नियुक्त अधिकारी अपने विभागीय कर्मचारियों एवं सूचना तंत्र के माध्यम से विभागीय कार्यकलापों पर लिये गये निर्णय एवं शासन की जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं एवं विभागीय योजनाओं का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करते हैं तथा जिला पंचायत एवं क्षेत्रपंचायत की बैठकों में भी इस आशय की जानकारी सुलभ कराते हैं।

3.4– अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी विभागीय स्तर पर कृषि निदेशक है।

3.5– मुख्य विषय पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है।

मैनुअल–3(ए)

कृषि विभाग में वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया–

वित्तीय प्रक्रिया में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–2, प्रोक्यूरमैंट नियमावली तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन किया जाता है। इसके अन्तर्गत मुख्य–मुख्य निर्णय निम्नप्रकार प्रस्तरवद्व किये जा सकते है।

बजट आबंटन तथा उपयोग की प्रक्रिया–

आयोजनागत मद में शासन से परिव्यय स्वीकृत होता है परिव्यय व बजट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनपदों को विभागीय कार्ययोजना के अनुरूप वित्तीय लक्ष्य दिये जाते है। इन वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष बजट का योजनावार ऑवटन जनपदों व अन्य कार्यालयों (यथा सांख्यिकी हेतु जिलाधिकारी के अधीन कार्यरत कृषि कार्मिकों के अधिष्ठान से सम्बन्धित) को ऑवटन किया जाता है।

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्ययोजना के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बजट मैनुअल परक्यूरमैन्ट नियमावली वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों का संज्ञान लेते हुए बजट का उपयोग किया जाता है।

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं का पूर्ववर्ती माह का व्यय विवरण निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–8 पर निदेशालय को आगामी माह में उपलब्ध कराया जाता है। आहरण वितरण अधिकारियेां से प्राप्त व्यय विवरण बी0एम0–8 को योजनावार संकलित कर संकलित सूचना प्रारूप बी0एम0–12 तैयार कर महालेखाकार को एवं प्रारूप बी0एम0–13 पर तैयार कर शासन को प्रेषित की जाती है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण–

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा समस्त आयोजनागत/आयोजनेत्तर योजनाओं में उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग–1 में निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को प्रेषित किया जाता है।

सम्प्रेक्षण (आडिट) की प्रक्रिया–

आबंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुकूल किया गया है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति ससमय की जाती हैं। सम्प्रेक्षण महालेखाकार, विभाग तथा बाहय एजेन्सी के माध्यम से किया जाता है। विभागीय सम्प्रेक्षण में प्रकाश में आयी आपत्तियों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती हैं तथा आडिट/प्रस्तर रिपोर्ट कृषि निदेशालय, को भी भेजी जाती है।

।। मैनुअल–4 ।।

(कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित माप मान)

नीति निर्धारण निदेशालय स्तर पर होता है। तद्सम्बन्धी निर्देशो का पालन किया जाता है वर्ष 2015–16 के कृषि गणना के अनुसार कुल 1.44 लाख हैक्टेयर जातों में से 0.04 लाख हैक्टेयर अनुसूचित जाति तथा 0.27 लाख हैक्टैयर अनुसूचित जन जाति के कृषकों की जोत है तथा इसमें से 0.53 लाख हैक्टैयर जोत लघु सीमान्त कृषकों के पास उपलब्ध है।

अधिकांश जोतों का आकार लघु सीमान्त श्रेणी में आने के कारण एक ही विकल्प रह जाता है कि प्रति इकाई उत्पादन को जहॉ तक संभव हो सके अधिकतर किया जाय। इस संदर्भ में निम्नांकित नीति अपनाई गई है।

- अनुसूचित जाति बहुल महत्वपूर्ण ग्रामों का चयन।
- चयनित ग्राम का सूक्ष्म नियोजन।
- विभिन्न कार्यक्रमों को अलग–अलग प्रस्तावित न करते हुये चयनित क्षेत्र का सर्वागीण विकासं
- कार्ययोजना को लाभार्थी उन्मुख बनाते हुये प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले कृषक परिवारों की संख्या सुनिश्चित करना।
- अधिक मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन तथा कृषि विविधीकरण।

1– 1–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

योजना वर्ष 2007–08 से वर्ष 2014–15 तक शतप्रतिशत केन्द्रपोषित थी तथा वर्ष 2015–16 से 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है।

योजना के उद्देश्य–

1– कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्वि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।

2– कृषि जलवायुवीय स्थितियों तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनायें तैयार करना तथा उनका निष्पादन सुनिश्चित करना।

3–यह सुनिश्चित करना कि राज्यों की कृषि योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं की फसलों, प्राथमिकताओं को बेहतर रूप से प्रतिबिंबित किया जाय।

4–महत्वपूर्ण फसलों में उपज अन्तर को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करते हुये उत्पादन में वृद्वि करना।

5–कृषि संवर्गीय क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्वि करना।

योजना का कार्य क्षेत्र– योजना के अन्तर्गत अब तक कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कुल 19 विभागों एवं संस्थाओं की कुल 189 परियोजनाओं को वित पोषित किया गया है, जिससे 149 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी है।

2– नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM)

योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के फण्डिंग पैटर्न पर आधारित है। योजनान्तर्गत चावल व गेहूँ के अतिरिक्त मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन उत्पादन कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि वर्ष 2020–21 में भी संचालित है।

1– एन0एफ0एस0एम0 चावल– के अन्तर्गत 5 जनपद उधमसिंहनगर, पौडी, हरिद्वार, अल्मोडा, एवं पिथौरागढ का चयन किया है।

2– एन0एफ0एस0एम0 गेहूँ– के अन्तर्गत 9 जनपद उधमसिंहनगर, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, नैनीताल पौडी, हरिद्वार, अल्मोडा, एवं पिथौरागढ का चयन किया है।

3– एन0एफ0एस0एम0 दलहन– के अन्तर्गत सभी जिलों को आच्छादित किया है।

4– एन0एफ0एस0एम0 तिलहन– के अन्तर्गत सभी जिलों को आच्छादित किया

कार्यक्रमों के संचालन हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रदेश स्तर पर स्टेट फूड सिक्योरिटि मिशन एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया है तथा जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी मिशन एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।

प्रस्तावित लक्ष्य वर्ष 2020–21 में चावल के अंतर्गत 6.60 लाख मै0टन, गेहूँ के अंतर्गत 10.00 लाख मै0टन, मक्का के अंतर्गत 0.55 लाख मै0टन तथा दलहन के अंतर्गत 0.75 लाख मै0टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के घटक–

1– क्लस्टर डिमान्सट्रेशन– क्लस्टर प्रदर्शन के लिये मैदानी क्षेत्रों में 100 है0 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 है0 के क्लस्टर चयनित करने की व्यवस्था है। चयनित क्लस्टर क्षेत्र में किसानों को चावल, गेहूँ, दलहन के क्लस्टर समूह प्रदर्शन हेतु रू0 9000.00 प्रति है0, मोटे अनाज हेतु रू0 6000.00 प्रति है0, तिलहन के समूह प्रदर्शन हेतु रू0 3000.00 प्रति है0 तथा फसल चक्र आधारित समूह प्रदर्शन हेतु रू0 15000.00 प्रति है0 की दर से राज सहायता देय है।

2– बीज वितरण– किसानों को धान, गेहूँ के 10 वर्ष से कम अवधि की उन्नत प्रजाति कि बीजों पर रू0 2000.00 प्रति कु0, तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रजाति के बीजों पर 1000.00 रू0 प्रति कु0, धान तथा मक्का के संकर प्रजाति हेतु रू0 10000.00 प्रति कु0, मोटे अनाज के 10 वर्ष से कम अवधि के उन्नत प्रजाति के बीजों पर रू0 3000.00 प्रति कु0 अनुदान दिया जा रहा है। दलहन के 10 वर्ष से कम अवधि के उन्नत प्रजाति के बीजों पर अनुदान की अनुमन्य सीमा रू0 5000.00 प्रति कु0 निर्धारित की गयी है।

3– पौध एवं मृदा प्रबन्धन– किसानों को इसके अन्तर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों, पौध रक्षा रसायनों एवं खरपतवारनाशी के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 500.00 प्रति है0 जो कम हो का अनुदान अनुमन्य है।

4– कृषि यंत्र वितरण– धान, गेहूँ, मोटे अनाज एवं दलहन की फसलोत्पादन प्रक्रिया में उपयोगी उन्नतशील कृषि यंत्रों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जैसा कि पृथक–पृथक यंत्रों के लिये सुनिश्चित है, अनुदान उपलब्ध है।

5– सिंचाई यन्त्र वितरण– इसके अन्तर्गत कृषकों को सिंचाई हेतु जल संवहन पाइप, जल पम्प, स्प्रिंकलर सैट्स एवं मोबाइल रेन गन मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा जो कि विभिन्न यंत्रों हेतु अलग–अलग निर्धारित है, किसानों के लिए अनुदान की सुविधा पर उपलब्ध है।

3– राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)

(अ) सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)–

योजना 90 प्रतिशत केन्द्रपोषित है।

योजना के उद्देश्य–

1– कृषकों के फार्मिंग सिस्टम की सभी समस्याओं का निदान कराते हुए समग्र उत्पादन एवं आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर ऊँचा उठाना।

2– कृषि एवं कृषकों का सबलीकरण।

3– सभी कृषकों, अनुसंधान संस्थाओं एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सहभागी उद्देश्यों हेतु जोडना एवं सुदृढ़ करना।

4– कृषि प्रबंध व्यवस्था में सबलीकरण हेतु कृषक समूहों का गठन करना।

5– योजना का क्रियान्वयन संबंधित विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थानों एवं कृषक समूहों आदि के द्वारा कराना।

कार्यक्रम की मदें–

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, गन्ना, मत्स्य विकास संबंधित क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार स्ट्रेटेजिक एक्सटेंशन रिसर्च एण्ड एक्सटैंशन प्लान तैयार की जाती है तथा भारत सरकार से कार्य योजना अनुमोदन के उपरान्त केन्द्रांश प्रदेश सरकार को भेजा जाता है।

योजनान्तर्गत मुख्यतः कृषक प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण, फसल प्रदर्शन, कृषक समूहों को प्रोत्साहन, कृषक पुरूष्कार वितरण, किसान मेले/फल–सब्जी प्रदर्शनी, प्रचार–प्रसार सामग्री का वितरण, सूचना तकनीक के इलेक्ट्रोनिक माध्यम का उपयोग, कृषक वैज्ञानिक संवाद, फील्ड–डे गोष्ठी, फार्म स्कूल संचालन, कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/समूहों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते हैं।

(ब) सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM)

भारत सरकार द्वारा 2014–15 से कृषि यंत्रीकरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है।

मिशन के उद्देश्य–

1– लघु एवं सीमांत कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढाना।

2– कस्टम हायरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना, जिससे सीमान्त एवं लघु जोत वाले कृषकों को भी कम कीमत में आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें।

3– सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का एक समूह तैयार करना।

4– प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों में कृषि यंत्रीकरण के प्रति जागरूकता लाना।

5– प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की क्षमता एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराना।

(स) सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल (SMSP)–

यह योजना 90:10 फंडिंग पैटर्न पर संचालित की जा रही है।

1–योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक को एक एकड क्षेत्रफल के लिए धान्य फसलों के प्रमाणित बीजों पर 50 प्रतिशत तथा दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रमाणित बीजों पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

2–आधारीय एवं प्रमाणित बीजों की व्यवस्था केन्द्र अथवा राज्यों के बीज निगमों के माध्यम से की जाती है।

3– कृषक प्रशिक्षण– बीजोत्पादन कार्यक्रम से जुडे किसानों को एक–एक दिवसीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण, पहला प्रशिक्षण बुआई के समय, दूसरा फूल आने के समय तथा तीसरा फसल कटाई के समय दिया जाता है, ताकि किसानों को तत्कालीन आवश्यक शस्य क्रियाओं की जानकारी हो सके।

4–राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (NMSA)–

राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में समन्वित फसल पद्वति के प्रोत्साहन के उपायों को अपनाकर टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना है।

योजना के उद्देश्य–

1– स्थान विशेषिक समेकित कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायिक परिवेश के अनुकूल बनाना।
2– समुचित मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
3– मृदा उर्वरता मानचित्रों, मृदा परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म एवं मुख्य पोषक तत्वों का प्रयोग एवं उर्वरकों का न्यायिक प्रयोग द्वारा स्वास्थ्य प्रबन्धन।
4– प्रति बंद अधिक फसल के सिद्वान्त को सुदृड करने के उद्देश्य से समुचित जल प्रबन्धन से जल की उपयोगिता को बढाना।
5– अन्य मिशनों यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन आदि के संयोजन से कृषकों की क्षमता विकास करना।

योजना के घटक–

(अ) रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास) कार्यक्रम–

इसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 हेतु प्रदेश में 10 क्लस्टरों का चयन किया गया है, जिसमें उद्यान आधारित कृषि पद्वति, पशुपालन आधारित कृषि पद्वति, दुग्ध उत्पादन आधारित कृषि पद्वति, वृक्ष उत्पादन आधारित फसल प्रणाली एवं कृषि वानिकी आधारित कृषि पद्वति में कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु रू0 59.65 लाख की योजना का अनुमोदन किया गया है।

5– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)–

1– योजना 50 प्रतिशत केन्द्रपोषित है। प्रीमियम पर कृषक अंश को कम करते हुए शेष प्रीमियम धनराशि पर 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।
2–योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत 10 बीमा कम्पनी के सहयोग से किया जा रहा है।

योजना की विशेषतायें –

1– योजना में केवल उन्हीं फसलों को शामिल किया जाता है, जिनके संबंध में कम से कम 10 वर्षो के लिये फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उत्पादकता के पूर्व ऑकडे उपलब्ध हैं तथा प्रस्तावित मौसम के दौरान उत्पादकता के अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त संख्या में फसल कटाई प्रयोग किये जाते हैं।
2– बीमा से आच्छादित फसलें, खरीफ मौसम में चावल , मंडुवा तथा रबी मौसम में गेहूँ एवं मसूर।
3– किसानों की पात्रता– संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान।
4– अनिवार्यता के आधार पर–ऋणी किसान जो संसूचित फसल उगा रहे हैं और वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि प्रचालन ऋण ले रहे हैं।
5–स्वैछिक आधार पर– संसूचित फसल उगाने वाले अन्य किसान जो इस योजना में आने की इच्छा रखते हैं।
6– कवर किये गये जोखिम एवं अपवाद– व्यापक जोखिम बीमा अनिरोध जोखिम के कारण होने वाले उत्पादकता में क्षति को कवर करने के लिए मुहैया कराया जायेगा जैसेः–

6. प्राकृतिक रूप से आग लगना और बिजली गिरना।
7. तूफान, ओला, चक्रवात, टाईफून, समुद्री तूफान, हरीकेन, टोरनेडो आदि।
8. बाढ, जल प्लावन एवं भू–स्खलन।
9. सूखा, शुष्क अवधि
10. कृमि/रोग इत्यादि।

6– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) (Per Drop More Crop)

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश स्तर पर सिंचाई हेतु आवश्यक जल एवं जल स्रोतों का आंकलन कर योजना तैयार करना तभा प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक रूप से जल के उपयोग को बढाना और खेती योग्य भूमि के सिंचित क्षेत्र में वृद्वि करने के उद्देश्य से योजना का संचालन किया जा रहा है।

योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जल संचयन हेतु बहुउद्देश्यीय टैंक, चेकडेम, कच्चे एवं पक्के जल संचय तालाब, सिंचाई गूल, सिंचाई नाली, हौज, परम्परागत जल स्रोतों का पुनरूद्वार तथा विस्तार आदि कार्य संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही क्षमता विकास प्रशिक्षण

कार्यक्रम तथा सामूहिक सिंचाई आदि को बढावा देना व जल संरक्षण तकनीकों प्रैक्टिस एवं कार्यक्रमों आदि हेतु कार्यशाला आदि द्वारा जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

1– Accelerated Irrigation Benefit Programme (ए0आई0बी0पी0)

2– पी0एम0के0एस0वाई0 (पर ड्राप मोर कॉप)

3– पी0एम0के0एस0वाई0 (हर खेत को पानी)

4– पी0एम0के0एस0वाई0 (जलागम विकास)

योजना की रणनीति–

6. तिलहन फसलों के अन्तर्गत विभिन्न उन्नत प्रजातियों के बीजों की प्रतिस्थापन दर को बढाना।
7. तिलहन फसलों के अन्तर्गत सिंचिंत क्षेत्र को बढाना।
8. तिलहन फसलों द्वारा कम उत्पादक खाद्यान्न फसलों के साथ कृषि विविधीकरण को बढावा देना।
9. धान/आलू उत्पादन के बाद खाली रहने वाली भूमि को उपयोग लाना।
10. तिलहन फसलों के अधिक उपजदायी बीजों की उपलब्धता कराना।

7– जिला योजना

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें धनराशि आवंटन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त होता है। योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा उन कार्यो को प्रस्तावित किया जाता है जो कार्य केन्द्र पोषित या अन्य किसी योजना में सम्मलित न हों। योजना में मुख्यतः मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, भूकटाव नियंत्रण एवं पौध सुरक्षा आदि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

8– राज्य सैक्टर (अनु0 जाति, जनजाति योजना)

यह राज्य सैक्टर की योजना है, जिसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड से पृथक–पृथक एस0सी, एस0टी0 की एक ग्राम पंचायत चयनित कर कृषक समूहों को कृषि निवेश पूर्ण अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

9– परम्परागत कृषि विकास योजना–

राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजेना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी0जी0एस0 सर्टीफिकेट के अन्तर्गत जैविक कृषि के माध्यम परम्परागत फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना है।

योजना के उद्देश्य–

1. प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना।
2. उपज कीटनाशक मुक्त हो जो उपभोक्ता के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान देना।
3. उत्पादन लागत के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए किसानों को प्रेरित करना।

10– नमामि गंगे योजना–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत गंगा बेसिन पर बसे विकासखण्डों में नमामि गंगे योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी0जी0एस0 सर्टीफिकेट के अन्तर्गत जैविक कृषि के माध्यम परम्परागत फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना है।

योजना के उद्देश्य–

1. प्रमाणित जैविक खेती के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना।
2. उपज कीटनाशक मुक्त हो जो उपभोक्ता के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान देना।
3. उत्पादन लागत के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए किसानों को प्रेरित करना।

।। मैनुअल– 5 ।।

(अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेशन निर्देशिका और अभिलेख)

संगठनो के पास शासकीय दस्तावेजो की जानकारी देने हेतु निर्धारित रूपपत्रो की ही प्रयोग किया जायेगा और निदेशालय स्तर से प्राप्त होने वाले दस्तावेजो का पालन किया जायेगा। विभाग में निम्न अधिनियम/अधिसूचनाओं के प्राविधानानुसार तथा समय–समय पर संशोधित अधिनियम/अधिसूचनाओं के अनुसार ही कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं।

क–

क0 सं0	विवरण
	जनपद में बीज अधिनियम/अधिसूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करना।
1.	बीज अधिनियम 1966
2.	बीज नियम 1968
3.	बीज नियंत्रण आदेश 1983
	जनपद में कीटनाषी अधिनियम/अधिसूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करना।
1	कीटनाशी अधिनियम 1968
2	कीटनाशी नियम 1971
3	कीटनाशी आदेश 1986
4	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी रसायन विनिर्माण हेतु लाइसेन्स जारी करने विषयक अधिसूचना संख्या 342 दिनांक 13 फरवरी 2001
5	कीटनाशी अधिनियम के अर्न्तगत अपील अधिकारी नियुक्ति विषयक सूचना सं0–343 13 फरवरी, 2001
6	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी निरीक्षक नियुक्ति विषयक अधिसूचना सं0 344 दिनांक 13फरवरी,2001
7	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अर्न्तगत कीटनाशी के उपयोग या हाथ लगने से उत्पन्न विषाक्ता सम्बन्धी अधिसूचना संख्या –345 13 फरवरी 2001
8	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन अभियोजन संस्थित करने विषयक अधिसूचना संख्या –346 13 फरवरी 2001
9	उत्तरांचल (उ0प्र0) कृषि रोग व कीट अधिनियम 1954 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश दिनांक 8.11.2002
10	कीटनाशी अधिनियम 1976 के सम्बन्ध में निरीक्षण दल की अधिसूचना संख्या–1459 दिनांक 09 दिसम्बर, 2003
11	कीटनाशी अधिनियम 1968 के सन्दर्भ में कीटनाशी विश्लेषक की अधिसूचना संख्या– 1528 दिनांक 19 मार्च, 2003
12	कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कीटनाशी नियमावली 1971 के सम्बन्ध में अपील प्राधिकारी नियुक्ति विषयक अधिसूचना संख्या–1441 दिनांक 5 दिसम्बर, 2003
13	एन0डब्लू0डी0पी0आर0ए0 योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शासनादेश संख्या–1265 दिनांक

	18 मई, 2005
14	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि सहकारिता विभाग फरीदाबाद, हरियाणा का पत्रांक 115–6 दिनांक 16/18.7.2007
15	कार्यालय ज्ञाप अपील का प्राधिकार पत्रांक 2526 दिनांक 13 अगस्त, 2007
16	कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 6476 दिनांक 13 मार्च, 2008
17	कार्यालय ज्ञाप संयत्र/उपकरण विषयक टास्क फोर्स समिति पत्रांक 6140 दिनांक 18 फरवरी, 2009
	कृषि उत्पादन मण्डी
28.	कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964
29.	कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965
30.	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972
31.	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली 1984
32.	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अधिकारी एवं कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली 1984
33.	अधिनियम के अर्न्तगत सर्कुलर एवं अधिसूचनायें
	कृषि उत्पाद एक्ट
34.	कृषि उत्पाद (ग्रेडिंग & मार्किग) एक्ट 1937
	जनरल (ग्रेडिंग एण्ड मार्किग) रूल्स
35.	जनरल (ग्रेडिंग एण्ड मार्किग) रूल्स 1988
	स्थानान्तरण नीति/कार्यालय ज्ञाप/षासनादेष
36.	सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2008, 2009 एवं 2010
37.	कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग का कार्यालय ज्ञाप–1340 दिनांक 07 नवम्बर, 03
38.	कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग का कार्यालय ज्ञाप–1341 दिनांक 07 नवम्बर, 03
39.	मृदा परीक्षण शुल्क की दरों में संशोधन किया जाना सं0–1472दिनांक 17.11.05
40.	सहकारी संस्थाओं के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, मृदा सुधारक जैव कीटनाशी, खर–पतवारनाशी, हरीखाद के बीजों पर किसानों को अनुदान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–905 दिनांक 20 जून, 2007
	विनियमितीकरण
41.	उत्तरांचल (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितिकरण नियमावली 2002
42.	उत्तरांचल सचिवालय से इतर च0श्रे0 कर्मचारियों/राजकीय वाहन चालकों को ग्रीष्म कालीन तथा शीतकालीन वर्दी अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में सं0–1706 दि0 2.11.04

	सेवा नियमावलियां
24.	उत्तर प्रदेश कृषि (समूह 'क') सेवा नियमावली 1992
25.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि समूह 'क' पद सेवा नियमावली 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
26.	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995
27.	उत्तरांचल (उ0प्र0कृषि समूह 'ख' पद सेवा नियमावली 1995) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
28.	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993
29.	उत्तरांचल (उ0प्र0 अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
30.	वेतन विसंगति (1997–99) मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सांख्यकीय सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति
31.	कार्यालय ज्ञाप सं0 1333 दिनांक 06.09.2005 कनिष्ठ अभियन्ता पद कृषि सेवा नियमावली 1993 के परिशिष्ठ 'ख' में सूचीबद्व विषयक
32.	वेतन समिति 1997–99 की संस्तुतियों के अनुरूप प्रदेश के अवर अभियन्ताओं को वर्तमान वेतनमान 4500–7000 के स्थान पर 5000–8000 के वेतनमान की स्वीकृति
33.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982
34.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा संशोधन नियमावली 1983
35.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
36.	समता समिति (1989) पर लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में लेखा सम्वर्ग के वेतनमानों का निर्धारण
37.	द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979–80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार लेखा सांख्यिकीय तथा लेखा परीक्षा सम्वर्ग में नये वेतनमानों की स्वीकृति
38.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लेखा (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1982 (उत्तरांचल संशोधन) नियमावली 2005
39.	कार्यालय ज्ञाप संख्या 436 दिनांक 27 मार्च 2006 सहायक लेखाकार/लेखाकार 80:20
40.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा नियमावली 1992
41.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा नियमावली 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
42.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान सेवा नियमावली 2000
43.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ड्राइंग इस्टेवलिसमेन्ट सेवा नियमावली 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
44.	उत्तराखण्ड कृषि विभाग रेखांकन अधिष्ठान (संशोधन) सेवा नियमावली 2008
45.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983
46.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
47.	उत्तराखण्ड कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली 2009
48.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 1984

49.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 1984) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
50.	समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली 2004
51.	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993
52.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
53.	उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 2003
54.	सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974
55.	उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली 1993
56.	उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1994
57.	उत्तरांचल(उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
58.	उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2004 (प्रथम संशोधन)2004

ख–

क0 सं0	विवरण
	फर्टीलाइजर
1.	फर्टीलाइजर कन्ट्रोल एक्ट 1985
2.	फर्टीलाइजर (मूवमेन्ट कन्ट्रोल) आदेश 1973
3.	उर्वरक नियन्त्रण संशोधित अधिसूचना संख्या 1673 दिनांक 5.03.2003
4.	उर्वरक (नियन्त्रण) 1985 के अन्तर्गत संशोधित फरवरी, 2019
	उत्तर प्रदेष भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम
5.	उत्तरांचल (उ0प्र0 भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
6.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963
7.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 के अधीन नियमावली 1963
8.	उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण (संशोधन) नियमावली 1971
	विभागीय पुर्नगठन अधिसूचनाएं
9.	अधिसूचना संख्या 680 दिनांक 4 अक्टूबर 2001
10.	अधिसूचना संख्या 782 दिनांक 27 अक्टूबर 2001
11.	अधिसूचना संख्या 956 दिनांक 2 अगस्त 2003
12.	संशोधित अधिसूचना संख्या 1254 दिनांक 28 फरवरी 2004
13.	कृषि विभाग के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल सम्वर्ग के संगठनात्मक ढ़ाचें के पुर्नगठन के सम्बन्ध में शा0 सं0 720 दिनांक 22.10.2008 शां0 सं0 570 दिनांक 20.08.2008 शां0 सं0 277 दिनांक 24.11.2006
14.	शा0 सं0 411 दिनांक 28.07.2009 उत्तराखण्ड कृषि विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन)

	नियमावली 2009
15.	शा0 सं0 648 दिनांक 17.09.2009 24 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य समयमान वेतनमान सम्बन्धी
16.	शा0 सं0 860 दिनांक 17.11.2009 प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदानित मूल्य पर यंत्र वितरण की प्रक्रिया एवं प्रणाली का निर्धारण
17.	24 वर्ष की सेवा अनुमन्य विषयक समयमान वेतनमान सम्बन्धी शा0 सं0 899 दिनांक 30.09. 2009
18.	वाहन चालक के सम्वर्गीय ढ़ाचें के सम्बन्ध में शा0 सं0 978 दिनांक 30.12.2009
19.	एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण योजना के क्रियान्वयन हेतु संशोधित दिशा निर्देश
20.	लिपिक वर्गीय स्टांफिग पैर्टन विषयक शा0सं0 183 दिनांक 11.02.2010
21.	आशुलिपिक सेवा (संशोधित) नियमावली 2010 शा0सं0 215 दिनांक 10.03.2010
22	पुर्नगठन संशोधित अधिसूचना संख्या 225 दिनांक 11.03.2010
23.	सिंगल विन्डों विषयक अधिसूचना संख्या 481 दिनांक 28.05.2010

।। मैनुअल–6 ।।

(ऐसे दस्तावेजो जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गो का विवरण)

कार्यालय कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न व्यवस्था के अनुसार कार्यालय सुसज्जित किया गया हैं।

उक्त क्रम में निम्नानुसार समस्त कार्यालय सहायको को विभिन्न कार्यो को सौंपा गया हैं।

क्र0	सं0 कार्मिक का नाम	पदनाम	सौपे गये कार्यदायित्व	अभ्युक्ति
1	श्री राजन सिंह गुसांई	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय पर्यवेक्षण का दायित्व/सूचना का अधिकार एवं जी0पी0एफ0 से सम्बन्धित समस्त कार्य	
2	श्री दर्मियान सिंह नेगी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	पेंशन/स्थापना सी0आर0एवं कोर्ट केस से सम्बन्धित कार्य	
3	डा0 नलिनी सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	खाद्यय सुरक्षा मिशन, नमसा, फसल बीमा, पी0एम0के0एस0वाई0योजना,बीज ग्राम योजना,नौथा फार्म,सी0एम0 हैल्पलाइन एवं कृषि रक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य	
4	श्री सोनू राम	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	नमसा,पी0के0वी0आई0 पी0एम0स्वास्थ्य कार्ड,जिला योजना,आर0के0वी0आई(यंत्रीकरण), आर0के0वी0आई(जैविक कार्यक्रम), अनु0जाति/जनजाति विकास योजना,एस0उम0एम0एम0 एवं अन्य विभागीय कार्य	
5	श्री सुधीर बड़थ्वाल	लेखाकार	वजट/लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य	
6	श्री विनय वमराड़ा	कनिष्ठ सहायक	कैश/भण्डार/बिल/डिसपैच एवं इन्डैक्स से सम्बन्धित कार्य	
7	कुमारी ऋतु काम्बोज	कनिष्ठ सहायंक	टंकण से सम्बन्धित समस्त कार्य	
8	विनोद कुमार गौतम	सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1	कृषि रक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य	
9	श्रीमती किरण शाह	वरिष्ठ सहायक	स्थापना/योजनाओं से सम्बन्धित कार्य	

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा।				
1	श्री उमेश सिंह	वरिष्ठ सहायक	पी0एम0 किसान/जी0पी0एफ0	
2	श्री जीत सिंह राणा	प्रधान सहायक	कैश एवं भण्डार से सम्बन्धित कार्य	
3	श्री अमित कुमार सिंह	कनिष्ठ सहायक	सूचना का अधिकार से सम्बन्धित कार्य एवं स्थापना/पेन्शन से सम्बन्धित कार्य	
3	श्री आन्नद सिंह पवार	अपर सहायक अभियन्ता	विभागीय तकनीकी से सम्बन्धित कार्य	
4	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	वर्ग–1	विभागीय तकनीकी से सम्बन्धित कार्य	
5	श्री दिनेश प्रसाद सेमल्टी	वर्ग–2	विभागीय तकनीकी से सम्बन्धित कार्य	
6	श्री कुंवर सिंह	च0श्रेणी	पत्र प्रेषण कार्य	

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर			
1	श्री श्याम देव बर्मन	स0कृ0अ0 वर्ग–2	विभागीय तकनीकी से सम्बन्धित कार्य
2	श्री हर्षलाल नगवाण	प्रशासनिक अधिकारी	सू0का अधि0, जी0पी0एफ0, कोर्ट केस आदि
3	श्री प्रवीन नेगी	प्रधान सहायक	स्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्य
4	श्री विक्रम सिह रावत	प्र0 मानचित्रक	परियोजना पत्रावलियों का रख–रखाव, माप पुस्तिका का व्यय अभिलेखों से मिलान , जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव रख–रखाव आदि
5	श्री मनीष थपलियाल	सहायक लेखाकार	लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्य (कृ0भू0सं0अ0 उत्तरकाशी से सम्बन्ध)
6	श्री रमेश नौटियाल	वरिष्ठ सहायक	कैश/भण्डार संबंधित समस्त कार्य
7	श्री कलम सिंह नेगी	कनिष्ठ सहायक	जिला योजना/एस0एम0ए0एम0/बीज ग्राम एवं राज्य योजना, वेतन, टंकण आदि कार्य
8	श्री रोहित लिंगवाल	कनिष्ठ सहायक	आर0के0वी0वाई0, पी0एम0के0एस0वाई0, डिस्पैच, टंकण

9	श्री मयंक डोभाल	कनिष्ठ सहायक	मु0कृ0अ0 टि0ग0 कार्यालय में सम्बद्ध

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी				

श्रीमती सुनिता शाह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	विभागीय तकनीकी/सूचना अधिकार से सम्बन्धित कार्य
श्री राजेन्द्र सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	विभागीय तकनीकी/मानचित्रक
श्रीमती अलका थपलियाल	कनिष्ठ सहायंक	कार्यालय भण्डार/स्था0/पेशन जी0पी0एफ0 एवं कमप्यूटर टंकण आदि
श्री सुनील पंवार	लेखाकार	लेखा पटल
श्री नितिश कुमार शर्मा	कनिष्ट सहायक	कैश/पी0एम0किसान

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तिनगर

	श्री मुकेश कुमार सैनी,	अपर सहायक अभियन्ता	विभागीय तकनीकी से सम्बन्धित कार्य।	
	श्रीमती संगीता सिंह	स0कृ0अ0, वर्ग–1	विभागीय तकनीकी से सम्बन्धित कार्य ।	
	श्री सुरेन्द्र सिंह सजवाण	प्रभारी मानचित्रक (अनुरेखक)	मानचित्रक कक्ष से सम्बन्धित कार्य।	
	श्रीमती रामेश्वरी पाण्डे	प्रशासनिक अधिकारी	कैश पटल से सम्बन्धित कार्य।	
	श्री विपिन चन्द कुमांई	प्रधान सहायक	स्थापना/भण्डार पटल से सम्बन्धित कार्य।	
	श्री आशीष कुमार	वरिष्ठ सहायक	पेंशन, वेतन एवं जी0पी0एफ0 पटल से सम्बन्धित कार्य।	
	श्री आशीष कुमार	कनिष्ठ सहायक	लेखा पटल से सम्बन्धित कार्य।	
	श्रीमती किरन शाह	कनिष्ठ सहायक	डिस्पैंच सम्बन्धी कार्य।	

।। मैनुअल–7 ।।

(किसी व्यवस्था की विशिष्टयां जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं)

1– लोक प्राधिकारी/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षायें–

संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जिला स्तर पर जिला पंचायत/क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जाता हैं तथा कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु बैठकों में अपेक्षित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता हैं।

2– जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था–

कृषि विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कियान्वयन हेतु जिला जलागम समिति/जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत प्रभाव में हैं। पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था के अधीन इन संस्थाओं का मार्गदर्शन एवं सहयोग व्यवस्था के प्रति लिया जाता हैं। जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन के अधीन पंचायती राज प्रबन्धन व्यवस्था विधि सम्मत हैं।

3– जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था–

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण के संबन्ध में स्पष्ट करना है कि विभागीय कार्यक्रमों का कियान्वयन जिला जलागम समिति जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से होता हैं, जिसमें विभागीय अधिकारी कर्मचारियों द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता हैं। विभिन्न योजनाओं के संबन्ध में जन प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं तहसील दिवसों में उठायें गये प्रश्नों एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण के प्रति विभागीय अधिकारी बैठकों में भाग लेकर जनता एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गये प्रश्नों का स्थल पर ही समाधान सुनिश्चित कर लेते हैं। यदि किसी शिकायत का निस्तारण तत्काल सभंव न हो तो ऐसे शिकायती प्रकरणों पर जॉच सुनिश्चित कराई जाती हैं जॉचोंपरान्त गुणदोष के आधार पर शिकायती प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कर लिया जाता हैं।

राज्य स्तरीय अन्तर कार्यान्वयन समिति के कार्य–

1– भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग की तकनीकी विस्तार प्रबन्धन समिति के साथ जो कि मानव संसाधन विभाग के कार्य कलापों का दिशा निर्देशन जनपद स्तरीय तकनीकी विस्तार कार्यक्रम का अनुश्रवण करेगी।

2— आत्मा द्वारा अधिग्रहित किए गए कृषि प्रसार शोध के कार्य कलापों की देखरेख साथ—साथ सहयोग भी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त यह समिति अन्तर विभागीय मामलों जिसमें कृषि एवं सहभागिता कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में मध्यस्थता की भूमिका निर्वहन करेगी।

3— समिति राज्य मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्य एवं सम्बन्धित विभागों के तकनीकी हस्तान्तरण में समेकित प्रयास को बढ़ावा देना व सामंजस्य स्थापित करेगी।

4— सम्बन्धित विभिन्न विभागों यथा विपणन, निवेश एवं ऋण प्रदाय संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, निजी/सहकारिता क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार से सम्बन्धित आवश्यक सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देगी साथ ही आपसी तालमेल को भी प्रभावी रूप से स्थापित करेगी।

5— आत्मा के द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शित नए सिद्वान्तों एवं संस्थागत व्यवस्था को आत्मसात करेगी।

6— परियोजना के सफल संचालन से सम्बन्धित अन्य नीतियॉ जो कि यथा समय आवश्यक हो, को कार्य रूप से परिणित करेगी।

उत्तरांचल शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–1
संख्याः 1250/XXX-1/2005
देहरादून दिनांकः 18 अगस्त 2005
कार्यालय ज्ञाप

कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना "support to state extension programme for extension reforms" के अर्न्तगत दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि प्रसार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में प्रसार निदेशालय, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर को state Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI) घोषित करने एवं जनपद देहरादून, उधमसिंहनगर एवं अल्मोड़ा के लिए जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण (Agriculture Technology Management Agency-A.T.M.A) की शासी निकाय तथा इसके अधीन विभिन्न स्तरों पर समितियॉ निम्न अनुसार गठन करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

State Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI)

यह संस्थान "support to state extension programme for extension reforms" के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के संचालन के लिए शीर्ष स्तरीय मार्गदर्शी एवं सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करेगा। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगेः–

1. निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि प्रसार कर्मियों की क्षमता का उन्नयन।
2. परियोजना नियोजन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु परामर्श प्रदान करना एवं तत्सम्बन्धित प्रोजेक्ट रिर्पोट निर्मित करना।
3. मानव एवं भौतिक संस्थान के बेहतर प्रबन्धन के माध्यम से कृषि प्रसार सेवाओं की प्रभाववत्ता में सुधार हेतु Management Tools का विकास एवं इनके प्रयोग को प्रोत्साहन देना।
4. मध्य क्रम एवं निम्न क्रम के कृषि प्रसार कर्मियों की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
5. प्रशिक्षण, कार्यक्रमों के संचालन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर Management, Communication तथा Participatory Methodologies आदि के Management Module का विकास।

।। कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय ।।

जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण का पृथक–पृथक एक शासी निकाय एवं एक प्रबन्धन समिति होगी। शासी निकाय नीति निर्धारक के रूप में कार्य करेगी तथा इस अभिकरण को मार्ग निर्देशन प्रदान करने के साथ–साथ उसकी प्रगति एवं कार्य कलापों की समीक्षा करेगी। शासी निकाय का संगठन निम्नवत् होगा।

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. अपर कृषि निदेशक	सदस्य
4. जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
5. जनपदीय एक कृषक प्रतिनिधि	सदस्य
6. जनपदीय एक पशुपालक प्रतिनिधि	सदस्य
7. जनपदीय एक उद्यान प्रतिनिधि	सदस्य
8. महिला कृषि समूह का एक प्रतिनिधि	सदस्य
9. अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10. स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11. जिला अग्रणी बैंक का एक अधिकारी	सदस्य
12. जिला उद्योग केन्द्र का एक प्रतिनिधि	सदस्य
13. निवेश आपूर्ति संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
14. मत्स्य/रेशम पालन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
15. मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य/सचिव सह कोषाध्यक्ष

सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन हेतु निर्धारित शर्ते–

1– शासी निकाय के अध्यक्ष की संस्तुति पर वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा शासी निकाय के लिए गैर सरकारी सदस्यों को सामान्यतः 2 वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।

2– दो वर्ष के उपरान्त गैर सरकारी सदस्यों के दो तिहाई का कार्यकाल एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। शेष एक तिहाई सदस्य पुनः नामित किये जायेंगे।

3– महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु शासी निकाय में गैर सरकारी सदस्यों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के शासी निकाय के मुख्य कार्यकलाप–

1– रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (Stratcgic Research and Extension Plan SREP) एवं सहभागीय इकाइयों द्वारा निर्मित एवं प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्ष एवं अनुमोदन करना।

2– विभिन्न प्रकार के शोध एवं प्रसार गतिविधियों से सम्बन्धित सहभागी इकाइयों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिविदनों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश देना।

3– प्राथमिकता पर रखे गये शोधकार्य, प्रसार एवं इनसे सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों का आहरण एवं आवंटन।

4— फारमर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुप (FIGs) एवं कृषक संघो का त्वरित संगठन एवं विकास।

5— निजी क्षेत्र एवं जिनी फर्मो की व्यापक स्तर पर कृषि निवेश, प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण एवं विपणन सेवायें, उपलब्ध कराने हेतु सहभगिता सुनिश्चित करना।

6— ऐसे कृषक जो पर्याप्त संसाधन से अछूते हों तथा सीमान्त कृषक हो (मुख्यतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक) को अपेक्षित धन उपलब्ध कराने हेतु कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

7— प्रत्येक रेखीय विभाग के साथ—साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, जोनल रिसर्च स्टेशन द्वारा प्रगतिशील कृषक परामर्शदात्री समितियों के गठन को बढ़ावा देना ताकि इन समितियों से विचार विमर्श में आये बिन्दुओं का विचारोपरान्त उनके सम्बन्धित शोध एवं प्रसार कार्यक्रमों में समावेश सुनिश्चित किया जा सके।

8— कृषि विकास के कार्यकलापों को बढ़ावा व सहयोग प्रदान करने हेतु औचित्य एवं आवश्यकता के अनुसार विभिन्न संस्थाओं/फर्मो/कम्पनियों से संविदा एवं अनुबन्ध का निष्पादन।

9— आत्मा एवं इसकी सहभागी इकाइयों को टिकाउ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक अन्य वित्तीय श्रोतों को चिन्हित करना।

10— प्रत्येक सहभागी इकाई के लिए रिवालविंग फन्ड एकाउन्ट की स्थापना करना तथा प्रत्येक इकाई को तकनीकी सेवा जैसे कृत्रिम गर्भाधान या मृदा परीक्षण की सुविधा को इस प्रकार उपलब्ध कराना कि देय सुविधा में व्यय होने वाली धनराशि की वापसी का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढे एवं एक समय सीमा के अर्न्तगत लागत की पूर्ण वापसी सुनिश्चित हो सके।

11— कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के वित्तीय लेखों की नियम समयावधि में सम्परीक्षा कराना।

12— कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के संचालन हेतु नियमावली एवं विनियम का निर्माण, यथा आवश्यकता अन्य संस्थाओं के तद्नुरूप नियमों/विनियमों का अंगीकरण एवं आवश्यकतानुसार संशोधन करना।

।। कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति ।।

अभिकरण के दैनन्दिन कार्यकलापों के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी। इसका गठन निम्न प्रकार होगा—

1—	शासन द्वारा नामित परियोजना निदेशक	अध्यक्ष
2—	मुख्य प्रशिक्षण समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
3—	अध्यक्ष, जोनल रिसर्च स्टेशन	सदस्य
4—	मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
5—	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
6—	कृषि रक्षा अधिकारी	सदस्य
7—	जिला उद्यान प्राधिकारी	सदस्य
8—	जिला मत्स्य अधिकारी	सदस्य

9— जिला रेशम अधिकारी सदस्य

10— कृषि सम्बन्धी कार्य से संबन्धित स्वयंसेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि सदस्य

11— कृषि संघ के दो प्रतिनिधि (एक वर्ष के अन्तराल के आधार पर) सदस्य

उपरोक्त क्रमांक 4 से 9 पर अंकित अधिकारियों में से वरिष्ठतम् अधिकारी जिसकी विशेषज्ञता परियोजना निदेशक की विशेषज्ञता से भिन्न हो इस प्रबन्ध समिति का उपाध्यक्ष होगा। मुख्य कृषि अधिकारी इस समिति के सदस्य संयोजक होंगे।

प्रबन्ध समिति के मुख्य कार्यकलाप —

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा—

1— विभिन्न सामाजिक—आर्थिक समूहों (Socio-economic groups) तथा कृषकों की समस्याओं एवं उनके कार्य में आने वाली बाधाओं के अभिज्ञान हेतु समय—समय पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (Participatory rural appraisal) सम्बन्धी कार्य करना।

2— जनपद के लिए समेकित, रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना का (SREP) का निर्माण करना । इसमें मध्यम काल एवं अल्प काल ग्राहय शोध कार्य का विवरण होगा। इसमें तकनीकों का पुष्टिकरण एवं परिष्करण भी सम्मिलित होगा। इसमें जनपद की प्रसार प्राथमिकताऐं भी इंगित की जायेंगी। इन प्रसार प्राथमिकताओं का निर्धारण सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के दौरान किया जायेगा।

3— वार्षिक कार्य योजना बनाकर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय को समीक्षा, सम्भावित संसोधन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

4— उचित ढंग से परियोजना के वित्तीय लेखों का रखरखाव करना एवं इन्हें Technology Dissemination Unit (TDU) को सम्प्रेक्षण हेतु प्रस्तुत करना।

5— वार्षिक कार्य योजना के कार्यन्वयन में विभिन्न रेखीय विभाग, Zonal Research Station, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषक इन्ट्रेस्ट ग्रुप (FIGs) कृषक संघों एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं जिसमें कि निजी क्षेत्र की संस्थायें भी सम्मिलित होंगी, के मध्य समन्वय स्थापित करना।

6— ब्लाक स्तर पर समन्वित कार्य कलापों जैसे Farm Information and Advisory Centres (FIAC) को विकसित करना जो ग्राम एवं जनपद स्तर पर कृषि प्रसार एवं तकनीकी हस्तान्तरण क्रियाकलापों को समेकित रूप प्रदान करेगा।

7— शासी निकाय को वार्षिक कार्य सम्पादन रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जिसमें विभिन्न शोध, प्रसार एवं सम्बन्धित कार्यो के लक्ष्यों के विरूद्व वास्तविक प्रगति का विवरण प्रदर्शित हों।

8— शासी निकाय को सचिवालयीय सहायता उपलब्ध कराना तथा शासी निकाय से प्राप्त नीति सम्बन्धी दिशा निर्देशों, निवेश सम्बन्धी निर्णयों एवं अन्य दिशा निर्देशों पर सम्यक कार्यवाही करना।

।। ब्लाक स्तरीय फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र ।।

Farm Information and Advisory Centres (FIAC)

प्रत्येक कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अर्न्तगत प्रत्येक ब्लाक स्तर पर फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र का गठन किया जायेगा, जिसके अर्न्तगत कृषक सलाहकार समिति एवं ब्लाक तकनीकी टीम, दो निकाय होंगे। कृषक सलाहकार समिति कृषकों के प्रतिनिधियों की इकाई होगी (विभिन्न आदानों [Enterprises] एवं समाजिक आर्थिक समूहों से 11–15 प्रतिनिधि)। तथा ब्लाक तकनीकी टीम में ब्लाक स्तर पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभागों के कार्यरत कार्मिक होंगे। कृषक सलाहकार समिति और ब्लाक तकनीकी टीम साथ–साथ कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अभिन्न अंग के रूप में नियोजन एवं कियान्वयन का कार्य करेंगे।

(क) ब्लाक तकनीकी टीम– यह ब्लाक स्तर पर कार्य करने वाले कृषि एवं अन्य रेखीय विभागों के कार्यकर्ताओं की अन्तर विभागीय टीम होगी। ब्लाक तकनीकी टीम का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

1– सहायक विकास अधिकारी कृषि।
2– सहायक विकास अधिकारी उद्यान।
3– पशुधन प्रसार अधिकारी।
4– मत्स्य विकास अधिकारी।
5– सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा।
6– सहायक विकास अधिकारी सहकारिता।
7– सहायक विकास अधिकारी रेशम।
8– उप जलागम प्रबन्धक।

उपरोक्त टीम का वरिष्ठतम कार्मिक टीम का मुखिया होगा जो कि ब्लाक तकनीकी टीम के संयोजक का कार्य करेगा।

ब्लाक तकनीकी टीम के कार्य– ब्लाक तकनीकी टीम के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगेः–

1– रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (SREP) का कियान्वयन तथा एकल खिड़की प्रसार पद्धति (Single window extension system) के रूप में कार्य करना।
2– SREP में सुधार करने में जिला कोर टीम की सहायता करना।
3– ब्लाक स्तरीय कार्य योजना जिसमें विस्तृत प्रसार कार्यक्रम सम्मिलित हो तैयार करना।
4– लाक कार्य योजना के अर्न्तगत प्रसार कार्यक्रमो के कियान्वयन में समन्वय स्थापित करना।
5– ब्लाक एवं उसके निचले स्तर पर फामर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुप तथा कृषक संघो का गठन करना।

(ख) <u>कृषि सलाहकार समिति</u>– कृषि विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड के प्रत्येक न्याय पंचायत से एक प्रगतिशील कृषक चयनित किया गया हैं। कृषक सलाहकार समिति का गठन विकास खण्डवार इन प्रगतिशील कृषकों से लिया जाये। यह ध्यान में रखा जाये कि इसमें निम्न वर्गो के कृषक भी सम्मिलित हैं।

1–	सामान्य कृषक	सदस्य
2–	अनुसूचित जाति की महिला कृषक	सदस्य
3–	कृषक उद्यान	सदस्य
4–	महिला कृषक उद्यान	सदस्य
5–	पशुपालन कृषक	सदस्य
6–	पशुपालक महिला कृषक	सदस्य
7–	महिला कृषक, महिला मंगल दल	सदस्य
8–	कृषक, युवक मंगल दल	सदस्य
9–	कृषक निवेश विक्रेता	सदस्य
10–	कृषक, कृषक समूह	सदस्य
11–	कृषक वीडीसी सदस्य	सदस्य

यदि प्रगतिशील कृषकों में उपरोक्त में से कतिपय वर्गो के कृषक शामिल होने से रह गये है तो ऐसे कृषक भी चयनित कर कृषक सलाहकार समिति में अंगीकृत कर लिये जायें। समित के अध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त सदस्यों में से चक्रिय क्रम में किया जायेगा तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। ब्लाक तकनीकी टीम का संयोजक इस समिति का सदस्य सचिव होगा।

<u>कृषक सलाहकार समिति के कार्य</u>–

1– समिति कृषकों से फीड बैंक प्राप्त करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेंगी।

2– ब्लाक स्तर पर प्रसार कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायता एवं कार्यक्रम क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आवंटन करने में अपनी संस्तुति देगी।

3– शासी निकाय, कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण को ब्लाक कार्य योजना स्वीकृति हेतु संस्तुत करेगी।

4– ब्लाक स्तर पर प्रत्येक क्रियान्वयन इकाई की समीक्षा करेगी एवं उसकों सुझाव देगी।

5– कृषक सलाहकार समिति की प्रत्येक माह एक बैठक अवश्य होगी।

6– ब्लाक स्तर एवं उससे निम्न स्तर पर **Farmers intersst group** एवं कृषक संघों के गठन में सहायता प्रदान करेगी।

।। कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय ।।

ATMA Governing Board (GB)

जनपद स्तर पर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण का पृथक–पृथक एक शासी निकाय एवं एक प्रबन्धन समिति होगी। शासी निकाय नीति निर्धारक के रूप में कार्य करेगी तथा इस अभिकरण को मार्ग निर्देशन प्रदान करने के साथ–साथ उसकी प्रगति एवं कार्य कलापों की समीक्षा करेगी।

शासी निकाय का संगठन निम्नवत् होगाः–

1–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3–	मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
4–	जिला स्तरीय कृषि विज्ञान केन्द्र/जोनल रिसर्च सेन्टर के प्रतिनिधि	सदस्य
5–	जनपदीय एक कृषक प्रतिनिधि	सदस्य
6–	जनपदीय एक पशुपालक प्रतिनिधि	सदस्य
7–	जनपदीय एक उद्यान प्रतिनिधि	सदस्य
8–	महिला कृषि समूह का एक प्रतिनिधि	सदस्य
9–	अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10–	स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11	जिला अग्रणी बैंक का एक अधिकारी	सदस्य
12–	जिला उद्योग केन्द्र का एक प्रतिनिधि	सदस्य
13–	निवेश आपूर्ति संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
14–	मत्स्य/रेशम पालन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
15–	परियोजना निदेशक, ATMA	सदस्य/ सचिव–सह कोषाध्यक्ष

सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन हेतु निर्धारित शर्ते–

1– शासी निकाय के अध्यक्ष की संस्तुति पर वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शासी निकाय के लिए गैर सरकारी सदस्यों को सामान्यताः 2 वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।

2– दो वर्ष के उपरान्त गैर सरकारी सदस्यों के दो तिहाई का कार्यकाल एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। शेष एक तिहाई सदस्य पुनः नामित किये जायेंगे।

3– महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु शासी निकाय में गैर सरकारी सदस्यों का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के शासी निकाय के मुख्य कार्यकलाप–

1– रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (Strategic Research and Extension plan - SREP) एवं सहभागीय इकाइयों द्वारा निर्मित एवं प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं की समीक्षा एवं अनुमोदन करना।

2– विभिन्न प्रकार के शोध एवं प्रसार गतिविधियों से सम्बन्धित सहभागी इकाइयों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश देना।

3— प्राथमिकता पर रखे गये शोधकार्य, प्रसार एवं इनसे सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों का आहरण एवं आवंटन।

4— फारमर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुप (FIGs) एवं कृषक संघों का त्वरित संगठन एवं विकास।

5— निजी क्षेत्र एवं निजी फर्मो की व्यापक स्तर पर कृषि निवेश, प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण एवं विपणन सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सहभागिता सुनिश्चित करना।

6— ऐसे कृषक जो पर्याप्त संसाधन से अछूते हों तथा सीमान्त कृषक हो (मुख्यतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक) को अपेक्षित धन उपलब्ध कराने हेतु कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

7— प्रत्येक रेखीय विभाग के साथ—साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, जोनल रिसर्च स्टेशन द्वारा प्रगतिशील कृषक परामर्शदात्री समितियों के गठन को बढ़ावा देना ताकि इन समितियों से विचार विमर्श में आये बिन्दुओं का विचारोपरान्त उनके सम्बन्धित शोध एवं प्रसार कार्यक्रमों में समावेश सुनिश्चित किया जा सके।

8— कृषि विकास के कार्यकलापों को बढावा व सहयोग प्रदान करने हेतु औचित्य एवं आवश्यकता के अनुसार विभिन्न संस्थाओं/फर्मो/कम्पनियों से संविदा एवं अनुबन्ध का निष्पादन।

9— आत्मा एवं इसकी सहभागी इकाइयों को टिकाउ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक अन्य वित्तीय श्रोतों को चिन्हित करना।

10— प्रत्येक सहभागी इकाई के लिए रिवालविंग फन्ड एकाउन्ट की स्थापना करना तथा प्रत्येक इकाई को तकनीकी सेवा जैसे कृत्रिम गर्भाधान या मृदा परीक्षण की सुविधा को इस प्रकार उपलब्ध कराना कि देय सुविधा में व्यय होने वाली धनराशि की वापसी का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढ़े एवं एक समय सीमा के अर्न्तगत लागत की पूर्ण वापसी सुनिश्चित हो सकें।

11— कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के वित्तीय लेखों की नियम समयावधि में सम्परीक्षा कराना।

12— कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण के संचालन हेतु नियमावली एवं विनियम का निर्माण, यथा आवश्यकता अन्य संस्थाओं के तद्नुरूप नियमों/विनियमों का अंगीकरण एवं आवश्यकतानुसार संशोधन करना।

।। कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति ।।

ATMA Management Committee (MC)

अभिकरण के दैनन्दिन कार्यकलापों के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी। इसका गठन निम्न प्रकार होगाः–

1–	शासन द्वारा नामित परियोजना निदेशक, ATMA	अध्यक्ष
2–	मुख्य प्रशिक्षण समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
3–	अध्यक्ष, जोनल रिसर्च स्टेशन	सदस्य
4–	मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
5–	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
6–	कृषि रक्षा अधिकारी	सदस्य
7–	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
8–	जिला मत्स्य अधिकारी	सदस्य
9–	जिला रेशम अधिकारी	सदस्य
10–	कृषि सम्बन्धी कार्य से संबन्धित स्वयंसेवी संस्थाओं का एक प्रतिनिधि	सदस्य
11–	कृषि संघ के दो प्रतिनिधि (एक वर्ष के अन्तराल के आधार पर)	सदस्य
12–	सहायक निबन्धक, सहकारिता समितियॉ	सदस्य
13–	अन्य रेखीय विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त क्रमांक 4 से 9 पर अंकित अधिकारियों में से वरिष्ठतम् अधिकारी जिसकी विशेषज्ञता परियोजना निदेशक की विशेषज्ञता से भिन्न हो इस प्रबन्ध समिति का उपाध्यक्ष होगा। मुख्य कृषि अधिकारी इस समिति के सदस्य संयोजक होंगे।

प्रबन्ध समिति के मुख्य कार्यकलाप–

कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की प्रबन्ध समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगाः–

1– विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों (Socio-econoic groups) तथा कृषकों की समस्याओं एवं उनके कार्य में आने वाली बाधाओं के अभिज्ञान हेतु समय–समय पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (Participatory rural appraisal) सम्बन्धी कार्य करना।

2– जनपद के लिए समेकित, रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना का (SREP) का निर्माण करना। इसमें मध्यम काल एवं अल्प काल में ग्राहय शोध कार्य का विवरण होगा। इसमें तकनीकों का पुष्टिकरण एवं परिष्करण भी सम्मिलित होगा। इसमें जनपद की प्रसार प्राथमिकताऐं भी इंगित की जायेंगी। इन प्रसार प्राथमिकताओं का निर्धारण सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के दौरान किया जायेगा।

3– वार्षिक कार्य योजना बनाकर कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण की शासी निकाय को समीक्षा, सम्भावित संशोधन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

4— उचित ढंग से परियोजना के वित्तीय लेखों का रखरखाव करना एवं इन्हें Technology Dissemination unit (TDU) को सम्प्रेक्षण हेतु प्रस्तुत करना

5— वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न रेखीय विभाग, Zonal Research Station, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषक इन्ट्रेस्ट ग्रुप (FIGs)/कृषक संघों एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं जिसमें कि निजी क्षेत्र की संस्थायें भी सम्मिलित होंगी, के मध्य समन्वय स्थापित करना।

6— ब्लाक स्तर पर समन्वित कार्य कलापों जैसे Farm Information and Advisory Centres (FIAC) को विकसित करना जो ग्राम एवं जनपद स्तर पर कृषि प्रसार एवं तकनीकी हस्तान्तरण क्रियाकलापों को समेकित रूप प्रदान करेगा।

7— शासी निकाय को वार्षिक कार्य सम्पादन रिपोर्ट उपलब्ध कराना, जिसमें विभिन्न शोध प्रसार एवं सम्बन्धित कार्यो के लक्ष्यों के विरूद्व वास्तविक प्रगति का विवरण प्रदर्शित हो।

8— शासी निकाय को सचिवालयीय सहायता उपलब्ध कराना तथा शासी निकाय से प्राप्त नीति सम्बन्धी दिशा निर्देशों, निवेश सम्बन्धी निर्णयों एवं अन्य दिशा निर्देशें पर सम्यक कार्यवाही करना।

।। ब्लाक स्तरीय फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र ।।

Farm Information and Adviisory Centres (FIAC)

प्रत्येक कृषि प्राधिकारी प्रबनधन अभिकरण के अर्न्तगत प्रत्येक ब्लाक स्तर पर फार्म सूचना और परामर्श केन्द्र का गठन किया जायेगा, जिसके अर्न्तगत कृषक सलाहकार समिति एवं ब्लाक तकनीकी टीम, दो निकाय होंगे। कृषक सलाहकार समिति कृषकों के प्रतिनिधियों की इकाई होगी (विभिन्न आदानों [Enterprises] एवं समाजिक आर्थिक समूहों से 11—15 प्रतिनिधि)। तथा ब्लाक तकनीकी टीम में ब्लाक स्तर पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभागों के कार्यरत कार्मिक होंगे। कृषक सलाहकार समिति और ब्लाक तकनीकी टीम साथ—साथ कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के अभिन्न अंग के रूप में नियोजन एवं क्रियान्वयन का कार्य करेंगे।

(क) ब्लाक तकनीकी टीमः— यह ब्लाक स्तर पर कार्य करने वाले कृषि एवं अन्य रेखीय विभागों के कार्यकर्ताओं की अन्तर विभागीय टीम होगी। ब्लाक तकनीकी टीम का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा।

1— सहायक विकास अधिकारी कृषि।

2— सहायक विकास अधिकारी उद्यान।

3— पशुधन प्रसार अधिकारी।

4— मत्स्य विकास अधिकारी।

5— सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा।

6— सहायक विकास अधिकारी सहकारिता।

7— सहायक विकास अधिकारी रेशम।

8— उप जलागम प्रबन्धक।

उपरोक्त टीम का वरिष्ठतम कार्मिक टीम का मुखिया होगा जो कि ब्लाक तकनीकी टीम के संयोजक का कार्य करेगा।

ब्लाक तकनीकी टीम के कार्य– ब्लाक तकनीकी टीम के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगेः–

1– रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (SREP) का कियान्वयन तथा एकल खिड़की प्रसार पद्धति (Single window extension system) के रूप में कार्य करना।

2– SREP में सुधार करने में जिला कोर टीम की सहायता करना।

3– ब्लाक स्तरीय कार्य योजना जिसमें विस्तुत प्रसार कार्यकम सम्मिलित हों तैयार करना।

4– ब्लाक कार्य योजना के अर्न्तगत प्रसार कार्यकमों के कियान्वयन में समन्वय स्थापित करना।

5– ब्लाक एवं उसके निचले स्तर पर फामर्स इन्ट्रेस्ट ग्रुप तथा कृषक संघो का गठन करना।

(ख) कृषक सलाहकार समिति– कृषि विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड के प्रत्येक न्याय पंचायत से एक प्रगतिशील कृषक चयनित किया गया हैं। कृषक सलाहकार समिति का गठन विकासखण्डवार इन प्रगतिशील कृषकों से कर लिया जाये। यह ध्यान में रखा जाये कि इसमें निम्न वर्गो के कृषक भी सम्मिलित हैं।

1–	सामान्य कृषक	सदस्य
2–	अनुसूचित जाति की महिला कृषक	सदस्य
3–	कृषक उद्यान	सदस्य
4–	महिला कृषक उद्यान	सदस्य
5–	पशुपालक कृषक	सदस्य
6–	पशुपालक महिला कृषक	सदस्य
7–	महिला कृषक, महिला मंगल दल	सदस्य
8–	कृषक, युवक मंगल दल	सदस्य
9–	कृषक, निवेश विकेता	सदस्य
10–	कृषक, कृषक समूह	सदस्य
11–	कृषक वीडीसी सदस्य	सदस्य

यदि प्रगतिशील कृषकों में उपरोक्त में से कतिपय वर्गो के कृषक शामिल होने से रह गये है तो ऐसे कृषक भी चयनित कर कृषक सलाहकार समिति में अंगीकृत कर लिये जायें।

समिति के अध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त सदस्यों में से चकिय कम में किया जायेगा तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। ब्लाक तकनीकी टीम का संयोजक इस समिति का सदस्य सचिव होगा।

कृषक सलाहकार समिति के कार्य–

1– समिति कृषकों से फीड बैंक प्राप्त करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2– ब्लाक स्तर पर प्रसार कार्यो की प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायता एवं कार्यकम क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आवंटन करने में अपनी संस्तुति देगी।

3– शासी निकाय, कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण को ब्लाक कार्य योजना स्वीकृति हेतु संस्तुत करेगी।

4– ब्लाक स्तर पर प्रत्येक कियान्वयन इकाई की समीक्षा करेगी एवं उसको सुझाव देगी।

5– कृषक सलाहकार समिति की प्रत्येक माह एक बैठक अवश्य होगी।

6– ब्लाक स्तर एवं उससे निम्न स्तर पर Farmers interest group एवं कृषक संघों के गठन में सहायता प्रदान करेगी।

।। मैनुअल–8 ।।

(ऐसे बोर्डो/परिषदों/समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया हैं किस क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी)

8.1– संगठन से समबृद्व बोर्ड/परिषद/समितियों निकायों का संक्षिप्त विवरण

1. कृषि विभाग सामान्य शाखा में कोई बोर्ड, परिषद, समिति निकाय समबद्ध नही है।

2. जलागम समितियों के सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार से है।

- समबृद्व संस्था का नामः– जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति।
- समबृद्व संस्था की भूमिकाः– प्रबन्धकारणी।
- स्वरूप और वर्तमान सदस्यः– (क) जिलाधिकारी – सभापति, (ख) जिला परिषद अध्यक्ष – सदस्य, (ग) जिले के निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा के सदस्य–नरेन्द्रनगर,धनोल्टी,टिहरी,प्रतापनगर,घनशाली,देवप्रयाग। (घ) मुख्य विकास अधिकारी–सदस्य, (ड़) मुख्य कृषि अधिकारी–सदस्य, (च) सहायक निदेशक जलागम–सचिव, (छ) अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग– सदस्य, (ज) प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा–सदस्य
- बैठक की आकृति :– प्रत्येक दो माह में एक बैठक।
- क्या बैठक में जनता भाग ले सकती हैः– नही। (नामित सदस्य भाग ले सकते है।)
- क्या बैठक का कार्यवृत तैयार होता हैः– हॉ।
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत प्राप्त कर सकती है– नही। (नामित सदस्यों को भेजा जाता है)।

।। जैविक कृषि– एक परिचय ।।

कृषक जब फसल उगाने के लिए खेत तैयार करता है तब वह सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता हैं परन्तु उसे इस 'दोष' से मुक्त माना गया है, क्योंकि वह मानव जाति की भलाई हेतु भोजन पैदा करता हैं। उन्हें सलाह दी गई है कि वे मृदा में कार्बनिक पदार्थ अवश्य मिलांए जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए भोजन एवं ऊर्जा का स्रोत है जिससे सूक्ष्म जीवाणु बढ़ सकें, गुणित हो सके और पोषक तत्व प्रदान कर सकें।

जैविक कृषि वह पद्वति है, जहॉ प्रकृति व पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित रखते हुए भूमि की सजीवता, जल की गुणवत्ता, जैव विविधता आदि को बनाये रखते हुए व पर्यावरण एवं वायु को प्रदूषित किए बिना, दीर्घकालीन व टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जाता हैं।

इस पद्वति में जीवांश एवं प्रकृति प्रदत्त संसाधनों एवं कार्बनिक अवशिष्ट का यथा स्थान उपयोग किया जाता है ताकि उत्पादन व्यय कम होकर अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके एवं कृषक स्वालम्बन पर जोर दिया जाता हैं।

मनुष्य आदिकाल से ही जंगली जानवरों का शिकार, मांस एवं दूध के लिए पशुपालन तथा स्थानान्तरी कृषि (झूम कृषि) करता चल आ रहा था। धीरे–धीरे कृषि का व्यावहारिक ज्ञान बढ़ने से स्थायी कृषि करने लगा। मनुष्य परम्परागत कृषि को ज्ञान के पीढ़ियों से अनुसरण करके, पिछली भूलों को सुधारते हुऐ अनुभवों के आधार पर कृषि को स्थायी बनाता रहा। इसमें वांछित फसलों को कृषि में उगाना, अवांछित फसल के पौधें को हटाना, भूमि की जुताई कर मौसम के अनुसार फसल बोना, भूमि को परती छोड़ना, फसल चक्र अपनाना, गोबर तथा कृषि अवशेष एवं राख को खाद के रूप में अपनाना सम्मिलित थां। इस प्रकार बढ़ते ज्ञान के अनुरूप फसल उत्पादन, बढती आबादी की भूख मिटाने का साधन बनता गया।

कृषि उत्पादन बढ़ाने को सुनियोजित करने के लिए वर्ष 1871 में देश में कृषि विभाग की स्थापना हुई। वर्ष 1889 में कृषि अनुसंधान नीति, वर्ष 1901 में सिंचाई आयोग तथा वर्ष 1926 में रायल कमीशन आन एग्रीकल्चर की अनुशंसाओं पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए गये।

भारत में कृषि परम्परा एवं सभ्यता ऐतिहासिक रूप से 10,000 साल पुरानी है। प्राचीन ग्रन्थों (वृक्ष, आयुर्वेद, ऋग्वेद) से पता लगता है कि 1000 ई0पू0 वैदिक सभ्यता में धान का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 60 कुन्तल तक लिया जाता था। सदियों से की जाने वाली कृषि पद्धतियां टिकाऊ, ठोस व आधुनिक तकनीकें थी। प्राचीन कृषि सभ्यता में विभिन्न कृषि क्रियाओं के सिद्धान्त आज के आधुनिक जैविक कृषि के सिद्धान्तों के रूप में एक तरह से दोहरायें ही जा रहे है।

आधुनिक काल में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भू–राजनैतिक बदलावों के कारण पहले भुखमरी का दौर चला फिर युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् अचानक विश्व की जनसंख्या में असीमित वृद्धि हुई। भारत, चीन जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दैविक आपदाएं जैसे अकाल, भुखमरी आदि महामारियों के साथ सामने आयीं।

वर्ष 1941–42 में आधारभूत खद्यानों की कमी की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत एवं समन्वित (Comprehensive and integrated) नीति तैयार की गयी। बंगाल के अकाल (1942) के बाद वर्ष 1942–43 में खाद्य उत्पादन कान्फ्रेंस में ''अधिक अन्न उपजाओं अभियान'' चलाने का निर्णय हुआ। इसका उद्देश्य वर्ष 1952 तक खाद्यानों में आत्मनिर्भरता लाना था। इसके लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया तथा अनुसंधान केन्द्र खोले गए। देश भर में कृषि विस्तार सेवा का गठन, भूमि सुधार कार्य, सिंचाई विकास के कार्यक्रम, उत्तम बीजों की पूर्ति, कृषि आदानों की आवश्यकता पूर्ति हेतु उपयुक्त साख (ऋण व अनुदान) उपलब्ध कराने के प्रबन्ध किए जाने लगें।

इनके साथ ही साथ स्थानीय खाद संसाधनों (गोबर खाद, गोबर गैस, कम्पोस्ट खाद) हरी खादें, खली की खादें, तालबों के तलहटी में जमा हुई मिट्टी के अलावा वनस्पतियों एवं जानवरों के त्याज्य एवं मरणोपरान्त जीवांश पदार्थो (पौधे–पत्तियों, अड्डी,रूधिर, सड़े–गले मांस इत्यादि) से बने खादों के उपयोग के कार्यक्रम चलाए गये ।इन खादों के बनाने की उन्नत विधियां विकसित की गयी और इनके उत्पादन एवं उपयोग के लिए प्रोत्साहन एवं अनुदान दिए गये।

अधिक अन्न उपजाओं अभियान के कार्यक्रम चलाए जाने के साथ–साथ, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनुसंधानों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी अनेकों कार्यक्रम चलाये गये। इस प्रकार आधुनिक तकनीकों से जैविक कृषि का आरम्भ अधिक अन्न उपजाओं अभियान के काल में ही हो चुका था।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाये जा रहे ''अधिक अन्न उपजाओं'' अभियान से भी बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी वहीं 1960 के दशक में दो बार सूखा पड़ने के कारण अकाल ने देश को गंभीर खाद्य संकट में डाला। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिए दीनतापूर्ण याचना करनी पड़ी एवं पी.एल.ओ.–64 पर निर्भरता बढ़ी। इस विकट भयानक एवं निर्दयी संकटों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के स्वाभिमान एवं विश्वसनीयता को रखने के लिए देश के योजनाकार एवं वैज्ञानिक, इस चुनौती के लिए, तीव्रगामी व्यूह रचना बनाने हेतु प्रोत्साहित व कटिबद्ध हुए।

देश में 1960 के दशक के मध्य में मैक्सिकन गेहूं के विश्वसनीय विपुल उत्पादक किस्मों तथा बाद में फिलीपीन्स से धान के उन्नतिशील बीजों को आयात कर अनुसंधान केन्द्रों पर, स्थानीय अनुकूलता के अनुसार विभिन्न प्रजातियां विकसित की गई साथ ही साथ उन्नतिशील कृषि प्रौद्योगिकी भी फसलवार विकसित की गयी।

उद्यमी कृषकों ने, तीव्र गति से विकसित हो रहे उत्पादन बढ़ाने वाले बीजों, रसायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों तथा सिंचाई के साधनों को अपनाने के अवसर को टर्निंग प्वाइंट समझ कर पकड़ लिया। सिंचाई क्षमता में विस्तार तथा कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत साख उपलब्धता के बहाव ने उन्नतिशील बीज, रसायनिक उर्वरक, कीट नाशक, फफूदी नाशक तथा खरपतवारनाशकों के उपयोग को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। इससे खाद्यानों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ा। खाद्यानों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सघन जिला कृषि विकास तथा प्रशिक्षण एवं भ्रमण (Training & Visit) प्रणाली चलाई गयी। इसके साथ ही साथ देश में हरित क्रांति आयी जो सहाहनीय एवं चिरस्मरणीय हैं।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए विपुल उत्पादक बीजों उर्वरक, कीट एवं खरपतवारनाशक के उच्च उपयोग कर सघन कृषि से मिट्टी के स्वास्थ्य गुणवत्ता में कमी, विपुल उत्पादक किस्मों की उत्पादकता में ठहराव, उपयोग होने वाले आदानों की दक्षता में आ रही कमी तथा भूजल के स्तर में तेजी से आ रही गिरावट ने उत्पादकता के स्तर को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति कृषक भूमि के क्षेत्रफल में आ रही कमी, अच्छी कृषि वाली भूमि कटाव तथा

समस्यामूलक भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार, असंतुलित व अन्यायिक पौध पोषक तत्वों का भूमि से निरन्तर शोषण तथा भूमि में उनकी आपूर्ति न होना तथा सिंचाई जल की कमी ने गंभीर विचारणीय समस्या उत्पन्न कर दी हैं। किसानों में कृषि यंत्रीकरण (ट्रैंक्टर व अन्य यंत्रों) के उपयोग की बढ़ती प्रवृति ने बैल एवं पशुपालन में कमी ला दी है तथा वनों से जलाऊ लकड़ी की अनुपलब्धता होने से गोबर के उपले बनाकर जलाने से भूमि में जीवांश खादों के उपयोग से वंचित कर दिया हैं। परिणाम स्वरूप भूमि में कार्बनिक पदार्थ (हयूमस) की कमी होती जा रही हैं। हरित क्रांति के पहले हमारी भूमि में 3 से 4 प्रतिशत् जीवांश कार्बन थे, जो धीरे–धीरे घटकर 0.4 से 0.5 प्रतिशत तक के स्तर पर आ गया हैं। जबकि भूमि में जीवांश कार्बन का उच्च स्तर (0.8 प्रतिशत से अधिक) से होना आवश्यक हैं।

ब्राजील के शहर रियो डिजनेरो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के चैप्टर–13 में ऐजेन्डा–21ए में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए टिकाऊ कृषि एवं ग्रामीण विकास के विशेष प्रारूप बनाने पर सहमति हुई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन में स्थायी रूप से वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा से है। इसके लिए शिक्षा; आर्थिक प्रोत्साहन और नवीन तथा उपयुक्त तकनीकों का विकास किया जाना आवश्यक हैं। टिकाऊ कृषि का उद्देश्य सभी के लिए, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो के लिए पर्याप्त पौष्टिक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना, गरीबी दूर करने के लिए बाजार, रोजगार और आयोत्पादक उपाय लागू करना तथा संसाधन प्रबन्धन और पर्यावरण संरक्षण भी है।

टिकाऊ कृषि/जैविक कृषि तीन मुख्य उद्देश्यों–पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक तथा आर्थिक समता का संयोजन करती हैं। जैविक कृषि में सर्वप्रथम ''कृषि'' या फार्म को एक पूर्ण जीवित संगठन (Organism) के रूप में देखा गया हैं। इस संगठन के महत्वपूर्ण अंग है खेत, पशु, उद्यान, जड़ी–बूटी, मोम, मित्र–कीट और स्वयं मनुष्य। सभी अंग मिलकर ''कृषि'' का संतुलन बनाये रखते हैं। यदि इन सभी अंगों में से किसी एक को भी स्थान न दिया गया तो समन्वय बिगड़ता स्वाभविक हैं। जिस प्रकार एक जीवित संगठन में विभिन्न प्रकार के रसायनिक तत्वों एवं यौगिकों के संयोजन से अंग, अंगों के संयोजन से अंग तन्त्र एवं कई अंग तन्त्रों के संयोजन से शरीर की रचना होती और किसी भी एक अवयव के अंसतुलित होने से पूरा शरीर असंतुलित हो जाता है उसी प्रकार से जैविक कृषि में संतुलन की अवस्था बनाये रखने के लिये इसके समस्त घटकों यथा पशु, मृदा, उद्यान, आदि का साम्य बनाये रखना अति आवश्यक हैं।

इसकी तुलना में 1940 से विश्व में प्रचलित आधुनिक कृषि के रूप में प्रसिद्व औद्योगिक कृषि, कृषि को पुनर्परिभाषित करती है जहॉ कृषि सम्यता न होकर, उद्योग का रूप लेती है। परन्तु इस दिशा में मूल मंत्र केवल उत्पादन होता हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक–चक्र, सहभागिता, वनस्पति एवं कीट इत्यादि का कोई स्थान नहीं रहता हैं।

औद्योगिक कृषि के नकारात्मक एवं हानिकारक पहलुओं को सर्वप्रथम यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस इत्यादि के कृषकों ने पहचाना। सन् 1923 ई0 में डा0 रूडोल्फ स्टीनर जो कि एक आस्ट्रियन वैज्ञानिक व दार्शनिक थे ने सर्वप्रथम बताया कि रासायनिक कृषि सम्पूर्ण कृषि के साथ–साथ

मनुष्य की वेचारिक शक्ति को भी नष्ट करती हैं। सन् 1925–1930 ई0 में सर अल्बर्ट हावर्ड ने कम्पोस्ट खाद बनाने की प्रथम वैज्ञानिक शक्ति पद्वति को जन्म दिया यह पद्वति ''इन्दौर खाद'' के नाम से भारत के इन्दौर जनपद में सर्वप्रथम प्रदर्शित की गई। सन् 1920 के दशक में लेडी ई0 बालफोर ने ''स्वाइल एसोसिएशन'' (Soil Association) की स्थापना की तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्व में पयार्वरणीय प्रदूषण एवं कृषि में रसायनों के उपयोग से होने वाली हानियों पर वाद विवाद शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप सन् 1972 ई0 में IFOAM (जैविक कृषि आन्दोलन का अंतर्राष्ट्रीय फैडरेशन) की स्थापना हुई। जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। तब से अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों का बाजार 15–20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा हैं।

।। भारत में जैविक कृषि ।।

8 मई, 2002 को प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के करकमलों द्वारा ''राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)' का आरम्भ हुआ। एन0पी0ओ0पी0 के प्रथम चरण (1998–99) में राष्ट्र स्तरीय ''टास्क फोर्स'' का गठन किया गया। टास्क फोर्स ने राष्ट्र में विभिन्न जैविक गतिविधियों का जायजा लिया एवं कृषि मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में वर्तमान जैविक कृषि पर आंकडों के साथ इसको बढ़ावा देने के लिये सुझाव भी प्रस्तुत किये। इसके साथ एपीडा द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पाद के मानकों को प्रस्तुत किया गया। एपीडा द्वारा राष्ट्र में कार्यरत चार प्रमाणीकरण संस्थाओं को भारत में स्थानीय बाजार के लिये कार्य करने के लिये मान्य किया गया।

भारत में वर्तमान में प्रमाणित जैविक कृषि, चाय या कॉफी के बडे बागानों तक सीमित हैं, परन्तु कई राज्यों में मसालें, चीनी, बासमती इत्यादि क्षेत्रों में छोटे–छोटे प्रयास प्रगति पर हैं। अब तक मध्य प्रदेश व उत्तरांचल ने अपने अपने राज्यों की जैविक कृषि नीति स्पष्ट कर ली हैं।

वर्ष 2001–02 में देश से लगभग 9238 टन जैविक उत्पाद का विदेशों में निर्यात हुआ। इसके साथ ही वर्तमान में महाराष्ट्र, केरल एवं बंगाल ने राज्य स्तरीय जैविक कृषि कमेटी का गठन कर लिया हैं। कृषि मंत्रालय केज्ञापन संख्या 5–13/2001–मैन्योर्स के अनुसार राष्ट्र को वर्तमान रसायनिक उर्वरक के प्रयोग के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया हैं। इन भागों में श्रेणियों के आधार पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के प्रयास किये जायेंगे। प्रथम श्रेणी में उततरांचल, झारखण्ड, राजस्थान एवं समस्त उत्तर–पूर्वी राज्य, द्वितीय श्रेणी में उड़ीसा, हिमाचंल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। तृतीय श्रेणी में ऐसे राज्य आते हैं जिसमें मध्यम से अधिक मात्रा में रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग होता हैं।

वर्तमान में लगभग तीन राष्ट्र स्तरीय जैविक कृषि एसोसिएशन गठित हैं। भारतीय जैविक व बायोडायनैमिक कृषि संगठन, इन्दौर, बायोडायनैमिक कृषि संगठन, बैंगलोर एवं भारतीय जैविक कृषक संगठन, बंगलौर। यद्यपि स्थानीय जैविक बाजार नगण्य हैं, फिर भी बड़े शहरों में छोटे स्तरों पर प्रयास जारी हैं।

।। उत्तरांचल में जैविक कृषि ।।

भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार उत्तरांचल मूलतः पहाड़ी क्षेत्र है। प्रदेश के 58 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों में तथा 42 प्रतिशत मैदानी क्षेत्रों में कृषि कार्य हो रहा हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रदेश में लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित हैं। इसमें 9 जनपद पूर्णतः पर्वतीय एवं 2 जनपद पूर्णतः मैदानी तथा शेष 2 जनपदों में पर्वतीय एवं मैदानी भू–भाग सम्मिलित हैं। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 55.66 लाख हैक्टेयर हैं। जिसमें 34.66 लाख हैक्टेयर (62.27प्रतिशत) वनाच्छादित हैं। राज्य में कृषि योग्य भूमि 7.93 लाख हैक्टेयर, 2.23 चारागाह तथा अन्य वृक्षों, झाड़ियों बागों आदि के अर्न्तगत 2.16 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल है। प्रदेश में वास्तविक सिंचित क्षेत्र 3.47 लाख हैक्टेयर (50.06 प्रतिशत) हैं। जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में मात्र 14 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 86 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हैं। उत्तरांचल राज्य में कुल उर्वरक खपत 101 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक खपत मात्र 5 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तथा मैदानी भूभागों में लगभग 200 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हैं। राज्य के मैदानी जनपदों में सामान्य कृषि पद्वति में रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से जहॉ खाद्यानों की पौष्टिकता एवं वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा हैं, वहीं दूसरी ओर भूमि की उपजाऊ शक्ति एवं संरचना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा हैं। जनपद अल्मोड़ा के अधिकांश विकास खण्ड़ों में मृदा नमूनों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि भूमि में जीवांश कार्बन न्यून स्तर (25 से 30 प्रतिशत) पर पहुॅच गया हैं। इस परिस्थितियों को देखते हुए जैविक कृषि ही वर्तमान की आवश्यकता हैं। प्रदेश के गठन के पश्चात् यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि वन एवं ग्राम विकास दो ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रदेश में एक दूसरे के पूरक है। हां एक ओर पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में ग्रामवासी कृषि के लिए वन पर पूरी तरह निर्भर हैं वहीं पौराणिक काल से ग्रामवासियों द्वारा जंगल को धरोहर का स्थान दिया गया हैं।

पहाड़ो में विकट भौगोलिक परिस्थिति की वजह से, कृषि क्षेत्र में ''हरित क्रान्ति'' का प्रभाव अधिक नहीं पड़ा। कृषि मात्र भरण पोषण के लिए रह गई। इस प्रकार कृषि में आय न होने की वजह से, पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की तरफ भारी मात्रा में मनुष्यों का पलायन होता रहा जिससे कृषि के घटकों यथा उद्यान, पशुपालन इत्यादि के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाया। पारम्परिक उद्यान के क्षेत्रों में जहां बड़ी मात्रा में आलू, सब्जी व फल के बगीचे हैं वहां भी किसी भी प्रकार से भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रयास नहीं हो पाये हैं।

प्रतिवर्ष बढ़ते रसायनिक उर्वरक के प्रयोग से जहां एक ओर उत्पादन में निरन्तर कमी हो रही हैं, वहीं बीमारियों व कीटों की समस्याएं बढ रहीं हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कृषि किसी भी प्रकार की तकनीकी विकास (आधुनिक या जैविक) से वंचित हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में लगातार रसायनिक पदार्थो के प्रयोग से कृषि भूमि का जीवांश स्तर तेजी से गिरता चला जा रही है, (Report- CES)।

उत्तरांचल में जैविक या टिकाऊ कृषि को महत्वपूर्ण बल देना भले ही नया मंत्र लग रहा हैं, परन्तु 1992 में रियो डिजनेरों में हुए यू0एन0सी0इ0डी0 (United Nation Conference on Environment and Development) में भारत ने 189 देशों के साथ मिलकर एजेण्डा–21 पर

हस्ताक्षर किये हैं। जिसमें अध्याय 13 के अर्न्तगत पहाड़ों में टिकाऊ कृषि व विकास के बारे में विवरण दिया गया हैं, इसमें कृषि का स्थान सबसे ऊपर है। साथ ही टिकाऊ कृषि व ग्राम्य विकास (SARD) के आदर्श क्षेत्र को विकसित करने का संकल्प लिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों की परिस्थितियों को यदि हम ध्यान में रखें, तो बाहर से भारी कीमत पर आयातित रसायनिक खाद, परिवहन व ढुलान पर आने वाले खर्च, रसायनिक उर्वरक, के प्रयोग के दूरगामी दुष्प्रभावों व कृषि कार्ये में आवश्यकतानुसार रसायनिक खाद की कई कारणों से अनुपलब्धता ही जैविक खाद के पूर्णतयः विकेन्द्रीकृत, अर्थात ग्राम–स्तर पर ही उत्पादन तथा भरपाई की जा सकेगी। जैविक खाद के सार्वभौमिक और विकेन्द्रीकृत उत्पादन तथा उसके व्यापक उपयोग से ही उत्तरांचल को एक कृषि –आधारित, प्रदूषण–विहीन, स्वास्थ्यवर्धक और स्वावलम्बी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। वन–केन्द्रित होने के साथ–साथ जैविक खाद उत्पादन को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में स्थापित करने में वन विभाग, डेयरी विकास विभाग, पशुपालन विभाग, गन्ना विकास विभाग को ग्राम्य विकास के द्वारा गांवों में गठित किये जा रहे स्वयं सहायता समूहों, वन पंचायतों, संयुक्त वन प्रबंध समितियों, कृषक समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी गन्ना समितियों, महिला डेरी समितियों, स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित करने के वृहद प्रयास किये जायेंगें।

जैविक कृषि विकास की नजरों से अगर पहाड़ों की कृषि देखी जाए तो हम पाते है कि प्रदेश के वनों से लगभग 10 मिलियम मैट्रिक टन जैव–अवशेष विभिन्न जंगली पेड़ जैसे बांस, चीड़, देवदार, साल इत्यादि से पाये जाते है। यह महत्वपूर्ण जैव–अवशेष पौराणिक काल से पारम्परिक खाद बनाने के प्रयोग में लाये जा रहे हैं। इस परम्परा को उन्नत एवं उपयुक्त तकनीक से बेहतर बनाने की बहुत अधिक संभवानाएं पायी गयी है। वर्ष 2001 से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चल रही टी0टी0डी0सी0 (तकनीकी स्थानान्तरण व विकास केन्द्र) योजना में पाया गया है कि बेहतर तकनीकी से न केवल खाद की गुणवत्ता बढ़ती हैं, साथ ही जैव अवशेष के पूर्ण सड़न से कीड़े व भूमि सम्बन्धी बीमारियों में भी कमी पायी जाती हैं। महिलाओं के लिए पारम्परिक खाद की तुलना उच्च गुणवता के कम्पोस्ट खेतों तक पहुंचाने के समय में व ढुलान में लगने वाली मेहनत मे भी महत्वपूर्ण अन्तर पाया गया हैं।

उत्तरांचल के कृषि विकास क्षेत्र में जैविक की उन्नत तकनीकों से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के सीमान्त कृषक लाभान्वित रहेंगें। साथ ही कम लागत में अधिक उत्पादन होने की सम्भवना भी अधिक है। कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण की क्रियाओं को पार करके जैविक बाजारों तक पहुंचने की क्षमता होने से कृषक को अपने उत्पाद का यथोचित मूल्य मिलने की सम्भावनायें प्रबल हुई हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी टिकाऊ कृषि पर ध्यान देने से कृषकों की लागत कम किये जाने की आशा हैं, एवं यह कृषि भूमि को सुधारने का एक सरल उपाय भी हैं।

।। जैविक ग्राम में जैविक कृषि प्रबन्धन ।।

2.1. जैविक ग्रामः परिभाषा–

'' ऐसे ग्राम जहॉ कृषक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक हों, तथा कृषि रसायनों के दुष्प्रभाव को देखते हुये जैविक कृषि की महत्ता को अंगीकार कर लिये हैं, और जहां विभिन्न जैविक कृषि सम्बन्धी गतिविधियॉ अपनाई जा रही हैं।''

2.2. जैविक कृषि के अर्न्तगत क्या करें, क्या न करे–

2.2.1 कृषि एवं उद्यान–

क्या करें (Do's):

1– मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी/अधिकता को जानने के लिए मृदा परीक्षण कराएं।

2– कृषकों द्वारा उत्पादित/प्रकृति प्रदत्त जैव–अवशेष तथा बायो एजेन्ट (Bio-Agent) के प्रयोग से निर्मित जैविक खादों, कीटनाशी एवं फफूंदनाशी का प्रयोग करें।

3– केंचुए की खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें।

4– जैव उर्वरकों (राइजोबियम, ऐजेटोबैक्टर, ऐजोस्पाइरिलम, पी0एस0बी0 आदि) का प्रयोग संस्तुति के आधार पर करें।

5– रासायनिक तत्वों से मुक्त (Free) जल से फसलों की सिंचाई करें।

6– हरी खाद का प्रयोग करें।

7– वैज्ञानिक फसल चक्र को अपनाएं। फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश अनिवार्य रूप से करें।

8– गर्मी में गहरी जुताई करें।

9– फसलों/औद्योगिक वृक्षो की उचित प्रजातियों के जैविक बीज/पौधों का प्रयोग करें।

10– फसलों/फल वृक्षों के रोग कीट नियंत्रण हेतु जैविक तरल खाद/तरल कीटनाशी, एन0पी0वी0, बायो–पेस्टीसाइड, जैविक–बीजोपचार (सूर्यकिरण, गर्मजल उपचार आदि) जैसी परम्परागत पद्धतियों का प्रयोग करें।

11– बीजों को बुवाई से पूर्व अनिवार्य रूप से जैव पद्धतियों द्वारा उपचारित करके ही बुवाई करें।

12– खरपतवार नियंत्रण हेतु समय पर निराई–गुड़ाई, स्टेल फार्मिंग, समय पर बुवाई/रोपण, बुवाई की सही पद्धति का चयन, अन्तः फसल (Inter cropping) पद्धति को अपनाएं।

13– मल्चिंग (Mulching) हेतु जैव अवशेष का प्रयोग करें। इससे नमी संरक्षण के साथ–साथ खरपतवारों पर भी नियंत्रण होगा।

14– कृषि वानिकी (एग्रोफारेस्ट्री) को अपनांए।

15– नाइट्रोजन स्थिरकारी (Nitrogen Fixing) पौधों, यथा एकेसिया जैसी प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा दें।

16– जल संचयन (वाटर हारवेस्टिंग) को बढ़ावा दें।

17– फसलों/फसलों की कटाई/तुड़ाई भौतिक परिपक्वन अवस्था (Physical maturity stage) पर करें। जिससे अगली फसल की बुवाई हेतु खेत की तैयारी एवं अन्य शस्य क्रियाओं हेतु पर्याप्त समय मिल सकें।

18– फसल अवशेष को खेत में ही मिट्टी में मिला दें।

19– उत्पाद की समुचित सफाई, छटनी (Grading) एवं प्रसंस्करण करें।

20– उत्पाद को परम्परागत जैविक विधि से भंडारित करें।

21– विविधीकृत कृषि (Deversified Farming) को बढ़ावा देना। जैसे फसलोत्पादन के साथ–साथ पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, जड़ी–बूटी उत्पादन आदि को अपनाएं।

22– जैविक बाढ़ (Bio-Fancing) को बढ़ावा दें।

23– मधुमक्खी पालन इकाई की प्रक्षेत्र पर स्थापना करें। जिससे फसलों/फलों के परागगण (Pollination) को बढ़ावा मिलें।

24– जल एवं भूमि संरक्षण की प्राकृतिक पद्धतियों को अपनायें।

क्या न करें (Don's)–

1– रासायनिक उर्वरकों/कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग न करें।

2– फसल अवशेष/जैव अवशेष को न जलायें।

3– कारखानों के प्रदूषित जल/सीवेज जल से फसलों की सिंचाई न करें।

4– खेत की कम से कम जुताई कर मृदा की सरंचना को कम से कम हानि पहुँचाएं।

5– पर्यावरण (जल, भूमि एवं वायुमण्डल) प्रदूषित करने वाली पद्धतियों को न अपनायें।

6– मित्र कीट/जन्तुओं को क्षति न पहुंचायें।

7– दलहनी एवं तिलहनी फसलों की कटाई जमीन की सतह से करें न कि पौधों को जड़ से उखाड़ें।

8– प्रतिवर्ष एक ही फसल न लगाएं।

9– बिना मार्ग दर्शन के नया जैविक उत्पाद प्रयोग में न लाएं।

।। जैविक ग्राम एवं कृषक के मानक, चयन एवं पंजीकरण ।।

2.3. जैविक ग्राम का चयन –

भविष्य में जैविक ग्रामों का चयन प्रत्येक योजना के क्षेत्रीय कार्यकर्ता (मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं के माध्यम से, विकास खण्ड के सहयोग से, स0वि0अ0 (कृषि) तथा मुख्य कृषि अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

2.4, जैविक ग्राम के मानक –

2.4.1– जैविक ग्रामों के कृषक जैविक कृषि से सम्बन्धित नवीनतम तकनीकी में रूचि रखते हों।

2.4.2– ऐसे ग्राम जहां बाजारोम्मुख उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा हों। जैविक ग्राम में जैविक बाजार की अपार संभावना हो, विपणन के लिए विशेष उत्पाद के उत्पादन की संभावना हो तथा ऐसे ग्रामों में परम्परागत फसलें, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हो सकती हों, तथा यातायात की व्यवस्था समुचित हों।

2.4.3– ऐसे ग्राम जहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल आदि की उपलब्धता हो।

2.4.4– ऐसे ग्राम जो पर्यटन मार्ग पर, पर्यटन स्थल के निकट अथवा भौगोलिक सौन्दर्य स्थल के निकट हों, को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाय।

2.5. जैविक कृषि का चयन–

2.5.1. कृषक अपनी कृषि भूमि पर जैविक कृषि के लिए समर्पित हो।

2.5.2. कृषक के पास कम से कम दो–गोवंशीय पशु हों।

2.5.3. लघु/सीमान्त एवं प्रगतिशील कृषकों तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाय।

2.6. जैविक कृषकों की पंजीकरण प्रक्रिया–

2.6.1– विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वित जैविक कृषि कार्यक्रम के अर्न्तगत चयनित जैविक कृषकों के सम्यक प्रशिक्षण के उपरान्त उनका पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

2.6.2– जैविक कृषक का पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2.6.3– पंजीकरण शुल्क रू0 25.00 (पच्चीस रूपये मात्र) प्रति हैक्टेयर होगा। पंजीकरण धनराशि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा कृषकों से वसूल की जायेगी तथा कृषकों को प्राप्ति रसीद (रूपपत्र–7) उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्राप्त धनराशि को ग्राम पंचायत कोष में जमा किया जायेगा।

2.6.4– पशुपालन जैविक पशु पालन के अर्न्तगत दुधारू पशुओं का भी पंजीकरण किया जा सकेगा। पंजीकरण शुल्क रू0 2.00 मात्र प्रति पशु होगा। जैविक दुग्ध उत्पादन की आगामी योजना के लिए पूर्ण रूप से जैविक मानकों के आधार पर दूध का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु जैविक डेयरी/दुधारू पशुओं का पंजीकरण किया जाना आवश्यक हैं।

2.6.5– पंजीकरण शुल्क की धनराशि का उपयोग :

जैविक कृषकों के पंजीकरण से प्राप्त शुल्क/धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत समिति की सहमति के उपरान्त केवल जैविक कृषि कार्यो के प्रोत्साहन एवं प्रचार–प्रसार हेतु ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

।। <u>विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के उत्तरदायित्व</u> ।।

2.7. मुख्य विकास अधिकारी–

2.7.1– जैविक ग्रामों के चयन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं अनुमोदन।

2.7.2– जैविक ग्रामों में आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न विकास कार्यो/योजनाओं का प्राथमिकता केआधार पर कियान्वयन।

2.7.3– जैविक ग्रामों में कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन, अनुश्रवण तथा मासिक समीक्षा और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संकलन कर शासन को समय पर उपलब्ध कराना।

2.8. मुख्य कृषि अधिकारी–

2.8.1– सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं मास्टर ट्रेनर की सहायता से जैविक ग्रामों का चयन करना।

2.8.2– जैविक गामों में क्रियान्वित विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, तकनीकी समन्वयकों से सांमजस्य स्थापित कर जैविक कृषि कार्यक्रम में गति लाना।

2.8.3– मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना।

2.8.4– योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को गति प्रदान करना।

2.8.5– जैविक कृषि कार्यक्रमों की मासिक समीक्ष एवं निरीक्षण कर आख्या मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना।

2.8.6– जनपद स्तर पर जैविक कृषि पर कार्यशाला, गोष्ठी/मेलों इत्यादि का आयोजन करना।

2.8.7– जनपद स्तर पर ''जैविक कृषि पण्डित'' के पुरस्कार हेतु मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में उन्नतिशील जैविक कृषकों को सूचीबद्व करते हुए नियमानुसार चयन करना।

2.8.8– विकास खण्डों से कार्यक्रम की ''सफलता की कहानी(Success story)'' का संकलन एवं प्रेषण।

2.8.9– कार्यक्रम से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव।

2.9 खण्ड विकास अधिकारी–

2.9.1– जैविक कृषि कार्यक्रमों को तत्काल अन्य योजनाओं को साथ संयोजित (Tieup) करते हुए महत्वपूर्ण स्थान देना।

2.9.2– विकास खण्ड के अर्न्तगत संचालित जैविक कृषि कार्यक्रमों का समयबद्व रूप से निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हुए सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को आख्या/रिपोर्ट प्रेषित करना।

2.9.3– सहायक विकास अधिकारी (कृषि) एवं मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए गतिशीलता प्रदान करना।

2.9.4– जैविक कृषि कार्यक्रमों की ग्राम स्तरीय बैठकों में समीक्षा करना।

2.9.5– जैविक ग्रामों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को संकलित कर उच्चाधिकारियों का प्रेषित करना।

2.9.6– जैविक कृषि से सम्बन्धित कार्यशाला, गोष्ठी/मेला, प्रचार–प्रसार आदि हेतु भरपूर सहयोग प्रदान करना।

2.9.7– जनपद स्तरीय ''जैविक कृषि पण्डित'' के पुरस्कार हेतु उन्नतशील जैविक कृषकों के प्रस्ताव को प्रेषित करना।

2.9.8– कार्यक्रम के विभिन्न विधायों के अच्छे कार्यो की सफलता की कहानियों को संकलित कर प्रेषित करना।

2.10 सहायक कृषि अधिकारी–

2.10.1– जैविक ग्रामों का मानक के अनुसार चयन करना।

2.10.2– जैविक कृषि कार्याक्रमों के अर्न्तगत निर्धारित प्रशिक्षण, अनुश्रवण, तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

2.10.3– कृषकों के पंजीकरण में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का मार्गदर्शन करना।

2.10.4– मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ता को सहयोग प्रदान करना एवं जैविक ग्रामों का भ्रमण कर कृषकों को योजनाओं के बारे में सही जानकारी प्रदान करना।

2.10.5– मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं को योजनाओं की जानकारी देना,उनका प्रोत्साहन तथा समय–समय पर मार्गदर्शन प्रदान करना।

2.10.6– कार्यक्रम हेतु आवश्यक अभिलेख तैयार करना एवं रखरखाव।

2.10.7– सफलता की कहानियां, फोटोग्राफी आदि का संकलन एवं प्रेषण।

2.11. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी–

2.11.1– जैविक कृषकों का सहायक विकास अधिकारी, कृषि एवं मास्टर ट्रेनर के सहयोग से पंजीकरण करना।

2.11.2– निर्धारित पंजीकरण शुल्क कृषकों से प्राप्त कर उन्हें रूपपत्र–7 प्रदान करना।

2.11.3– पंजीकरण शुल्क को ग्राम पंचायत कोष में जमा करना।

2.12. बी0टी0एम0/जैविक कृषि कार्यकर्ता–

2.12.1– जैविक कृषकों के प्रशिक्षण के उपरान्त जैविक कृषि कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

2.12.2– जैविक कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करना।

2.12.3– विभिन्न जैविक प्रयोगों को कृषकों के साथ मिलकर क्रियान्वित करना।

2.12.4– सहायक कृषि विकास अधिकारी के साथ मिलकर कार्य योजना के अनुसार विभिन्न कार्यो को समयान्तर्गत सम्पादित करना।

2.12.5– जैविक कृषकों, आच्छादित क्षेत्रफल, जैविक उत्पाद आदि का लेखा जोखा रखना। जैविक कृषकों की डायरी, जैविक ग्राम की डयरी एवं अभिलेखन पुस्तिका का अवलम्बन करना।

2.12.6– जैविक कृषकों का प्रोत्साहन एवं समय–समय पर मार्गदर्शन करना।

2.12.7– जैविक कृषकों की समस्याओं एवं अन्य चुनौतियों से सहायक कृषि विकास अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/तकनीकी समन्वयक को अवगत कराना।

।। जैविक कार्यक्रम– परामर्श एवं तकनीकी सहयोग ।।

2.13. कृषि निदेशालय–

2.13.1– समस्त जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित तकनीकी साहित्य की रूपरेखा तैयार करना।

2.13.2– जैविक ग्राम की कार्य योजना बनाना।

2.13.3– प्रचार–प्रसार साहित्य, नारे (Slogan) इत्यादि प्रकाशित करने हेतु रूपरेखा तैयार करना।

2.13.4– राज्य स्तर पर जैविक कृषि कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

2.13.5– भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का संकलन कर वार्षिक आख्या (रिपोर्ट) तैयार कर प्रस्तुत करना।

2.13.6– जैविक ग्रामों की सफलता की कहानियां (Success Stories) का संकलन करना।

2.13.7– राज्य स्तर पर ''जैविक कृषि पण्डित'' पुरस्कार हेतु उन्नतिशील जैविक कृषकों की सूची का संकलन करना।

2.13.8– प्रदेश स्तर पर जैविक कृषि, पशुपालन,/डेयरी, उद्यान एवं अन्य घटकों के लिए निर्धारित जैविक प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर गतिशील बनाना।

2.13.9– प्रदेश स्तरीय गोष्ठी, सेमीनार, उपभोक्ता मेले आदि का आयोजन कराना।

2.13.10– मोटे अनाज जैसे मंडुवा तथा स्थानीय दलहनी फसलों यथा गहत, कालाभट्ट आदि की अलग से कार्य योजना बनाना। इन फसलों हेतु उन्नतिशील बीज, नवीन जैविक कृषि तकनीकी को अपना कर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना। फसलों में गुणवत्ता के निर्धारण हेतु पोषक तत्वों का परीक्षण कराना तथा व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।

2.13.11– जैविक कृषि से सम्बन्धित अन्य सहयोगी घटक जैसे जैविक भण्डारण के बेहतर उपाय, कृषि उपकरण, उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था, विभिन्न प्रकार की कम्पोस्ट बनाने की विधियां, वर्मी कम्पोस्ट, सी0पी0पी0 इत्यादि के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करना।

2.14. उत्तरांचल जैविक उत्पाद परिषद–

2.14.1– समस्त जैविक ग्रामों की विकासखण्ड सूची संकलित करना।

2.14.2– समस्त मास्टर ट्रेनर/जैविक कृषि कार्यकर्ताओं, विषय वस्तु विशेषज्ञों की सूची को संकलित करना।

2.14.3– जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित तकनीकी साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन करना।

2.14.4– जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त मासिक प्रगति आख्या का संकलन करवाना।

2.14.5– जैविक उत्पादों एवं कृषि क्षेत्रों से सम्बन्धित वार्षिक सूचना का संकलन करना।

2.14.6– विभिन्न जैविक कृषि योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना।

2.14.7– जैविक उत्पादों के विपणन सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2.14.8– जैविक उत्पादों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण रखना।

2.14.9– प्रदेश में चल रही विभिन्न जैविक परियोजनाओं, गैर सरकारी संस्थान (NGO) स्तरीय कार्यक्रम एवं निजी संस्थाओं के कार्य एवं प्रयासों को एकबद्ध करना।

2.14.10– इन प्रयासो की गुणवत्ता सुधारने में सहयोग करना।

2.14.11– जैविक कृषि के विभिन्न पहलुओं को कृषक तक योजनाओं के माध्यम से पहुँचाना।

2.14.12– नीतिगत विषयों पर विचार करना।

2.15. मण्डी परिषद–

2.15.1– प्रदेश की समस्त मण्डियों में जैविक कृषि उत्पाद के लिए विशेष स्थान प्रावधान करना।

2.15.2– जैविक कृषि कार्यक्रमों से सम्बन्धित नारे (Slogan), बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार एवं कार्यक्रम को प्रदर्शित करना।

2.16. उत्तरांचल राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था–

2.16.1– जैविक कृषकों के प्रमाणीकरण हेतु कृषक डायरी का रूप पत्र तैयार करना, एवं सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना।

2.16.2– आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को शीघ्र क्रियान्वित करना।

2.16.3– जैविक कृषकों एवं जैविक कृषि उत्पाद का लेखा जोखा से सम्बन्धित रिकार्ड रखना।

।। जैविक कृषि कैसे अपनायें– कुछ महत्वपूर्ण निर्देश ।।

भारत में हरित क्रान्ति के आगमन के पूर्व लगभग सभी कृषक एक तरह के जैविक कृषि कार्य प्रणाली में ही अपने विभिन्न कृषि कार्य कलापों को सम्पन्न करते थे। उत्तरांचल जैसे अन्य असिंचित प्रदेश के क्षेत्रों में अभी भी जैविक पद्वति (विना रसायन के प्रयोग) से कृषि कार्य किया जाता है परन्तु आधुनिक काल में जैविक कृषि की परिभाषा के अनुसार केवल रसायनों के प्रयोग को निषेध करना मात्र जैविक कृषि नहीं कहलाता हैं। रसायनों के प्रयोग को पूर्णत' प्रतिबन्धित कर अन्य कई कार्य जो हर प्रकार से संतुलित रखते हैं जैसे पशुओं का रख रखाव, फसल चक्र, सहभागी फसल, स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग, कृषि में उद्यान, पशुपालन, महिला वर्ग की सहभागिता, भण्डारण व विपणन में पारदर्शक गतिविधियां आदि समस्त कार्यो के संयुक्त सम्मिलन से जैविक कृषि मानी गई हैं।

पौराणिक काल में शायद यहीं कृषि अपनाई जाती थी जब कृषि मात्र खाद्यान पैदा करने के लिए नहीं, एक संस्कृति के रूप में अपनाई जाती थी।

ठीक इसी प्रकार विश्व में खाद्यान उत्पादन के स्रोत की जानकारी से उपभोक्ता को अवगत कराना भी जैविक कृषि विपणन का महत्वपूर्ण अंग है। डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थो के इस युग में यह जानना संभव नहीं कि प्रातः का भोजन विश्व के किस कोने से है तथा रात्रि का भोजन कहां से प्रकट हुआ हैं। इस प्रकार स्थानीय बाजार में खाद्यान की उपलब्धता व उपभोक्ता हेतु ताजे उत्पादों की उपलब्धता भी जैविक कृषि विपणन का एक अंग हैं।

एक आम छोटा कृषक शीघ्र व कम कष्ट से जैविक में रूपांतरित हो सकता हैं अव्वल यह जानना महत्वपूर्ण है कि जैविक बाजार के लिए पहले अपनी कृषि अर्थव्यवस्था, भूमि संरक्षण, पशु प्रबन्धन एवं पर्यावरण संतुलन को सुधारना हैं। जब कृषक दो–तीन फसल चक्रों को जैविक पद्धति से पूर्ण कर लेते हैं तब प्रमाणीकरण की औपचारिक को पूर्ण करने के पश्चात् बाजार में अपना उत्पाद सरल हो जाता हैं।

जैविक कृषि का प्रबन्धन अवशेष प्रबन्धन है जब कृषक को जैविक अवशेष से खाद बनाने की तकनीकों का ज्ञान हो तो उसे स्थानीय रूप से प्राप्त कृषि अवशेष, गोबर, जंगल के पत्ते आदि के बेहतर उपयोग से कम्पोस्ट में प्रयोग करने से लागत धीरे–धीरे कम होती चली जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में यह रूपांतरण समयावली की कुछ संस्तुतियों से संभव है जिन क्षेत्रों में पूर्व में रसायनों में अत्याधिक प्रयोग हो रहा है वहां 2 से 3 वर्ष की अवधि में बिना उत्पादन क्षमता में गिरावट के जैविक उत्पाद लिया जाना संभव हैं।

एक आम कृषक को जैविक कृषि पद्धति अपनाने के लिए कुशल प्रबन्धन की आवश्यकता होगी। यदि कृषक स्वयं के प्रक्षेत्र एवं आस पास के क्षेत्रों में प्रकृति प्रदत्त जैव अवशेष का उचित प्रबन्धन कृषि उपयोग हेतु करता है तो बिना रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी का प्रयोग किये ही स्थायी उत्पाद

प्राप्त कर सकता है जैविक कृषि कार्यक्रम का मुख्य ध्येय है कि कृषि क्षेत्र में कृषक को स्वाबलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाया जाय जो कि हमारी पर्वतीय कृषि के लिए निश्चित ही उपयोगी होगा।

पारम्परिक रूप से कृषि करने वाला कृषक एवम् वह कृषक जो नाम मात्र की मात्रा में रसायनों का प्रयोग करते है, उनके लिए जैविक कृषि में रूपान्तरण आसान है परन्तु प्रमाणीकरण हेतु कृषि की दैनिक गतिविधियां का लेखा रखने के अतिरिक्त कार्य करना पड़ता हैं। यहां पर यह बताना भी आवश्यक है कि पारम्परिक कृषि पद्धति, जैविक कृषि प्रमाणीकरण हेतु मान्य है परन्तु पारम्परिक कृषि को बिना रसायनों के प्रयोग से आधुनिक तकनीकी से बेहतर बनाया जा सकता हैं।

उदाहरणतः हम उत्तरांचल में फसल उत्पादन व भरण पोषण के परिप्रेक्ष्य में पारम्परिक अनाजों के उत्पादन को ले तो हम देखते है कि इनका उत्पादन इतना नहीं है जिससे कृषक अपना भरण पोषण भी करें और अतिरिक्त अनाज को बाजार में विक्रय कर आय का साधन भी जुटा सकें। इन क्षेत्रों में यदि पारम्परिक अनाज का उत्पादन बढ़ाना हमारा उद्देश्य हो तो असिंचित क्षेत्र की भूमि पर रसायनों का प्रयोग उचित नहीं है और अवैज्ञानिक भी हैं। इस कृषि कार्य में उन्नत जैविक निवेशों का प्रयोग कर अच्छे उत्पाद लेना सम्भव हैं। जैविक कृषि निवेश स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन करके किया जा सकता हैं। ये निवेश बहुत कम खर्चीले होते हैं। ये पारम्परिक पद्धतियों के महज एक सुधार मात्र है और ग्राम की सांस्कृति शैली से भिन्न नहीं हैं। अंततः ये सुधरी हुई पारम्परिक कृषि पद्धतियों के महज एक सुधार मात्र हैं और ग्राम की सांस्कृति शैली से भिन्न नहीं है। अंततः ये सुधरी हुई पारम्परिक कृषि पद्धतियां, असिंचित कृषि क्षेत्रों के लिये आधुनिक जैविक कृषि का रूप ले लेती है।

<u>इस प्रकार जैविक कृषि में रूपान्तरण हेतु सबसे पहले</u>–

- ❖ कृषक वैज्ञानिक विधियों से विभिन्न उन्नत कम्पोस्ट तकनीकों को अपनाएं। इन्हें अपनी दिनचर्या व सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में लाएं।
- ❖ उन्नत कम्पोस्ट तकनीकों के निम्नलिखित लाभ जानें–

(1)– परम्परागत रूप से उपलब्ध कृषि अवशेषों, पत्तों गोबर, इत्यादि में पोषक तत्वों का संतुलित विधियों से सुधार होता हैं।

(2)– पौधों को पूर्णतया सड़ी खाद उपलब्ध होती हैं।

(3)– पूर्ण रूप से सड़ी खाद का प्रयोग करने से अपूर्ण रूप से सड़ी कम्पोस्ट के प्रयोग से उत्पन्न अनेकों प्रकार की बीमारियों, कीटों से खेत बचे रहते हैं।

(4)– पूर्ण रूप से सड़ी खादें हल्की होती हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक होता हैं।

(5)– कृषि अवशेष, गोबर जैसे अनमोल प्राकृतिक स्रोतों का सही प्रकार से उचित प्रबन्धन होता हैं।

(6)– पोषक तत्वों की बढ़ी हुई मात्रा से पारम्परिक फसलों, फल, सब्जियों में अधिक उत्पादकता मिलती हैं।

(7)– भूमि में पोषक तत्वों की संतुलित उपलब्धता से पौधों में भी संतुलन आता हैं तथा उनमें रोग व कीटों के प्रति प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधकता का भी विकास होता हैं।

(8)– नाईट्रोजन (नत्रजन), फास्फोरस (स्फुर) तथा पोटाश के अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम व्यय में कृषि अवशेष, खरपतवार के कम्पोस्ट में प्रयोग से खेत तक पहुंचाय जा सकता हैं।
(9)– निर्देशित उचित फसल चक्र, हरी खादों का प्रयोग, परम्परागत कीट नियंत्रण तकनीकों को अपनाएं। ये तकनीकें कम खर्चीली होने के साथ–साथ पर्यावरण के लिए हानिरहित भी होती हैं।
(10)– आलू, गोभी जैसी उच्च पोषक तत्व मांग वाली फसलों को खेत में उगाते समय उचित फसल चक्र व अन्तरवर्तीय फसलों को उगाने का प्रयास करें।
(11)– कम्पोस्ट खाद बनाने को कृषक अपने लिए ''खाद उद्योग'' का दर्जा दे सकता हैं। कम्पोस्ट खाद का निर्माण करते समय विभिन्न पदार्थ जैसे हड्डी का चूरा, नीम की खली, हरा पदार्थ इत्यादि मिलाने से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती हैं।

इस प्रकार जैसे कि पहले भी बताया गया है कि कृषक नीम, बकैन, सिसुणा, लैण्टाना, अखरोट आदि के पत्ते, सड़ा मट्ठा गौ–मूत्र जैसे पदार्थ के प्रयोग से मित्र कीटों को हानि पहुंचाए बिना शत्रु कीटों को दूर भगाते हैं और पौधों को पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे जैसे कृषक विभिन्न जैविक क्रिया कलापों को अपनाते जाते हैं वैसे वह संतुलित कृषि की ओर बढ़ते जाते हैं।

जैविक कृषि का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग पशु भी हैं। पशु को उचित चारा, उचित रख रखाव तथा प्रतिदिन न्यूनतम चार घण्टे मुक्त भ्रमण दिया जाना चाहिए। पशु सदन में स्वच्छ वायु संचार, सूर्य की रोशनी, बन्धन की उन्नत विधियां, अनावश्यक रूप से कार्य दोहन पर रोक व मानवीय अत्याचार से मुक्ति आदि सभी जैविक कृषि के ही महत्वपूर्ण अंग हैं।

जैविक कृषि उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृषि गतिविधियों का सम्पूर्ण दस्तावेजीकरण। प्रमाणीकरण की जटिल प्रक्रिया की चुनौती व सुविधापूर्ण रूप से सामना करने के लिये कृषक यदि प्रारम्भ से ही एक छोटी सी पुस्तिका में अपने कृषि कार्यो की समस्त गतिविधियों को जिनमें बीज का स्रोत, बोने की तिथि, कम्पोस्ट निर्माण व खेत में फसल की तिथि व विधि, निवेश का लेखा जोखा, फसल कटान की जानकारियां, भण्डारण का लेखा जोखा इत्यादि शामिल हैं को सरल भाषा में लिखते जाएं तो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अत्यन्त सरल हो जाती हैं।

जैविक कृषि अपनाते समय कृछ सावधानियों को ध्यान में रखना आवष्यक होता हैं। जो निम्न प्रकार से हैं–

1– ग्राम के समस्त कृषक सामूहिक तरीके से एक जुट होकर चयनित जोतों को मिलाकर एक बड़ी जोत बनाकर जैविक कृषि करें। प्रत्येक ग्राम में कम से कम 1–1.50 हेक्टेयर तक की बड़ी जोत मिलाने का प्रयास करे। इससे जैविक उत्पादन भी बढ़ेगा तथा जैविक प्रक्षेत्र को पारम्परिक व रसायनिक कृषि प्रक्षेत्रों से अलग रखने हेतु बफर जोन बनाने में सरलता रहती है फलस्वरूप पानी के स्रोत, वायु, पशु, आवागमन इत्यादि से संक्रमण कम हो जाती हैं।

2– सामूहिक रूप से छिड़काव यंत्रों, प्रसंस्करण यंत्रों यथा थ्रैशर अत्यादि का प्रयोग करें जिससे व्यय में कमी होगी और कार्य में सरलता रहेगी इन यंत्रों को रसायनों हेतु कदापि प्रयोग न करें और चिन्हित अवश्य करें।

3– सामान्तर उत्पादन के लिय प्रमाणीकरण संस्थाएं सदैव से ही संवेदनशील रहती हैं। कृषक एक प्रकार की फसल को जैविक तथा रसायनिक दोनों पद्धतियों से एक साथ न उगाएं। इस सावधानी को अपनाने से समानान्तर उत्पादन सम्बन्धित आपत्ति जैविक प्रमाणीकरण में रूकावट नहीं बनती हैं।

इस प्रकार कृषक, जैविक कृषि की पद्धतियों व विभिन्न क्रियाकलापों को अपनी जीवनशैली में अपनाकर एवं लघु कृषक डायरी में लेखा जोखा रखकर अत्यन्त सरलता से सफल जैविक कृषक बन सकता हैं।

यथा फसल की कटाई, छटनी, प्रसंस्करण, भण्डारण इत्यादि प्रत्येक अवस्था में इस बात का ख्याल अवश्य रखना होगा कि जैविक उत्पाद में किसी भी प्रकार से अन्य उत्पादों का सम्मिश्रण न हों।

जैविक उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु एवं उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य जैविक उत्पाद की विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण अति आवश्यक है यह प्रमाणीकरण उपभोक्ता को आश्वस्त करता है कि उसके द्वारा खरीदा गया उत्पाद रसायनमुक्त व जैविक है साथ ही साथ यह सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (TQM-Total Quality Management) में भी सहायक होता है।

लघु व सीमान्त कृषकों के लिए यूँ तो प्रमाणीकरण प्रक्रिया काफी मंहगी है परन्तु वे सभी जैविक गतिविधियों का संक्षिप्त दस्तावेजीकरण करके एवं समूह में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली लागू कर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को काफी सस्ता एवं सुलभ बना सकते हैं।

पर्वतीय कृषि को व्यावसायिक रूप प्रदान करने लिए जैविक कृषि कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों की मांग दिनों–दिन बढ़ती जा रही हैं तथा जैविक गुणवत्ता उत्पाद के निर्यात की भी व्यापक संभावनाऐं विद्यमान हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे–छोटे खेतों में जैविक गुणवत्ता उत्पाद के उत्पादन को प्रोत्साहित करके पर्वतीय कृषि बाजारोन्मुखी बनाया जा सकता हैं। जिसमें कृषक स्वयं के प्रक्षेत्र पर उत्पादित जैविक खाद कम्पोस्ट तरल खाद, जैविक कीटनाशी का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता उत्पाद (High Value Product) का उत्पादन ले सकता है जिससे हमारी कृषि लागत एवं कृषकों की दूसरों पर निर्भरता घटेगी तथा हमारे राज्य का पर्यावरण भी अच्छा होगा।

।। मैनुअल–9 ।।

(अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका)

क0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल (कार्यालय का नाम)	मोबाईल नं0
1	2	3	4	9
1	श्री जे0पी0तिवारी	मुख्य कृषि अधिकारी (श्रेणी–1)	मुख्य कृषि अधिकारी, टि0ग0नरेन्द्रनगर	7579035116
2	श्री प्रवेन्द्र कुमार	कृषि रक्षा अधिकारी (श्रेणी–2)	मुख्य कृषि अधिकारी, टि0ग0नरेन्द्रनगर	8650205151
3	श्री सोमांश कुमार गुप्ता	कृ0एवंभू0सं0अ0 (श्रेणी–2)	कृ0एवंभू0सं0अ0, नरेन्द्रनगर	9758078891
4	श्री भगवान दास वर्मा	कृ0एवंभू0सं0अ0 (श्रेणी–2)	कृ0एवंभू0सं0अ0 चम्बा	9411344597
5	श्री राजदेव पंवार	कृ0एवंभू0सं0अ0 (श्रेणी–2)	कृ0एवंभू0सं0अ0, नई टिहरी	6395295108
6	श्री एच0सी0 भारद्वाज	कृ0एवंभू0सं0अ0 (श्रेणी–2)	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तीनगर	9528746475
7	श्री राजन सिंह गुसॉई	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	9412113636
8	श्री दर्मियान सिंह नेगी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	8126489531
9	श्री सोनूराम	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	–
10	डॉ0 श्रीमती नलिनी सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	–
11	श्री विनोद कुमार गौतम	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	–
12	श्री सुधीर बड़थ्वाल	लेखाकार	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	–
13	श्री विनय प्रकाश बमराडा	कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	–

14	श्रीमती किरन शाह	वरिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	–
15	कु0 रितु काम्बोज	कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	–
16	श्री मयंक डोभाल	कनिष्ठ सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	9634933073
17	श्री सुभाष चन्द्र ठाकुर	चतुर्थ श्रेणी	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	
18	श्री दीवान सिंह रावत	चतुर्थ श्रेणी	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	
19	श्री शान्ति लाल	चतुर्थ श्रेणी	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	
20	श्री कुलदीप	चतुर्थ श्रेणी	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	
21	श्री सत्य प्रसाद उनियाल	चतुर्थ श्रेणी	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	
22	श्री दिनेश सिंह नेगी	चतुर्थ श्रेणी	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	
23	श्री जगमोहन	चतुर्थ श्रेणी	मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी	

कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय, चम्बा।

24	श्री उमेश सिंह	वरिष्ठ सहायक	कार्या0कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	8273835792
25	श्री जीत सिंह राणा	प्रधान सहायक	कार्या0कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	9458326925
26	श्री अमित कुमार सिंह	कनिष्ठ सहायक	कार्या0कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	7897801545
27	श्री आन्नद सिंह पवांर	अपर सहायक अभियन्ता	कार्या0कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	7500222256
28	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	कार्या0कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	9456171822
29	श्री दिनेश प्रसाद सेमल्टी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	कार्या0कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा/न्याय प्रचायत डडूर	8445339538
30	श्री मनोज कुमार	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	विकास खण्ड प्रभारी, प्रतापनगर	7895129700
31	श्री धनपति सिंह जयाड़ा	प्रभारी मानचित्रक	कार्या0कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	7409649184
32	श्री बीर सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	वि0ख0प्र0 थौलधार एवं न्याय पं0प्र0 इडियान	9411391990
33	श्री शूरवीर सिंह असवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	न्याय पंचायत प्रभारी, दिखोलगांव	9410750762
34	श्री जवाहर लाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	न्याय पंचायत प्रभारी, नकोट, जगधार	9568251219
35	श्री नित्यानन्द उनियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	न्याय पंचायत प्रभारी, देवरी	9997427850
36	श्री रणवीर सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	न्याय पंचायत प्रभारी, रामगांव	9412960348
37	श्री श्रीदेव प्रसाद जोशी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	न्याय पंचायत प्रभारी, सरोट, क्यारी	9411747155
38	श्री अर्जुन सिंह रमोला	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	न्याय पंचायत प्रभारी, ओनालगांव	9675891938
39	श्री नितेन्द्र सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	न्याय पंचायत प्रभारी, पांगरखाल	9017265757
40	श्री इन्दुभाष्कर	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	न्याय पंचायत प्रभारी, विरोगी	9837785032

40	श्रीमती सोनी रावत	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	न्याय पंचायत प्रभारी, पलास	7060307830
41	श्री अनिल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	न्याय पंचायत प्रभारी, बरवालगांव	9997870388
42	श्री संजय जोशी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	न्याय पंचायत प्रभारी, सिलवालगांव	8859492136
43	श्री अखिलेश सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	न्याय पंचायत प्रभारी, रोणिया, तिनवालगांव	9758035027
44	श्री महेश सेमवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	न्याय पंचायत प्रभारी मोटना, भेनगी	7300939877
45	श्री धनपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	न्याय पंचायत प्रभारी, गरवालगांव, पनियाला	8755587182
46	श्री कुवंर सिंह	चतुर्थ श्रेणी	कार्या0कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	9411735088
47	श्री वीर सिंह तोमर	चतुर्थ श्रेणी	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	9411391990
48	श्री धर्म सिंह चौहान	चतुर्थ श्रेणी	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	9837185415
कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय, नरेन्द्रनगर।				
49	श्री केदार सिहं रावत	स0कृ0अ0वर्ग– 1	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	9411712219
50	श्री राजेश कुमार	स0कृ0अ0वर्ग– 1	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	6397324267
51	श्री सरदार सिह विष्ट	स0कृ0अ0वर्ग– 2	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	9719211811
52	श्री भूवनेन्द्र प्रसाद खन्तवाल	स0कृ0अ0वर्ग– 2	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	9758008942
53	श्री मनोज कुमार चौहान	स0कृ0अ0वर्ग– 2	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	7579417335
54	श्री अजय कुमार सिह	स0कृ0अ0वर्ग– 3	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,	9410153627

			नरेन्द्रनगर	
55	श्री दीपक भण्डारी	स0कृ0अ0वर्ग– 3	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	7017716462
56	श्री ज्योती सिह रावत	स0कृ0अ0वर्ग– 3	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	9993238261
57	श्री दिनेश नेगी	स0कृ0अ0वर्ग– 3	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	7060193409
58	श्री सुनिल लाल	स0कृ0अ0वर्ग– 3	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	9536865092
59	श्री अमेज कुमार	स0कृ0अ0वर्ग– 3	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	9917138135
60	श्री पहल सिहं	स0कृ0अ0वर्ग– 3	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	8607075550
61	श्री हर्षलाल नगवाण	प्रशासनिक अधिकारी	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	8126377236
62	श्री प्रवीण सिह नेगी	प्रधान सहायक	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	7579061285
63	श्री विक्रम सिह रावत	मानचित्रक	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	9411146685
64	श्री रमेश प्रसाद नौटियाल	वरिष्ठ सहायक	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	9458911821
65	श्री कलम सिह नेगी	कनिष्ठ सहायक	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	9548308258
66	श्री रोहित लिगवाल	कनिष्ठ सहायक	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	9045311152
67	श्री सुरेन्द्र सिंह	चतुर्थ श्रेणी	कार्या0 कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर	8126312032
68				

69				
कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय, नई टिहरी।				
70	श्रीमती सुनीता शाह	स0कृ0अ0वर्ग–1	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय नई टिहरी	9401050771
71	श्री बालेश्वर प्रसाद	स0कृ0अ0वर्ग–1	विकास खण्ड– भिलंगना	8954291131
72	श्री रघुवीर सिंह	स0कृ0अ0वर्ग–1	विकास खण्ड– जाखणीधार	9761847498
73	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	स0कृ0अ0वर्ग–2	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय नई टिहरी	9412984380
74	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार	स0कृ0अ0वर्ग–2	भण्डार प्रभारी– विकास खण्ड–जाखणीधार	9719857655
75	श्री महावीर सिंह रावत	स0कृ0अ0वर्ग–2	भण्डार प्रभारी– भिलंगना	9411572373
76	श्री अमर नाथ सिंह यादव	स0कृ0अ0वर्ग–2	न्याय पंचायत– जलवालगांव	9987541251
77	श्री रामनाथ	स0कृ0अ0वर्ग–3	न्याय पंचायत–दपोली, गराकोट	63990908024
79	श्री मुकेश लाल	स0कृ0अ0वर्ग–3	न्याय पंचायत–नन्दगांव, कुमारधार	785637221
80	श्री प्रमोद कोठियाल	स0कृ0अ0वर्ग–3	न्याय पंचायत–कोटियाडा,	8410234937
81	श्री पंकज नेगी	प्रशासनिक अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय नई टिहरी	9897827500
82	श्री सुनील पंवार	सहायक लेखाकार	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय नई टिहरी	9997362429
84	श्री उपकार कुमार	वरिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय नई टिहरी	9897020646
85	श्रीमती अलका थपलियाल	कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय नई टिहरी	9410196272
86	श्री नितिश कुमार	कनिष्ठ सहायक	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय नई टिहरी	7248511823
87	श्री सुरेन्द्र सिंह राणा	वाहन चालक	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय नई टिहरी	9897054557

88	श्री हीरा सिंह नेगी	चतुर्थ श्रेणी	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय नई टिहरी	9411132863
89	श्री खिला लाल	चतुर्थ श्रेणी	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय नई टिहरी	7300564881
90	श्री अनूप लसियाल	चतुर्थ श्रेणी	कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यालय नई टिहरी	9458951064
91	श्री मुकेष कुमार सैनी,	अपर सहायक अभियन्ता	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	9411748408
92	श्रीमती संगीता सिंह	स0कृ0अ0, वर्ग–1	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	7248209242
93	श्री हरेन्द्र कुमार	स0कृ0अ0, वर्ग–1	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	9897218041
94	श्री बिजेन्द्र सिंह गुसांई	स0कृ0अ0, वर्ग–2	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	9411104326
95	श्री इन्द्र सिंह बिष्ट	स0कृ0अ0, वर्ग–2	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	8979003212
96	श्री राममोहन सिंह रावत	स0कृ0अ0, वर्ग–2	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	7248115716
97	श्री विनय कुमार डिमरी	स0कृ0अ0, वर्ग–2	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	9634998995
98	श्री गणेष चन्द्र ध्यानी	स0कृ0अ0, वर्ग–2	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	8057697466
99	श्री सुनील नौटियाल	स0कृ0अ0, वर्ग–3	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	9193103801
100	श्री सूरजदेव सिंह	स0कृ0अ0, वर्ग–3	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	8057634040
101	श्रीमती रामेष्वरी पाण्डे	प्रषासनिक अधिकारी	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	8126035451
102	श्री विपिन चन्द कुमांई	प्रधान सहायक	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	7060328446
103	श्री आषीष कुमार	वरिष्ठ सहायक	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	7895499356
104	श्री आषीष कुमार	कनिष्ठ सहायक	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	7895851103
105	श्री सुरेन्द्र सिंह सजवाण	प्रभारी मानचित्रक (अनुरेखक)	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	9760710875
106	श्री गुन्दर सिंह बिष्ट	चतुर्थ श्रेणी	कृ0एवंभू0सं0अ0, कीर्तिनगर	8650646054

।। मैनुअल–10 ।।

(प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके नियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।)

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक भत्ता,	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धती जो नियमावली में दी गयी है।
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जे0पी0तिवारी	मुख्य कृषि अधिकारी (श्रेणी–1)	91100.00	–	सम्बन्धित शासनादेशों के अनुसार
2.	श्री प्रवेन्द्र कुमार	कृषि रक्षा अधिकारी (श्रेणी–2)	61300.00	–	
3.	श्री राजन सिंह गुसॉई	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	63100.00	–	
4.	श्री दर्मियान सिंह नेगी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	53600.00	–	
5.	श्री सोनूराम	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	56900.00	–	
6.	डॉ0 श्रीमती नलिनी सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	58600.00	–	
7.	श्री विनोद कुमार गौतम	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	67000.00	–	
8.	श्रीमती किरन शाह	वरिष्ठ सहायक	29200.00	–	
9.	श्री विनय प्रकाश बमराडा	कनिष्ठ सहायक	25200.00	–	
10.	श्री सुधीर बड़थ्वाल	लेखाकार	35400.00	–	
11.	कु0 रितु काम्बोज	कनिष्ठ सहायक	22400.00	–	
12.	श्री मयंक डोभाल	कनिष्ठ सहायक	26500.00		
13.	श्री सुभाष चन्द्र ठाकुर	चतुर्थ श्रेणी	42800.00	–	
14.	श्री दीवान सिंह रावत	चतुर्थ श्रेणी	37000.00	–	
15.	श्री शान्ति लाल	चतुर्थ श्रेणी	35300.00	–	
16.	श्री कुलदीप	चतुर्थ श्रेणी	20900.00	–	
17.	श्री सत्य प्रसाद उनियाल	चतुर्थ श्रेणी	40400.00	–	
18.	श्री दिनेश सिंह नेगी	चतुर्थ श्रेणी	35300.00	–	
19.	श्री जगमोहन	चतुर्थ श्रेणी	37500.00	–	
20.	श्री भगवान दास	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	73200.00	–	
21.	श्री एच0सी0 भारद्वाज	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	109100.00		
22.	श्री आनन्द सिंह पवांर	अपर सहायक अभियन्ता	69000.00	–	

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक भत्ता,	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धती जो नियमावली में दी गयी है।
1	2	3	4	5	6
23.	श्री प्रदीप तिवारी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	67000.00	–	
24.	श्री मनोज कुमार	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	58600.00	–	
25.	श्री धनपति सिंह जयाड़ा	प्रभारी मानचित्रक	66000.00	–	समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशानुसार एवं संवर्ग की नियमावली के अनुरूप पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है।
26.	श्री दिनेश प्रसाद सेमल्टी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	55200.00	–	
27.	श्री बीर सिंह नेगी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	67000.00	–	
28.	श्री शूरवीर सिंह असवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	67000.00	–	
29.	श्री जवाहर लाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	45400.00	–	
30.	श्री नित्यानन्द उनियाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–2	67000.00	–	
31.	श्री रणवीर सिंह रावत	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–1	67000.00	–	
32.	श्री श्रीदेव प्रसाद जोशी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	55200.00	–	
33.	श्री अर्जुन सिंह रमोला	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	55200.00	–	
34.	श्री जीत सिंह	प्रधान सहायक	46200.00	–	
35.	श्री अमित कुमार सिंह	कनिष्ठ सहायक	24500.00	–	
36.	श्री नितेन्द्र सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	27900.00	–	
37.	श्री इन्दु भाष्कर	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	27900.00	–	
38.	श्रीमती सोनी रावत	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	279000.00	–	
39.	श्री अनिल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	27900.00	–	
40.	श्री संजय जोशी	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	27900.00	–	
41.	श्री अखिलेश सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	27900.00	–	
42.	श्री महेश सेमवाल	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	27900.00	–	
43.	श्री धनपाल सिंह	सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3	27900.00	–	
44.	श्री कुवंर सिंह	चतुर्थ श्रेणी	39200.00	–	
45.	श्री वीर सिंह तोमर	चतुर्थ श्रेणी	40400.00	–	
46.	श्री धर्म सिंह चौहान	चतुर्थ श्रेणी	364000.00	–	
47.	श्री श्यामदेव बर्मन	स0कृ0अ0 वर्ग–2	65000.00	–	

क्र0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक भत्ता,	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धती जो नियमावली में दी गयी है।
1	2	3	4	5	6
48.	श्री हर्षलाल नगवाण	प्रशासनिक अधिकारी(कार्यालय में)	50500.00	–	
49.	श्री प्रवीण सिह नेगी	प्रधान सहायक (कार्यालय में)	46200.00	–	
50.	श्री विक्रम सिह	अनुरेखक / मानचित्रक(कार्यालय में)	66000.00	–	
51.	श्री रमेश प्रसाद नौटियाल	वरिष्ठ सहायक(कार्यालय में)	39200.00	–	
52.	श्री कलम सिह नेगी	कनिष्ठ सहायक(कार्यालय में)	40400.00	–	
53.	श्री रोहित लिगवाल	कनिष्ठ सहायक(कार्यालय में)	27600.00	–	
54.	श्री केदार सिंह रावत	स0कृ0अ0वर्ग–1 वि0ख0प्र0नरेन्द्रनगर	67000.00	–	
55.	श्री भूवनेन्द्र प्रसाद खन्तवाल	स0कृ0अ0वर्ग– 2	67000.00	–	
56.	श्री मनोज कुमार चौहान	स0कृ0अ0 वर्ग– 2	52000.00	–	
57.	श्री दीपक भण्डारी	स0कृ0अ0 वर्ग– 3	27900.00	–	
58.	श्री ज्योती सिह रावत	स0कृ0अ0 वर्ग– 3	27100.00	–	
59.	श्री दिनेश नेगी	स0कृ0अ0 वर्ग– 3	27100.00	–	
60.	श्री राजेश कुमार	स0कृ0अ0वर्ग–1 वि0ख0प्र0जौनपुर	69000.00	–	
61.	श्री सरदार सिह विष्ट	स0कृ0अ0 वर्ग– 2	67000.00	–	
62.	श्री सुनिल लाल	स0कृ0अ0 वर्ग– 3	27900.00	–	
63.	श्री अमेज कुमार	स0कृ0अ0 वर्ग– 3	27900.00	–	
64.	श्री पहल सिंह	स0कृ0अ0 वर्ग– 3	26300.00	–	
65.	श्री सुरेन्द्र सिंह	चतुर्थ श्रेणी(कार्यालय में)	28400.00	–	
66.	श्री अजय कुमार सिह	स0कृ0अ0 वर्ग– 3(कृ0भू0सं0इ0रायपुर देहरादून में सम्बद्व)	67000.00	–	
67.	श्री सुरेन्द्र सिंह	चतुर्थ श्रेणी	26800.00	–	

क्र0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक भत्ता,	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धती जो नियमावली में दी गयी है।
1	2	3	4	5	6
68.	श्री राजदेव पंवार	कृ0भू0सं0अ0, टिहरी	61300.00	—	
69.	श्रीमती सुनीता शाह	स0कृ0अ0वर्ग—1	58600.00	—	
70.	श्री बालेश्वर प्रसाद	स0कृ0अ0वर्ग—1	69000.00	—	
71.	श्री रघुवीर सिंह	प्रभारी मानचित्रक	69000.00	—	
72.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	स0कृ0अ0वर्ग—2	55200.00	—	
73.	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार	स0कृ0अ0वर्ग—2	67000.00	—	
74.	श्री महावीर सिंह रावत	स0कृ0अ0वर्ग—2	53600.00	—	
75.	श्री रामनाथ	स0कृ0अ0वर्ग—2	27900.00	—	
76.	श्री मुकेश लाल	स0कृ0अ0वर्ग—3	27900.00	—	
77.	श्री प्रमोद कोठियाल	स0कृ0अ0वर्ग—3	27900.00	—	
78.	श्री सुनील पंवार	सहायक लेखाकार	32900.00	—	
79.	श्री उपकार कुमार	वरिष्ट सहायक	43600.00	—	
80.	श्रीमती अलका थपलियाल	वरिष्ठ सहायक	31100.00	—	
81.	श्री नितिश कुमार	कनिष्ट सहायक	23100.00	—	
82.	श्री सुरेन्द्र सिंह राणा	वाहन चालक	37000.00	—	
83.	श्री हीरा सिंह नेगी	चतुर्थ श्रेणी	38100.00	—	
84.	श्री खिला लाल	चतुर्थ श्रेणी	34300.00	—	
85.	श्री अनूप लसियाल	चतुर्थ श्रेणी	26400.00	—	
86.	श्री मुकेष कुमार सैनी,	अपर सहायक अभियन्ता	69000.00	—	
87.	श्रीमती संगीता सिंह	स0कृ0अ0, वर्ग—1	58600.00	—	
88.	श्री हरेन्द्र कुमार	स0कृ0अ0, वर्ग—1	67000.00	—	
89.	श्री बिजेन्द्र सिंह गुसांई	स0कृ0अ0, वर्ग—2	67000.00	—	
90.	श्री इन्द्र सिंह बिष्ट	स0कृ0अ0, वर्ग—2	67000.00	—	
91.	श्री राममोहन सिंह रावत	स0कृ0अ0, वर्ग—2	53600.00	—	
92.	श्री विनय कुमार डिमरी	स0कृ0अ0, वर्ग—2	30500.00		

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक भत्ता,	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धती जो नियमावली में दी गयी है।
1	2	3	4	5	6
93.	श्री गणेष चन्द्र ध्यानी	स0कृ0अ0, वर्ग–2	65000.00		
94.	श्री सुनील नौटियाल	स0कृ0अ0, वर्ग–3	27900.00		
95.	श्री सूरजदेव सिंह	स0कृ0अ0, वर्ग–3	27900.00		
96.	श्रीमती रामेश्वरी पाण्डे	प्रषासनिक अधिकारी	47600.00		
97.	श्री विपिन चन्द कुमांई	प्रधान सहायक	38700.00		
98.	श्री आषीष कुमार	वरिष्ठ सहायक	37000.00		
99.	श्री आषीष कुमार	कनिष्ठ सहायक	26000.00		
100.	श्री सुरेन्द्र सिंह सजवाण	प्रभारी मानचित्रक (अनुरेखक)	66000.00		
101.	श्री गुन्दर सिंह बिष्ट	चतुर्थ श्रेणी	41600.00		

।। मैनुअल–11 ।।

(सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययो और किये गये संवितर्णो पर रिर्पोट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट)

वर्ष 2020–21 में निम्नानुसार प्राप्त बजट का विवरण निम्नानुसार हैं तथा इस जनपद को विभिन्न योजनाओं में आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम् से भी बजट प्राप्त हुआ हैं।

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी,टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर वर्ष 2020–21 सामान्य अधिष्ठान अन्तर्गत आबंटन, व्यय, अवशेष विवरण				
क्रम सं0	योजना/मद का नाम	कुल आबंटन	कुल व्यय	अवशेष
कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान (2401–00–001–04–00)				
1	01–वेतन	11,81,1,593	11,81,1,593	0.00000
2	03–मंहगाई भत्ता	0	0	0.00000
3	04–यात्रा भत्ता	59,906	59,906	0.00000
4	05–वेतन भत्ते	0	0	0.00000
5	06–अन्य भत्ता	0	0	0.00000
6	08–पारिश्रमिक	1,94,0,480	1,94,0,480	0.00000
7	090– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1,0,8,299	1,0,8,299	0.00000
8	20–लेखन सामाग्री एवं छपाई	15,000	15,000	0.00000
9	21 कार्यालय फर्नीचर एवं उप0	0	0	0.00000
10	22–कार्यालय व्यय	45,000	45,000	0.00000
11	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	34,533	34,533	0.00000
12	26– कम्प्यूटर हार्डवियर, साफ्टवियर	4,484	4,484	0.00000
13	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवायें	18,000	18,000	0.00000
14	29– गाडियों के संचालन, अनु0 ईधन	79,780	79,780	0.00000
कुल योग–		14,11,7,075	14,11,7,075	0.0000

कृषि विभाग द्वारा संचालित जिला एवं राज्य योजना की भौतिक–वित्तीय प्रगति दिनॉक माह मार्च 2019 (**SCP-TSP** रिपोर्ट)

क. सं.	योजना का नाम		भौतिक						वित्तीय (लाख रु0 में)								
			कुल		स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान		ट्राईबल सब प्लान		कुल			स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान			ट्राईबल सब प्लान		
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	परिव्यय	आवंटन	पूर्ति	परिव्यय	आवंटन	पूर्ति	परिव्यय	आवंटन	पूर्ति
	जिला योजना (टिहरी गढ़वाल)	इकाई	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मृदा परीक्षण	सं0	1429	1429	0	0	0	0	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	बीज मिनीकिट वितरण	सं0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम	है0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	प्रशिक्षण	सं0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	महिला प्रशिक्षण	सं0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	नमी संरक्षण	है0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन/मृदा एवं जल संरक्षण	सं0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		है0/मी0	124	124	12	12	0	0	110.00	110.00	110.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
8	उन्नतशील प्रजातियों के बीजों का मिनीकिट वितरण	सं0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	कुरमुला कीट नियंत्रण (लाइट ट्रेप विधि) 90प्रति0 अनुदान	सं0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	सीड ट्रीटमैन्ट ड्रम वितरण/वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण	सं0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	पौध सुरक्षा कार्यक्रम	है0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण	सं0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	पावर वीडर/पावर टिलर 90 प्रतिशत अनुदान	सं0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14	जल पम्प वितरण	सं0		**04**	**04**	**04**	**0**	**0**	0.330	0.330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	पॉली हाउस वितरण	सं0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	कृषि यंत्र वितरण	सं0	1392	**1392**	**132**	**132**	**0**	**0**	**178.00**	**178.00**	**178.00**	**33.00**	**33.00**	**33.00**	0.00	0.00	0.00
योग			**2945**	**2942**	**144**	**144**	**0**	**0**	**291.00**	**291.00**	**291.00**	**45.00**	**45.00**	**45.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
राज्य योजना																	
1	कृषि तकनीकी हस्तान्तरण योजना सामान्य (प्रशिक्षार्थी संख्या)	सं0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	जल पम्प, स्प्रिकलर सैट, पॉली हाउस कृषि यंत्र वितरण (सा0)	सं0	1067	1067	0	0	0	0	90.15	90.15	90.15						
3	जल सम्भरण कार्यक्रम	है0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम	है0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	कृषि निवेश भण्डारणों की सुदृढ़ीकरण की योजना	सं0	0	0	0	0	0	0	58.55	58.55	58.55	–					
7	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	सं0	0	0	0	0	0	0	5.08	5.08	5.08	–					
9	अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य योजना	सं0	375	375	375	375	0	0	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	खाद्यान्न /दलहन /तिलहन/बीज की लागत प्रासं0व्यय	सं0	0	0	0	0	0	0	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	सूचना सलाह केंन्द्रों का सुढडीकरण	सं0	0	0	0	0	0	0	0.38	0.38	0.38	–					
13	कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रोन्यूटिमेंट की लागत	सं0	0	0	0	0	0	0	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		सं0	**1442**	**1442**	**375**	**375**	**0**	**0**	**233.67**	**233.67**	**233.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

कृषि विभाग द्वारा संचालित केन्द्र पोषित विभिन्न योजना की वित्तीय प्रगति माह मार्च 2021 तक (उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या को जाने वाली रिपोर्ट) (संशोधित)					
क्र.सं.	योजना का नाम	टिहरी गढ़वाल			
		वर्ष 2020–21 में आवंटन	पूर्ति	अवशेष	समर्पण
केन्द्र पोषित योजना		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2.	कृषक महोत्सव रबी वर्ष	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3.	जैविक कृषि कार्यक्रम वर्ष (2017-18)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.	जैविक कृषि कार्यक्रम वर्ष (2020-21)	24.02	24.02	0.00000	0.00000
5.	घेरबाड़ योजना (Protection of Agriculture land and crops from wild animal)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6.	एकीकृत बहुद्देशीय जल सम्भरण योजना	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7-	Promotion of farm mechanization (यंत्रीकरण)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
योग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		**24.02**	**24.02**	**0.00000**	**0.00000**
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल योजना		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ योजना		32.79	32.79	0.00000	0.0000
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गौण अनाज योजना		0.84	0.84	0.00000	0.0000
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–पौष्टिक अनाज योजना		26.40	26.40	0.00000	0.0000
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन योजना		38.20	38.20	0.00000	0.0000
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन योजना मु0कृ0अ0 कार्यालय		16.14	16.14	0.00000	0.00000
6 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–तिलहन योजना		0.89	0.89	0.00000	0.0000
कुल योग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			**115.26**	0.00000	**0.0000**

7. बीज ग्राम योजना–(NMAET) (SMSP) अनुदान 17	7.83	7.83	0.0000	0.0000
7. बीज ग्राम योजना– (NMAET) (SMSP)अनुदान 30	1.62	1.62	0.0000	0.0000
योग बीज ग्राम योजना	**9.45**	**9.45**	**0.00**	**0.0000**
8. **ATMA / SMAE (NMAET)** योजना (कृषि,पशु0,उद्यान,मत्स्य,रेशम,गन्ना विभाग द्वारा कियान्वित सयुंक्त यो0)	151.73	117.38	34.35	0.00000
9. **I.W.M.P** योजना (कृषि, ग्राम्या, वन, पशुपालन विभाग इत्यादि द्वारा कियान्वित सयुंक्त यो0)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
10, **(SMAM) Sub Mission on Agriculture Mechanization (NMAET) 2020-21**	456.27	456.27	0.00000	0.00000
11. आपदाग्रस्त क्षेत्रों हेतु निःशुल्क बीज वितरण (सीड मिनिकिट– आई फेड)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12'. राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (NMSA) की उपयोजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ड्राफ्ट 2020–21	58.76	58.76	0.00000	0.00000
13. राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (NMSA) **(RAD) Anudan 17**	52.45	52.45	0.00000	0.00000
13. राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन (NMSA) **(RAD) Anudan 30**	11.65	11.65	0.00000	0.00000
योग	**730.86**	**696.51**	**34.35**	**0.00000**
14 पारम्परिक कृषि विकास योजना (PKVY) (NMSA)	**545.00**	**545.00**	**0.00000**	**0.00000**
15. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना **M I** (2020.21)	114.61	114.61	0.00000	0.00000
15. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना **O I** (2020–21)	245.43	245.43	0.00000	0.00000
15. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मु0कृ0अ0 कार्यालय	0.75	0.75	0.00000	0.00000
योग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	**360.79**	**360.79**	**0.00000**	**0.00000**
कुल योग केन्द्र पोषित योजना	**1670.12**	**1751.03**	**34.35**	**0.0000**

।। मैनुअल–12 ।।

(सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।)

वर्तमान में समस्त योजनाओं में कार्य संचालित हैं जिसके सापेक्ष लाभार्थियों की सूची प्राप्त होगी जो निदेशालय को प्रेषित कर दी जायेगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय में रक्षित रहेगी। तथा योजनाअनुसार ही कार्य किया जायेगा।

विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापो /कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक नियमों का कार्यक्रमवार विवरण–

1– लघु सीमान्त कृषक– 4 एकड़ से कम जोत वाले कृषकों को ही अनुदान, बीज वितरण, कीटनाशक में अनुदान।

2– सामान्य/अनु0जति/जन जातिः– 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य सामान्य जाति।

3– किसी विशेष प्रोगाम पर उच्चधिकरियों एवं कार्य योजना के आधार पर।

।। मैनुअल–13 ।।

(अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां)

1– कार्यक्रम का नाम– बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रय अनुज्ञापत्र निर्गमन।

2– प्रकार – अनुज्ञापत्र।

3– उद्देश्य– कृषकों को उच्चगुणवत्ता के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी रसायनों की उपलब्धता।

4– लक्ष्य (विगत वर्षो में)– शून्य

5– पात्रता– बीज निबन्धन हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम उत्तीर्ण उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रय अनुज्ञापत्र हेतु बी0एस0–सी0 कृषि अथवा बी0एस0–सी0 रसायन विज्ञान या एक वर्षिय कृषि डिप्लोमा से सम्बन्धित कार्यो में रूचि रखता हो।

6– पात्रता का आधार– पूर्व अनुभव, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं विभिन्न प्रकार के कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग से सम्बन्धित जानकारी हो।

7– पूर्व अपेक्षाए– अनुभव का विस्तार।

8– प्राप्त करने की प्रक्रिया– कीटनाशी, उर्वरक एंव बीज अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ता उद्योग विभाग द्वारा संचालित Ease of Doing तथा Single Window के अर्न्तगत कृषि विभाग द्वारा निर्गत होने वाले विभिन्न अनुज्ञापनों (बीज, कीटनाशी एंव उर्वरक) की प्रक्रिया Online प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति जारी कर किये जा रहे है। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशी उर्वरक एंव बीज अनुज्ञापन आदि से सम्बधित कार्य investuttarakhand.com में Online में किये जाने हेतु प्रावधान है। जिनकों कीटनाशी मद 0401008001400 में ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपया 1500/– एवं शहरी क्षेत्र हेतु रु0–7500/– कोषागार में चालान जमा करने तथा उर्वरक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु मद 0401008001400 में रूपया 1000.00 कोषागार में चालान जमा कर आनलाईन करने का प्रावधान है।

9– निर्धारित समय सीमा – पत्रावली पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर।

10– आवेदन शुल्क– कीटनाशी विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र शुल्क रूपया 1500 ग्रामीण रु0–7500 शहरी क्षेत्र के लिए)।

उर्वरक अनुज्ञापन पत्र हेतु शुल्क रूपया 1000.00 समस्त के लिए

बीज अनुज्ञापन पत्र हेतु शुल्क रूपया 500.00 समस्त के लिए

उर्वरक हेतु – प्रारूप ए–1

बीज हेतु – प्रारुप–ए (प्रतीक क)

12– संलग्नको की सूची–

- लाइसैन्स शुल्क चालान की मूल प्रति
- आपूर्ति कर्ता फर्मो के अधिकार पत्र
- भण्डारण एवं विक्रय स्थल का मानचित्र।
- सम्बन्धित विकासखण्ड के खण्ड विकास अधिकारी/सहायक कृषि विकास अधिकारी/सहायक कृषि रक्षा अधिकारी की संस्तुति ।
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र यदि हो।

13– संलग्नको का प्रारूप – विभिन्न निर्धारित प्रारूप।

14– प्राप्ति कर्ताओ की सूची – सूची संलग्न है–

निजी लाईसेंस धारी उर्वरक विक्रेताओं की सूचीः–

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तकर्ता का नाम	बल्दियत	वैधता किस दिनांक तक है	जिला	शहर	मोहल्ला	मकान नं0
1.	श्री भरत सिंह नेगी	–	20.11.2021	टिहरी	चम्बा	–	–
2.	श्री पाल पुण्डीर	–	29.03.2021	टिहरी	चम्बा	–	–
3.	श्री कीर्तिदत्त बहुगुणा	–	31.03.2020	टिहरी	नरेन्द्रनगर	–	–
4.	श्री दर्शन लाल	–	16.07.2020	टिहरी	जौनपुर	–	–
5.	श्री राजेन्द्र रावत	–	14.5.2020	टिहरी	चम्बा	–	–
6.	श्री सचिन कुमार	–	13.08.2021	टिहरी	कीर्तिनगर	–	–
7.	स0सा0सह0समि0 लि0 भणेती	–	29.02.2020	टिहरी	भणेती	–	–
8.	स0सा0सह0समि0 लि0 कण्डीसौड	–	29.02.2020	टिहरी	कण्डीसौड	–	–
9.	स0सा0सह0समि0 लि0 कमान्द	–	29.02.2020	टिहरी	कमान्द	–	–
10.	स0सा0सह0समि0 लि0 लालूडी	–	29.02.2020	टिहरी	लालूडी	–	–
11.	स0सा0सह0समि0 लि0 मैण्डखाल	–	29.02.2020	टिहरी	मैण्डखाल	–	–
12.	स0सा0सह0समि0 लि0 सिंराई	–	29.02.2020	टिहरी	सिंराई	–	–
13.	स0सा0सह0समि0 लि0 तुंगोली	–	31.03.2020	टिहरी	तुंगोली	–	–
14.	स0सा0सह0समि0 लि0 बादशाहीथौल	–	31.03.2020	टिहरी	बादशाहीथौल	–	–
15.	स0सा0सह0समि0 लि0 बगासूधार	–	31.03.2020	टिहरी	बगासूधार	–	–
16.	स0सा0सह0समि0 लि0 सौरकुण्ड	–	31.03.2020	टिहरी	सौरकुण्ड	–	–
17.	स0सा0सह0समि0 लि0 गजा	–	31.03.2020	टिहरी	गजा	–	–
18.	स0सा0सह0समि0 लि0 बुडोगी	–	31.03.2020	टिहरी	बुडोगी	–	–
19.	स0सा0सह0समि0 लि0 गोरतीकाण्डा	–	28.05.2020	टिहरी	गोरतीकाण्डा	–	–
20.	स0सा0सह0समि0 लि0 डोबरी	–	28.05.2020	टिहरी	डोबरी	–	–
21.	स0सा0सह0समि0 लि0 डालगॉव	–	31.03.2020	टिहरी	डालगॉव	–	–
22.	स0सा0सह0समि0 लि0 महड	–	31.03.2020	टिहरी	महड	–	–
23.	स0सा0सह0समि0 लि0 चामी पंचुर	–	31.03.2020	टिहरी	चामी पंचुर	–	–
24.	स0सा0सह0समि0 लि0 गवाणा	–	28.05.2020	टिहरी	गवाणा	–	–

25.	स0सा0सह0समि0 लि0 टकोली	—	28.05.2020	टिहरी	टकोली	—	—
26.	स0सा0सह0समि0 लि0 भडोली	—	28.05.2020	टिहरी	भडोली	—	—
27.	स0सा0सह0समि0 लि0 सिंगोली	—	28.05.2020	टिहरी	सिंगोली	—	—
28.	स0सा0सह0समि0 लि0 लिंगवाणा	—	28.05.2020	टिहरी	लिंगवाणा	—	—
29.	स0सा0सह0समि0 लि0 कठूड हिन्दाव	—	23.06.2020	टिहरी	कठूड हिन्दाव	—	—
30.	स0सा0सह0समि0 लि0 डांगी	—	31.03.2020	टिहरी	डांगी	—	—
31.	स0सा0सह0समि0 लि0 चकरेडा	—	31.03.2020	टिहरी	चकरेडा	—	—
32.	स0सा0सह0समि0 लि0 चंगोरा	—	31.03.2020	टिहरी	चंगोरा	—	—
33.	स0सा0सह0समि0 लि0 कोठियाडा	—	31.03.2020	टिहरी	कोठियाडा	—	—
34.	स0सा0सह0समि0 लि0 घुत्तु	—	31.03.2020	टिहरी	घुत्तु	—	—
35.	स0सा0सह0समि0 लि0 घोंटी	—	31.03.2020	टिहरी	घोंटी	—	—
36.	स0सा0सह0समि0 लि0 चामी केमर	—	31.03.2020	टिहरी	चामी केमर	—	—
37.	स0सा0सह0समि0 लि0 विनयखाल	—	31.03.2020	टिहरी	विनयखाल	—	—
38.	स0सा0सह0समि0 लि0 मैगाधार	—	31.03.2020	टिहरी	मैगाधार	—	—
39.	स0सा0सह0समि0 लि0 दुआधार	—	31.03.2020	टिहरी	दुआधार	—	—
40.	स0सा0सह0समि0 लि0 फकोट	—	31.03.2020	टिहरी	फकोट	—	—
41.	स0सा0सह0समि0 लि0 शिवपुरी	—	31.03.2020	टिहरी	शिवपुरी	—	—
42.	स0सा0सह0समि0 लि0 लवा	—	15.01.2020	टिहरी	लवा	—	—
43.	स0सा0सह0समि0 लि0 आमपाटा	—	31.03.2020	टिहरी	आमपाटा	—	—
44.	स0सा0सह0समि0 लि0 कौडियाला	—	14.05.2020	टिहरी	कौडियाला	—	—
45.	स0सा0सह0समि0 लि0 सौण्डी	—	14.05.2020	टिहरी	सौण्डी	—	—
46.	स0सा0सह0समि0 लि0 मरोडागाड	—	14.05.2020	टिहरी	मरोडागाड	—	—
47.	स0दी0बहु0सह0समि0 लि0 बंगार	—	31.03.2020	टिहरी	बंगार	—	—
48.	स0दी0बहु0सह0समि0 लि0 बेल	—	31.03.2020	टिहरी	बेल	—	—
49.	स0दी0बहु0सह0समि0 लि0 म्याणी	—	31.03.2020	टिहरी	म्याणी	—	—
50.	स0दी0बहु0सह0समि0 लि0 श्रीकोट	—	31.03.2020	टिहरी	श्रीकोट	—	—
51.	स0दी0बहु0सह0समि0 लि0 स्यालसी	—	31.03.2020	टिहरी	स्यालसी	—	—
52.	स0दी0बहु0सह0समि0 लि0 मझगॉव	—	31.03.2020	टिहरी	मझगॉव	—	—
53.	स0दी0बहु0सह0समि0 लि0 मोगी	—	31.03.2020	टिहरी	मोगी	—	—
54.	स0दी0बहु0सह0समि0 लि0 चुल्याणी	—	31.03.2020	टिहरी	चुल्याणी	—	—
55.	स0दी0बहु0सह0समि0 लि0 खेडा	—	31.03.2020	टिहरी	खेडा	—	—
56.	स0दी0बहु0सह0समि0 लि0 केमटी	—	24.04.2020	टिहरी	केमटी	—	—
57.	स0दी0बहु0सह0समि0 लि0 कुमाल्डा	—	14.05.2020	टिहरी	कुमाल्डा	—	—
58.	स0सा0सह0समि0 लि0 बडकोट	—	31.12.2020	टिहरी	बडकोट	—	—
59.	स0सा0सह0समि0 लि0 गडोलिया	—	21.04.2021	टिहरी	गडोलिया	—	—
60.	स0सा0सह0समि0 लि0 लासी	—	20.10.2020	टिहरी	लासी	—	—
61.	स0सा0सह0समि0 लि0 खाण्ड	—	20.10.2020	टिहरी	खाण्ड	—	—
62.	स0सा0सह0समि0 लि0 नेल्डा	—	17.05.2020	टिहरी	नेल्डा	—	—
63.	स0सा0सह0समि0 लि0 निरालीधार	—	17.05.2020	टिहरी	निरालीधार	—	—
64.	स0सा0सह0समि0 लि0 जाखणीधार	—	17.05.2020	टिहरी	जाखणीधार	—	—
65.	स0सा0सह0समि0 लि0 सान्दणा	—	17.05.2020	टिहरी	सान्दणा	—	—
66.	स0सा0सह0समि0 लि0 सेमल्डीधार	—	19.12.2020	टिहरी	सेमल्डीधार	—	—
67.	स0सा0सह0समि0 लि0 चाचकण्डा	—	14.05.2020	टिहरी	चाचकण्डा	—	—
68.	स0सा0सह0समि0 लि0 थाती डागर	—	14.05.2020	टिहरी	थाती डागर	—	—
69.	स0सा0सह0समि0 लि0 मलेथा	—	14.05.2020	टिहरी	मलेथा	—	—
70.	स0सा0सह0समि0 लि0 खोला	—	14.05.2020	टिहरी	खोला	—	—

71.	स0सा0सह0समि0 लि0 बडियारगढ	–	14.05.2020	टिहरी	बडियारगढ	–	–
72.	स0सा0सह0समि0 लि0 जखण्ड	–	14.05.2020	टिहरी	जखण्ड	–	–

।। शिकायतों अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण ।।

।। कृषि रक्षा ।।

कार्यक्रम का नाम– आवेदकों को कीटनाशी लाइसेन्स निर्गत करना।

प्रकार– अनुज्ञापत्र।

उददेश्य– क्षेत्रीय कृषकों को अपने फसलों/सबिजयों आदि के कीट/रोग नियंत्रण हेतु सुगमता पूर्वक निकटरथ स्थान पर रसायनों की प्राप्ति कराना।

लक्ष्य– लक्ष्य निर्धारित नही होता है।

पात्रता– आवेदक को शिक्षित होना आवश्यक है, ताकि रसायन के पम्पलेट में दिये हुए संस्तुति एवं निर्देशानुसार रसायनों का प्रयोग करा सके।

प्राप्त करने की प्रक्रिया– आवेदक को फार्म–6 के निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र के साथ–साथ फर्मो के अधिकार पत्र जिन रसायनों की बिक्री करना चाहते है। दुकान का नक्शा जहॉ दुकान खोलना चाहते हो, अपनी शेक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्रों के साथ प्रार्थना पत्र मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

रियायत अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा–

दो कलैण्डर वर्ष के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है तथा निर्धारित समय सीमा के उपरान्त पुनः दो–दो वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाता है।

आवेदन शुल्कः– सभी रसायनों हेतु र 300.00 दो वर्ष के लिए पुनः नवीनीकरण में र 300.00 प्रत्येक दो वर्ष हेतु प्रति रसायन र 20.00 पुनः नवीनीकरण में र 20.00 रसायन।

आवेदन पत्र का प्रारूपः– फार्म–6, फर्मो के अधिकार पत्र, भवन का नक्शा जहॉ दुकान खोलना चाहते है, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

प्राप्तिकर्ताओं की सूची–
लाईसेंसधारी कीटनाशी विक्रेताओं की सूची

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तकर्ता का नाम	बल्दियत	वैधता किस दिनांक तक है	जिला	मोहल्ला / न्याय पंचायत
1.	कृषि बीज भण्डार प्रभारी छाम	–	नियमित	टिहरी	छाम
2.	न्याय पंचायत प्रभारी रामगॉव	–	नियमित	टिहरी	रामगॉव
3.	न्याय पंचायत प्रभारी इडियान	–	नियमित	टिहरी	इडियान
4.	न्याय पंचायत प्रभारी सरोट	–	नियमित	टिहरी	सरोट
5.	न्याय पंचायत प्रभारी क्यारी	–	नियमित	टिहरी	क्यारी
6.	कृषि बीज भण्डार कीर्तिनगर	–	नियमित	टिहरी	कीर्तिनगर
7.	न्याय पंचायत प्रभारी लोस्तु	–	नियमित	टिहरी	लोस्तु
8.	न्याय पंचायत प्रभारी चाचकण्डा	–	नियमित	टिहरी	चाचकण्डा
9.	न्याय पंचायत प्रभारी खोला	–	नियमित	टिहरी	खोला
10.	न्याय पंचायत प्रभारी बडियार	–	नियमित	टिहरी	बडियार
11.	न्याय पंचायत प्रभारी बैज्वाणी	–	नियमित	टिहरी	बैज्वाणी
12.	न्याय पंचायत प्रभारी सेमीसेमला	–	नियमित	टिहरी	सेमीसेमला
13.	न्याय पंचायत प्रभारी नौर चौरास	–	नियमित	टिहरी	नौर चौरास
14.	न्याय पंचायत प्रभारी मलेथा	–	नियमित	टिहरी	मलेथा
15.	कृषि बीज भण्डार प्रभारी हिण्डोलाखाल	–	नियमित	टिहरी	हिण्डोलाखाल
16.	न्याय पंचायत प्रभारी रूमधार	–	नियमित	टिहरी	रूमधार
17.	न्याय पंचायत प्रभारी त्यूणा	–	नियमित	टिहरी	त्यूणा
18.	न्याय पंचायत प्रभारी पुजारगॉव	–	नियमित	टिहरी	पुजारगॉव
19.	न्याय पंचायत प्रभारी घरूण	–	नियमित	टिहरी	घरूण
20.	न्याय पंचायत प्रभारी जगधार	–	नियमित	टिहरी	जगधार
21.	न्याय पंचायत प्रभारी जलेठी बनगढ	–	नियमित	टिहरी	जलेठी बनगढ
22.	न्याय पंचायत प्रभारी आमणी	–	नियमित	टिहरी	आमणी
23.	न्याय पंचायत प्रभारी भटकोट	–	नियमित	टिहरी	भटकोट
24.	न्याय पंचायत प्रभारी डोबरी	–	नियमित	टिहरी	डोबरी
25.	न्याय पंचायत प्रभारी जखेड	–	नियमित	टिहरी	जखेड
26.	कृषि बीज भण्डार मुनि की रेती	–	नियमित	टिहरी	मुनि की रेती
27.	न्याय पंचायत प्रभारी भैंतण	–	नियमित	टिहरी	भैंतण
28.	न्याय पंचायत प्रभारी आमपाटा	–	नियमित	टिहरी	आमपाटा

29.	न्याय पंचायत प्रभारी तिमली	–	नियमित	टिहरी	तिमली
30.	न्याय पंचायत प्रभारी मणगॉव	–	नियमित	टिहरी	मणगॉव
31.	न्याय पंचायत प्रभारी रणाकोट	–	नियमित	टिहरी	रणाकोट
32.	न्याय पंचायत प्रभारी बुगाला	–	नियमित	टिहरी	बुगाला
33.	न्याय पंचायत प्रभारी बैराईगॉव	–	नियमित	टिहरी	बैराईगॉव
34.	न्याय पंचायत प्रभारी बनाली	–	नियमित	टिहरी	बनाली
35.	न्याय पंचायत प्रभारी चम्बा	–	नियमित	टिहरी	चम्बा
36.	न्याय पंचायत प्रभारी दिखोलगॉव	–	नियमित	टिहरी	दिखोलगॉव
37.	न्याय पंचायत प्रभारी देवरी	–	नियमित	टिहरी	देवरी
38.	न्याय पंचायत प्रभारी पलास	–	नियमित	टिहरी	पलास
39.	न्याय पंचायत प्रभारी डडूर	–	नियमित	टिहरी	डडूर
40.	न्याय पंचायत प्रभारी जगधार	–	नियमित	टिहरी	जगधार
41.	न्याय पंचायत प्रभारी पांगरखाल	–	नियमित	टिहरी	पांगरखाल
42.	कृषि बीज भण्डार थत्यूड	–	नियमित	टिहरी	थत्यूड
43.	न्याय पंचायत प्रभारी खेडा	–	नियमित	टिहरी	खेडा
44.	न्याय पंचायत प्रभारी मखडेत	–	नियमित	टिहरी	मखडेत
45.	न्याय पंचायत प्रभारी द्वारगढ	–	नियमित	टिहरी	द्वारगढ
46.	न्याय पंचायत प्रभारी स्यालसी	–	नियमित	टिहरी	स्यालसी
47.	न्याय पंचायत प्रभारी मोगी	–	नियमित	टिहरी	मोगी
48.	न्याय पंचायत प्रभारी श्रीकोट	–	नियमित	टिहरी	श्रीकोट
49.	न्याय पंचायत प्रभारी म्याणी	–	नियमित	टिहरी	म्याणी
50.	न्याय पंचायत प्रभारी सियाकैम्पटी	–	नियमित	टिहरी	सियाकैम्पटी
51.	न्याय पंचायत प्रभारी भरवाकाटल	–	नियमित	टिहरी	भरवाकाटल
52.	न्याय पंचायत प्रभारी मझगॉव	–	नियमित	टिहरी	मझगॉव
53.	कृषि बीज भण्डार प्रभारी उठड	–	नियमित	टिहरी	उठड
54.	न्याय पंचायत प्रभारी नंदगॉव	–	नियमित	टिहरी	नंदगॉव
55.	न्याय पंचायत प्रभारी कुमारधार	–	नियमित	टिहरी	कुमारधार
56.	न्याय पंचायत प्रभारी दपोली	–	नियमित	टिहरी	दपोली
57.	न्याय पंचायत प्रभारी गराकोट	–	नियमित	टिहरी	गराकोट
58.	न्याय पंचायत प्रभारी ढुंगबडवाली	–	नियमित	टिहरी	ढुंगबडवाली
59.	न्याय पंचायत प्रभारी सिलोली	–	नियमित	टिहरी	सिलोली
60.	न्याय पंचायत प्रभारी जलवालगॉव	–	नियमित	टिहरी	जलवालगॉव
61.	कृषि बीज भण्डार प्रभारी घनसाली	–	नियमित	टिहरी	घनसाली
62.	न्याय पंचायत प्रभारी पटागली	–	नियमित	टिहरी	पटागली
63.	न्याय पंचायत प्रभारी जाखनैलचामी	–	नियमित	टिहरी	जाखनैलचामी
64.	न्याय पंचायत प्रभारी कठूड	–	नियमित	टिहरी	कठूड
65.	न्याय पंचायत प्रभारी खसेती	–	नियमित	टिहरी	खसेती
66.	न्याय पंचायत प्रभारी कोठियाडा	–	नियमित	टिहरी	कोठियाडा
67.	न्याय पंचायत प्रभारी दल्ला	–	नियमित	टिहरी	दल्ला
68.	न्याय पंचायत प्रभारी भटगॉव	–	नियमित	टिहरी	भटगॉव
69.	न्याय पंचायत प्रभारी थाती बूढाकेदार	–	नियमित	टिहरी	थाती बूढाकेदार
70.	न्याय पंचायत प्रभारी खिरवेलबासर	–	नियमित	टिहरी	खिरवेलबासर
71.	न्याय पंचायत प्रभारी देवट	–	नियमित	टिहरी	देवट
72.	न्याय पंचायत प्रभारी देवंज	–	नियमित	टिहरी	देवंज
73.	न्याय पंचायत प्रभारी लम्बगॉव	–	नियमित	टिहरी	लम्बगॉव
74.	न्याय पंचायत प्रभारी सिलवालगॉव	–	नियमित	टिहरी	सिलवालगॉव

75.	न्याय पंचायत प्रभारी रौणिया	–	नियमित	टिहरी	रौणिया
76.	न्याय पंचायत प्रभारी तिनवालगॉव	–	नियमित	टिहरी	तिनवालगॉव
77.	न्याय पंचायत प्रभारी गरवाणगॉव	–	नियमित	टिहरी	गरवाणगॉव
78.	न्याय पंचायत प्रभारी ओनालगॉव	–	नियमित	टिहरी	ओनालगॉव
79.	न्याय पंचायत प्रभारी पनियाला	–	नियमित	टिहरी	पनियाला
80.	न्याय पंचायत प्रभारी मोटणा	–	नियमित	टिहरी	मोटणा
81.	न्याय पंचायत प्रभारी भेनगी	–	नियमित	टिहरी	भेनगी
82.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र अखोडी	–	नियमित	टिहरी	अखोडी
83.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र हिंसरियाखाल	–	नियमित	टिहरी	हिंसरियाखाल
84.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र मरोडा	–	नियमित	टिहरी	मरोडा
85.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र न्यूली अकरी	–	नियमित	टिहरी	न्यूली अकरी
86.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र बछेलीखाल	–	नियमित	टिहरी	बछेलीखाल
87.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र लसेर	–	नियमित	टिहरी	लसेर
88.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र पौखाल	–	नियमित	टिहरी	पौखाल
89.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र नन्दगॉव	–	नियमित	टिहरी	नन्दगॉव
90.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र कोरदी	–	नियमित	टिहरी	कोरदी
91.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र नैनगॉव	–	नियमित	टिहरी	नैनगॉव
92.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र प्रतापनगर	–	नियमित	टिहरी	प्रतापनगर
93.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र धनौल्टी	–	नियमित	टिहरी	धनौल्टी
94.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र थत्यूड	–	नियमित	टिहरी	थत्यूड
95.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र छाम	–	नियमित	टिहरी	छाम
96.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र फकोट	–	नियमित	टिहरी	फकोट
97.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र चम्बा	–	नियमित	टिहरी	चम्बा
98.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र कीर्तिनगर	–	नियमित	टिहरी	कीर्तिनगर
99.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र मुनि की रेती	–	नियमित	टिहरी	मुनि की रेती
100.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र जडीपानी	–	नियमित	टिहरी	जडीपानी
101.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र घनसाली	–	नियमित	टिहरी	घनसाली
102.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र नई टिहरी	–	नियमित	टिहरी	नई टिहरी
103.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र लम्बगॉव	–	नियमित	टिहरी	लम्बगॉव
104.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र हिण्डोलाखाल	–	नियमित	टिहरी	हिण्डोलाखाल
105.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र देवदर्शनी	–	नियमित	टिहरी	देवदर्शनी
106.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र आछरीकुण्ड	–	नियमित	टिहरी	आछरीकुण्ड
107.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र पाली	–	नियमित	टिहरी	पाली
108.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र पन्तवाडी	–	नियमित	टिहरी	पन्तवाडी
109.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र हुलानाखाल	–	नियमित	टिहरी	हुलानाखाल
110.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र घुत्तू	–	नियमित	टिहरी	घुत्तू
111.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र गजा	–	नियमित	टिहरी	गजा
112.	प्रभारी उ0स0दल केन्द्र अंजनीसैण	–	नियमित	टिहरी	अंजनीसैण

।। मैनुअल–14 ।।

(किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों।)

जनपद टिहरी गढवाल में जनपद सृजन से अभी तक के अभिलेख कार्यालय भण्डार में रक्षित हैं जिसका अधिक से अधिक इलैक्ट्रोनिक स्वरूप तैयार किया गया हैं जिन अभिलेखों का इलैक्ट्रोनिक स्वरूप तैयार नहीं हो सकता वह अपने मूल रूप में कार्यालय में उपलब्ध हैं।

।। मैनुअल–15 ।।

(सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं।)

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर में स्थित हैं। मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं इकाई स्तर पर लोक सूचना अधिकारी/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हैं। (कार्यालय–मु0कृ0अ0 टिहरी एवं समस्त कृषि एंव भूमि संरक्षण इकाई कार्यालय) के अपीलीय अधिकारी मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर हैं। कार्यालय प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होता हैं।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय की स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	श्री आर0एस0गुसांई	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ लोक सूचना अधिकारी	कार्यालय–मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।	–
2	कृषि विभाग	श्री सोमांश कुमार गुप्ता	लोक सूचना अधिकारी/ कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नरेन्द्रनगर।	–
3	कृषि विभाग	श्री भगवान दास वर्मा	लोक सूचना अधिकारी/ कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा।	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा।	–
4	कृषि विभाग	श्री राजदेव पंवार	लोक सूचना अधिकारी/ कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी।	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी।	–
5	कृषि विभाग	श्री हरीशचन्द्र भारद्वाज	लोक सूचना अधिकारी/ कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तीनगर।	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तीनगर।	–

15.1:– सूचनाओ को जनता तक पहुँचाने के लिए की गयी व्यवस्था का विवरणः–

1– गोष्ठी– जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत, ग्राम स्तर तक साल में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में गोष्ठियों द्वारा।

2– अखबारों द्वाराः– विभिन्न कार्यक्रमों की निशुल्क जानकारी अखबारो द्वारा दी जाती है।

3– जिले में लगने वाले विभिन्न मेलों द्वारा।

4– पम्पलेट, लीफलैट, बुकलेट प्रकाशित कर कृषकों को निशुल्क वितरित किया जाना, आदि।

।। मैनुअल–16 ।।

(लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां)

जनपद स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का विवरण

क0सं0	जनपद/कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का दूरभाष सं0/मोबाईल नं0	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम व पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाष सं0/मोबाईल नं0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टि0ग0/मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर।	श्री आर0एस0गुसांई, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।	कार्यालय–मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।	01378–227501 9412113636	श्री जे0पी0तिवारी, मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोड़ा.	कार्यालय–मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।	01378–227501 9454768810

इकाई स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण।

क्र0 स0	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का दूरभाष संख्या/मो0नं0	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाष संख्या व मो0नं0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।	श्री सोमांश कुमार गुप्ता, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी।	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।	9410110695	श्री जे0पी0तिवारी, मुख्य कृषि अधिकारी, टि0ग0 नरेन्द्रनगर।	कार्यालय– मुख्य कृषि अधिकारी टि0ग0 नरेन्द्रनगर।	01378–227501 9454768810
2	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा।	श्री भगवान दास वर्मा, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा।	कार्यालय– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा।	8650843954			
3	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी।	श्री राजदेव पंवार कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी।	कार्यालय– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नई टिहरी।	6395295108			
4	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तीनगर।	श्री हरीशचन्द्र भारद्वाज कुषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तीनगर।	कार्यालय– कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कीर्तीनगर।				

विकासखंड स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण

क्र0 स0	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का दूरभाष संख्या / मो0नं0	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाष संख्या व मो0नं0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकासखंड़ प्रभारी नरेन्द्रनगर	श्री केदार सिंह स0कृ0अ0 वर्ग–2	विकासखंड़ नरेन्द्रनगर	9411712219	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नरेन्द्रनगर	सर्व श्री सोमांश कुमार गुप्ता कृषि एंव भूमि संरक्षण अधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।	9411537428
2	विकासखंड़ प्रभारी जौनपुर	श्री राजेश कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–2	विकासखंड़ जौनपुर	6397324267	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नरेन्द्रनगर		
3	विकासखंड़ प्रभारी कृषि चम्बा	शूरवीर सिहं असवाल स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ चम्बा	9410750762	भगवान दास वर्मा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा	कार्या0–कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा	9411344597
4	विकासखंड़ प्रभारी कृषि प्रतापनगर	श्री मनोज कुमार , स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ प्रतापनगर	7895129700	भगवान दास वर्मा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा	कार्या0–कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा	9411344597
5	विकासखंड़ प्रभारी कृषि थौलधार	श्री वीर सिहं नेगी स0कृ0अ0 वर्ग–2	विकासखंड़ थौलधार	9411391990	भगवान दास वर्मा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा	कार्या0–कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चम्बा	9411344597
6	विकासखंड़ प्रभारी कृषि जाखणीधार	श्री रधुवीर सिंह स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ जाखणीधार	9761847498	डा0 राजदेव पंवार कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नई टिहरी ,टि0ग0	9997065133
7	विकासखंड़ प्रभारी कृषि भिलंगना	श्री बालेश्वर प्रसाद स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ भिलंगना	8650259288	डा0 राजदेव पंवार कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नई टिहरी ,टि0ग0	9997065133
8	विकासखंड़ प्रभारी कृषि देवप्रयाग	श्री हरेन्द्र कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ देवप्रयाग	9897218041	श्री एच0सी0 भारद्वाज कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर	9528746475
9	विकासखंड़ प्रभारी कृषि कीर्तिनगर	श्री बिजेन्द्र सिंह गुसांई, स0कृ0अ0 वर्ग–2	विकासखंड़ कीर्तिनगर	9411104326	श्री एच0सी0 भारद्वाज कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर	9528746475

न्याय पंचायत स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण

क्र0स0	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम	लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण पता	लोक सूचना अधिकारी का दूरभाष संख्या/मो0नं0	सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अपीलीय अधिकारी का पूर्ण पता	अपीलीय अधिकारी का दूरभाष संख्या व मो0नं0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	न्यायपंचायत प्रभारी बनाली	श्री रामकृष्ण गंगवार स0कृ0अ0 वर्ग–2	न्यायपंचायत प्रभारी बनाली	9758008942	श्री केदार सिंह स0कृ0अ0 वर्ग–2 विकासखण्ड नरेन्द्रनगर	विकासखण्ड प्रभारी नरेन्द्रनगर	9411712219
2	न्यायपंचायत प्रभारी भैतण	श्री भुवनेन्द्र प्रसाद खन्तावाल स0कृ0अ0 वर्ग–2	न्यायपंचायत प्रभारी भैतण	7895692804			
3	न्यायपंचायत प्रभारी बैराईगांव	श्री शिवरत्न शर्मा स0कृ0अ0 वर्ग–2	न्यायपंचायत प्रभारी बैराईगांव	9412394860			
4	न्यायपंचायत प्रभारी तिमली	श्री मनोज चौहान स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी तिमली	9412048761			
5	न्यायपंचायत प्रभारी मंणगांव	श्री ज्योति सिंह रावत स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी मंणगांव	9993238261			
6	न्यायपंचायत प्रभारी आमपाटा	श्री दिपक भण्डारी स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी आमपाट	7017716462			
7	न्यायपंचायत प्रभारी रणाकोट	श्री दिनेश नेगी स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी रणकोट	7060193409			
8	न्यायपंचायत प्रभारी बुगाला	श्री मनोज चौहान स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी बुगाला	9412048761			
9	न्यायपंचायत प्रभारी मखडेत	श्री राजेश कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–2	न्यायपंचायत प्रभारी मखडेत	6397324267	श्री श्री राजेश कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–2 विकासखण्ड जौनपुर	विकासखण्ड प्रभारी जौनपुर	6397324267
10	न्यायपंचायत प्रभारी भरवाकाटल	श्री सरदार सिंह विष्ट स0कृ0अ0 वर्ग–2	न्यायपंचायत प्रभारी भरवाकाटल	9410925325			
11	न्यायपंचायत प्रभारी मंजगांव	श्री सरदार सिंह विष्ट स0कृ0अ0 वर्ग–2	न्यायपंचायत प्रभारी मंजगांव	9410925325			
12	न्यायपंचायत प्रभारी खेडा	श्री सुनील लाल स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी खेडा	9536865092			
13	न्यायपंचायत प्रभारी द्वारागढ	श्री सुनील लाल स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी द्वारागढ	9536865092			
14	न्यायपंचायत प्रभारी सियाकैम्पटी	श्री सुनील लाल स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी सियाकैम्पटी	9536865092			
15	न्यायपंचायत प्रभारी श्रीकोट	श्री अमेज कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी श्रीकोट	9917138135			

16	न्यायपंचायत प्रभारी म्याणी	श्री अमेज कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी म्याणी	9917138135			
17	न्यायपंचायत प्रभारी मोगी	श्री अमेज कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी मोगी	9917138135			
18	न्यायपंचायत प्रभारी स्यालसी	श्री पहल सिंह स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी स्यालसी	8607075550			
19	न्यायपंचायत प्रभारी दिखोलगांव	श्री शूरवीर सिहं असवाल, स0कृ0अ0 वर्ग–2	न्याय पंचायत प्रभारी दिखोलगांव	9410750762	श्री शूरवीर सिहं असवाल, स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी चम्बा	9410750762
20	न्यायपंचायत प्रभारी, नकोट	श्री नितेन्द्र सिहं स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्याय पंचायत प्रभारी नकोट	9017265757	श्री शूरवीर सिहं असवाल, स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी चम्बा	9410750762
21	न्यायपंचायत प्रभारी, जगधार	श्री जवाहर लाल स0कृ0अ0 वर्ग–3	न्याय पंचायत प्रभारी जगधार	9568251219	श्री शूरवीर सिहं असवाल, स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी चम्बा	9410750762
22	न्यायपंचायत प्रभारी देवरी	श्री नित्यानन्द उनियाल,स0कृ0अ0वर्ग –2	न्यायपंचायत प्रभारी देवरी	6399360092	श्री शूरवीर सिहं असवाल, स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी चम्बा	9410750762
23	न्यायपंचायत प्रभारी डडूर	श्री दिनेश प्रसाद सेमल्टी, स0कृ0अ0वर्ग–2	न्यायपंचायत प्रभारी डडूर	8445339538	श्री शूरवीर सिहं असवाल, स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी चम्बा	9410750762
24	न्यायपंचायत प्रभारी विरोगी	श्री इन्दुभास्कर, स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी विरोगी	9837785032	श्री शूरवीर सिहं असवाल, स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी चम्बा	9410750762
25	न्यायपंचायत प्रभारी पलास	श्रीमती सोनी रावत स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी पलास	7060307830	श्री शूरवीर सिहं असवाल, स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी चम्बा	9410750762
26	न्यायपंचायत प्रभारी पांगरखाल	श्री नितेन्द्र सिहं स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी पांगरखाल	9017265757	श्री शूरवीर सिहं असवाल, स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी चम्बा	9410750762
27	न्यायपंचायत प्रभारी ओनालगांव	श्री अर्जुन सिहं रमोला, स0कृ0अ0वर्ग–2	न्यायपंचायत प्रभारी ओनालगांव	9675891938	श्री मनोज कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड प्रतापनगर	7895129700
28	न्यायपंचायत प्रभारी गरवाणगांव	श्री धनपाल सिहं स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी गरवाणगांव	8755587182	श्री मनोज कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड प्रतापनगर	7895129700
29	न्यायपंचायत प्रभारी पनियाला	श्री धनपाल सिहं स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी पनियाला	8755587182	श्री मनोज कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड प्रतापनगर	7895129700
30	न्यायपंचायत प्रभारी तिनवालगांव	श्री अखिलेश कुमार स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी तिनवालगांव	9758035027	श्री मनोज कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड प्रतापनगर	7895129700
31	न्यायपंचायत प्रभारी रौणिया	श्री अखिलेश कुमार स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी रौणिया	9758035027	श्री मनोज कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड प्रतापनगर	7895129700

32	न्यायपंचायत प्रभारी सिलवालगांव	श्री संजय जोशी स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी सिलवालगांव	8859492136	श्री मनोज कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड प्रतापनगर	7895129700
33	न्यायपंचायत प्रभारी मोटना	श्री महेश प्रसाद सेमवाल स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी मोटना	7300939877	श्री मनोज कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड प्रतापनगर	7895129700
34	न्यायपंचायत प्रभारी भेनगी	श्री महेश प्रसाद सेमवाल स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी भेनगी	7300939877	श्री मनोज कुमार स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड प्रतापनगर	7895129700
35	न्यायपंचायत प्रभारी इडियान	श्री वीर सिहं नेगी, स0कृ0अ0वर्ग–2	न्यायपंचायत प्रभारी इडियान	9411391990	श्री वीर सिहं नेगी, स0कृ0अ0वर्ग–2 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड थौलधार	9411391990
36	न्यायपंचायत प्रभारी रामगांव	श्री रणवीर सिहं रावत, स0कृ0अ0वर्ग–2	न्यायपंचायत प्रभारी रामगांव	9412960348	श्री वीर सिहं नेगी, स0कृ0अ0वर्ग–2 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड थौलधार	9411391990
37	न्यायपंचायत प्रभारी सरोठ	श्री देव प्रसाद जोशी, स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी सरोठ	9411747155	श्री वीर सिहं नेगी, स0कृ0अ0वर्ग–2 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड थौलधार	9411391990
38	न्यायपंचायत प्रभारी क्यारी	श्री देव प्रसाद जोशी, स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी क्यारी	9411747155	श्री वीर सिहं नेगी, स0कृ0अ0वर्ग–2 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड थौलधार	9411391990
39	न्यायपंचायत प्रभारी बरवालगांव	श्री अनिल सिहं, स0कृ0अ0वर्ग–3	न्यायपंचायत प्रभारी बरवालगांव	9997870388	श्री वीर सिहं नेगी, स0कृ0अ0वर्ग–2 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकास खण्ड थौलधार	9411391990
40	न्याय पंचायत प्रभारी, आमणी	श्री हरेन्द्र कुमार, स0कृ0अ0, वर्ग–1	विकासखंड़ प्रभारी देवप्रयाग	9897218041	श्री हरेन्द्र कुमार, स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी देवप्रयाग	9897218041
41	न्याय पंचायत प्रभारी, त्यूणा						
42	पुजारगांव						
43	न्यायपंचायत प्रभारी, डोबरी	श्री इन्द्र सिंह स0कृ0अ0, वर्ग–2	विकासखंड़ प्रभारी देवप्रयाग	9012389606	श्री हरेन्द्र कुमार, स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी देवप्रयाग	9897218041
44	न्यायपंचायत प्रभारी, भटकोट						
45	न्यायपंचायत प्रभारी, जगधार	श्री गणेष चन्द्र ध्यानी, स0कृ0अ0, वर्ग–2	विकासखंड़ प्रभारी देवप्रयाग	9045369235	श्री हरेन्द्र कुमार, स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी देवप्रयाग	9897218041
46	न्यायपंचायत प्रभारी, धरूण						
47	न्यायपंचायत प्रभारी, पलेठी बनगढ़						
48	न्यायपंचायत प्रभारी, रूमधार	श्री सुनील नौटियाल, स0कृ0अ0, वर्ग–3	विकासखंड़ प्रभारी देवप्रयाग	9193103801	श्री हरेन्द्र कुमार, स0कृ0अ0 वर्ग–1 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी देवप्रयाग	9897218041
49	न्यायपंचायत प्रभारी,मलेथा	श्री बिजेन्द्र सिंह गुसांई स0कृ0अ0, वर्ग–2	विकासखंड़ प्रभारी कीर्तिनगर	9411104326	श्री बिजेन्द्र सिंह, स0कृ0अ0 वर्ग–2 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी कीर्तिनगर	9411104326
50	न्यायपंचायत प्रभारी,जखेड़						
51	न्यायपंचायत प्रभारी, बैजवाडी	श्री विनय कुमार डिमरी स0कृ0अ0,	विकासखंड़ प्रभारी	9634998995	श्री बिजेन्द्र सिंह, स0कृ0अ0 वर्ग–2	विकासखंड़ प्रभारी	9411104326

52	न्यायपंचायत प्रभारी,सेमी सेमला	वर्ग–3	कीर्तिनगर		विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	कीर्तिनगर	
53	न्यायपंचायत प्रभारी,चाचकण्डा						
54	न्यायपंचायत प्रभारी, खोलाकडाकोट	श्री सूरज देव सिंह स0कृ0अ0, वर्ग–3	विकासखंड़ प्रभारी कीर्तिनगर	8057634040	श्री बिजेन्द्र सिंह, स0कृ0अ0 वर्ग–2 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी कीर्तिनगर	9411104326
55	न्यायपंचायत प्रभारी,नौर चौरास						
56	न्याय पंचायत प्रभारी, बडियार	श्री राम मोहन सिंह रावत स0कृ0अ0, वर्ग–3	विकासखंड़ प्रभारी कीर्तिनगर	7248115716	श्री बिजेन्द्र सिंह, स0कृ0अ0 वर्ग–2 विकास खण्ड प्रभारी (कृषि)	विकासखंड़ प्रभारी कीर्तिनगर	9411104326
57	न्याय पंचायत प्रभारी, क्वीली						
58	न्याय पंचायत–सिलोली, जलवालगांव	श्री महेन्दनाथ कुशवाहा	न्याय पंचायत–सिलोली, जलवालगांव	9719857655	श्री रधुवीर सिंह स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ जाखणीधार	9761847498
59	न्याय पंचायत–ढुगबडवाली	श्री बालम सिंह चौहान	न्याय पंचायत–ढुगबडवाली	946377320	श्री रधुवीर सिंह स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ जाखणीधार	9761847498
60	न्याय पंचायत–थाती, भटगांव	श्री महावीर सिंह रावत	न्याय पंचायत–थाती, भटगांव	9411125699	श्री रधुवीर सिंह स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ जाखणीधार	9761847498
61	न्याय पंचायत–खिरवेल, दल्ला, पडागली	श्री गणेंश चन्द्र ध्यानी	न्याय पंचायत–खिरवेल,दल्ला, पडागली	9411572373	श्री रधुवीर सिंह स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ जाखणीधार	9761847498
62	न्याय पंचायत–जलवालगांव	श्री अमर नाथ सिंह यादव	न्याय पंचायत–जलवालगांव	9719857655	श्री बालेश्वर प्रसाद स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ भिलंगना	8650259288
63	न्याय पंचायत–दपोली, गराकोट	श्री रामनाथ	न्याय पंचायत–दपोली, गराकोट	9987541251	श्री बालेश्वर प्रसाद स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ भिलंगना	8650259288
64	न्याय पंचायत–नन्दगांव, कुमारधार	श्री मुकेश लाल	न्याय पंचायत–नन्दगांव, कुमारधार	7351101919	श्री बालेश्वर प्रसाद स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ भिलंगना	8650259288
65	न्याय पंचायत–कोटियाडा ,देवज,देवठ	श्री प्रमोद कोठियाल	न्याय पंचायत–कोटियाडा,देवज,देवठ	785637221	श्री बालेश्वर प्रसाद स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ भिलंगना	8650259288
66	न्याय पंचायत–जाख नैलचामी, खसेती, कठूड	श्री सुनील नौटियाल	न्याय पंचायत–जाख नैलचामी, खसेती, कठूड	8410234937	श्री बालेश्वर प्रसाद स0कृ0अ0 वर्ग–1	विकासखंड़ भिलंगना	8650259288

।। मैनुअल–17 ।।

(ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जायं)

इस अधिष्ठान में मैनुअल संख्या– 01 से 16 तक अध्यावधिक रूप से तैयार किये गये हैं जिसमें अधिक से अधिक विभागीय देय सुविधाओं/योजनाओं आदि का उल्लेख पूर्ण सावधानी से किया गया हैं तथा विभाग अन्य किसी भी राजकीय ढ़ाचें, व्यवस्था के त्वरित बदलाव के साथ–साथ कार्य करने के लिए तत्पर हैं।

ह0/–

(जे0पी0तिवारी)
मुख्य कृषि अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।